सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन 2025-26

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

2025-26

DoIT.C

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय		पृष्ठ संख्या
1	**परिचय**		06
2	**राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड**		08
3	**राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड**		08
4	**प्रशासनिक तंत्र**		08
5	**विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग**		
	5.1	जन सूचना पोर्टल	14
	5.2	डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजन (DVAE)	15
	5.3	राज उद्योग मित्र पोर्टल (Raj Udyog Mitra Portal)	16
	5.4	राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)	16
	5.5	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) की समाचार प्रबंधन प्रणाली (DNMS)	22
	5.6	बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)	22
	5.7	भूमि रूपांतरण प्रणाली (90A)	23
6	**नीतिगत पहल**		
	6.1	आधार अधिप्रमाणन (Authentication) ईकोसिस्टम	24
	6.2	राजस्थान स्टार्टअप	24
	6.3	AVGC-XR Policy	28
	6.4	SMART परियोजना	30
	6.5	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)/मशीन लर्निंग (ML) नीति	30
7	**सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाएं**		
	7.1	राज्य भर्ती पोर्टल (State Recruitment Portal)	32
	7.2	Rajasthan Security Operations Center (SOC)	33
	7.3	Centre of Excellence – CoE : Cyber Range	33
	7.4	राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC)	34
	7.5	राजस्थान सम्पर्क	34
	7.6	राजवीसी	37
	7.7	राजनेट	38
	7.8	राज वाई–फाई	41
	7.9	ई–मित्र	42

	7.10	ई–मित्र प्लस	42
	7.11	राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म	43
	7.12	राज ई–साईन (Raj E-Sign)	45
	7.13	स्टेट–पोर्टल	47
	7.14	एकीकृत सरकारी पोर्टल	47
	7.15	ई–संचार 2.0	48
	7.16	राज–मास्टर (स्टेट मास्टर डाटा हब)	49
	7.17	राज–काज (इन्टीग्रेटेड राज ई–ऑफिस)	49
	7.18	विडियोवॉल	52
	7.19	राज ई–वॉल्ट	53
	7.20	सिंगल साईन ऑन (SSO)	55
	7.21	आधार डाटा वॉल्ट	55
	7.22	राज–सेवा द्वार (Raj Sewa Dwar)	55
	7.23	डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर	58
	7.24	ई–बाजार	60
	7.25	राजस्थान सप्लाई एंड इन्वेंटरी सिस्टम (RajSIMS)	61
	7.26	राज–धरा–एकीकृत भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS)	65
	7.27	राज ई. आर. पी.	67
	7.28	राज–लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (RAJ-LMS)	70
	7.29	जयपुर 3D सिटी परियोजना	71
	7.30	चीफ मिनिस्टर इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीएमआईएस)	73
8	**मानव संसाधन विकास**		
	8.1	सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण	75
	8.2	इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	75
	8.3	राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	75
	8.4	राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL), जयपुर	75
	8.5	राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RGFDI), जोधपुर	78
	8.6	राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT)	81
9	**अन्य विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं**		
	9.1	वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)	84
	9.2	वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)	86
	9.3	आरटीआई पोर्टल	88
	9.4	अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर	90
	9.5	ई–प्रोक्योरमेंट (e-Procurement)	91
	9.6	एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS)	92
	9.7	एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर	95
	9.8	राजफेब (RajFab)	96

9.9	स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF 3.0)	97
9.10	लाईट्स–न्याय विभाग (Litigation Information Tracking & Evaluation System)	98
9.11	राजस्थान जन–आधार योजना	98
9.12	राजस्थान ई–आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम (ReAMS)	99
9.13	आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS)	101
9.14	राजकिसान साथी	102
9.15	सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS)	106
9.16	मास मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म मेनेजमेंट 2.0 (सोशल मीडिया)	107
9.17	ई–लाइब्रेरी	109
9.18	जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System)	110
9.19	ई.ई.एम.एस. (Employment Exchange Management System)	111
9.20	यू.आई.डी (आधार)	113
9.21	राजनिवेश	114
9.22	यूडीएच में आईटी का योगदान (Contribution of IT in UDH)	115
9.23	एलएसजी में आईटी का योगदान (Contribution of IT in LSG)	115
9.24	डीएलसी जीईओ टैगिंग (DLC Geo Tagging)	117
9.25	इन्टीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम (IEMS2.0)	118
9.26	Online Ticket Booking Management System (OBMS)	120
9.27	वित्तीय समावेशन गेटवे	121
9.28	GIS आधारित Village Master Plan Web Application	122
9.29	आर.एस.एल.डी.सी (Rajasthan Skills and Livelihoods Development Corporation)	123
9.30	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन	124
9.31	डिजिटल लाईब्रेरी (Digital Library)	125
9.32	सॉफ्टवेयर डवलपमेंट सेंटर	126
9.33	चीफ मिनिस्टर वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम (CM-WMS)	135
9.34	इन्ट्रीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम (IWMS)	136
9.35	फाइबर टू द होम (FTTH) परियोजना	137
9.36	राजस्थान में सार्वजनिक सेवाओं की गारंटीकृत वितरण (RGDPS) डैशबोर्ड	138
9.37	स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए (SVSSAE)	138
9.38	एकीकृत छात्रवृत्ति पोर्टल (कॉलेज शिक्षा)	139
9.39	सरकारी कार्यप्रणाली में सुदृढ़ीकरण	139
9.40	विद्युत निरीक्षक विभाग (EID) ई–सेवा प्रणाली	142
9.41	कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग ई–सेवा प्रणाली	142

9.42	गृह विभाग ई–सेवा प्रणाली	143
9.43	सड़क सुरक्षा युद्ध कक्ष (RSWR) प्रणाली	143
9.44	भागीदारी फर्म पंजीकरण प्रणाली	143
9.45	शिल्पकार और बुनकर पंजीकरण प्रणाली	144
9.46	Rising Rajasthan 2025 MoU प्रबंधन	144
9.47	विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VYUPY)	145
9.48	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2019/2022/2024 प्रणाली	145
9.49	श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी और ग्रामीण) प्रणाली	145
9.50	औषधि नियंत्रण संगठन (DCO) लाइसेंस प्रणाली	145
9.51	जलमित्रा प्रणाली (PHED)	147
9.52	बजट MIS प्रणाली	148
9.53	राजएसएसओ उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली (RAJSSO-AMS)	148
9.54	RajBioScope	149
9.55	पर्यटन विभाग ई–सेवा प्रणाली	149
9.56	मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (MNSUPY)	149
9.57	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (MSVY)	150
9.58	सड़क–कटिंग अनुमति प्रणाली (PWD)	150
9.59	आईटी इनेबलमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टरेट डिपार्टमेंट (ई.आई.डी)	150
9.60	देवस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना	151
9.61	राजमेल (RajMail)	152
9.62	राज पेमेंट	153
9.63	वीएलसी परियोजना (VLC)	154
9.64	RAJ-NOC प्रबंधन प्रणाली	156
9.65	Urban GIS Portal (CitizenUDH)	157
9.66	रेरा में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान	157
10	**वर्ष वार विगत तीन वर्षो के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय**	159
11	**पुरस्कार एवं प्रशंसा**	160

1 परिचय

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय की स्थापना की। तत्पश्चात आदेश संख्या प.27(2)मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प.27(1) मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया ।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प.27(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना, सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

- (क) समग्र निर्देश और मार्गदर्शन करना।
- (ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।
- (ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।
- (घ) बैंडविड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।
- (ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।
- (च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना।
- (छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।
- (ज) स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- (झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।
- (ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना।

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं के वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़ीकरण के मामले में समन्वय करना।

4 निम्नलिखित उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) व्यवहार्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेंसियों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य सॉफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ऑटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुर्नावलोकन।

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना –

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र में विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए योजना तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें।

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना–

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्राम–स्तर तक ब्रॉडबैण्ड डिजिटल संबंधता की स्थापना को सरल बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.

एन.एल. और अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की ऐजेन्सियों के साथ समन्वय करना।

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना और उन्हें सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher-Course)/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी. इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्रयोजन कौंसिल, नास्कॉम आदि का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार कर्मियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित संस्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

2 राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड

वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) स्थापित की गई।

3 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी किये गये हैं।

4 प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनगर्ठन किए जाने के पश्चात् राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है: –

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
(Overall Cadre Strength)

दिसम्बर, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक	22	14	8
3.	अतिरिक्त निदेशक	36	36	0
4.	वित्तीय सलाहकार	1	1©	0
5.	उप विधि परामर्शी	1	1	0
6.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	98	91	7
7.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	270	223*	47
8.	संस्थापन अधिकारी	2	2	0
9.	सहायक निदेशक (DIPR)	1	1	0
10.	लेखाधिकारी	1	1	0
11.	प्रोग्रामर	1005	924**	81
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	3	3	0
13.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	35	14	21
14.	प्रशासनिक अधिकारी	6	3	3
15.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	13	6	7
16.	कनिष्ठ लेखाकार	4	4	0
17.	वरिष्ठ निजी सचिव	1	1	0
18.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
19.	निजी सहायक	1	0	1
20.	निजी सहायक ग्रेड–II	1	0	1
21.	सहायक प्रोग्रामर	2677	2560	117
22.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	22	3	19
23.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
24.	वरिष्ठ सहायक	29	27	2
25.	सूचना सहायक	6332	5546***	786
26.	कनिष्ठ सहायक	56	9	47
27.	वाहन चालक	2	0	2
28.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	10	4

©श्रीमती कौशल्या सांकृत्य, मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सलाहकार के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

*एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के सीधी भर्ती हेतु 45 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, द्वारा अन्तरिम परीक्षा परिणाम जारी किया चुका है। दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**प्रोग्रामर के कुल 352 पदों की सीधी भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

***सूचना सहायक के कुल 3415 पदों की सीधी भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति/पदस्थापन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)

दिसम्बर, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस.	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव	1	1	0
3.	तकनीकी निदेशक	11	10	1
4.	अतिरिक्त निदेशक	15	15&	0
5.	वित्तीय सलाहकार	1	1©	0
6.	उप विधि परामर्शी	1	1	0
7.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	13	13	0
8.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	72	65*	7
9.	संस्थापन अधिकारी	2	2	0
10.	सहायक निदेशक (DIPR)	1	1	0
11.	लेखाधिकारी	1	0	1
12.	प्रोग्रामर	74	71	3
13.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2	2	0
14.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	2	2α	0
15.	प्रशासनिक अधिकारी	6	3	3
16.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	13	6	7
17.	कनिष्ठ लेखाकार	4	4µ	0
18.	वरिष्ठ निजी सचिव	1	1	0
19.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
20.	निजी सहायक	1	0	1
21.	निजी सहायक ग्रेड–II	1	0	1

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
22.	सहायक प्रोग्रामर	245	224**	21
23.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	21	4^	17
24.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
25.	वरिष्ठ सहायक	17	16***	1
26.	सूचना सहायक	326	310	16
27.	कनिष्ठ सहायक	15	5	10
28.	वाहन चालक	2	0	2
29.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	10	3

&अतिरिक्त निदेशक के 1 पद के विरूद्ध सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यरत है।

©श्रीमती कौशल्या सांकृत्य, मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सलाहकार के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

*एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पदों के विरूद्ध 2 प्रोग्रामर कार्यरत है।

α सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। के 1 पद के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। कार्यरत है।

µकनिष्ठ लेखाकार के 2 पद के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। कार्यरत है।

** सहायक प्रोग्रामर के पदों के विरूद्ध 4 सूचना सहायक एवं 1 पद के विरूद्ध प्रोग्रामर कार्यरत है।

^ सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 1 पद के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक कार्यरत है।

***विभागीय आदेश दिनांक 28.11.2025 के द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के पदो को पुनगर्ठन किया गया है। जिसमें 1–संस्थापन अधिकारी, 3 प्रशासनिक अधिकारी एवं 3 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित किये जाकर 3–वरिष्ठ सहायक एवं 4–कनिष्ठ सहायक के पद कम किये गये है।

यू.आई.डी. प्रोजेक्ट

दिसम्बर, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	ओ.एस.डी.	1	0	1	
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	1	0	
3.	वरिष्ठ परियोजना अधिकारी	2	1*	1	
4.	परियोजना अधिकारी	2	1	1	
5.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	1	0	
6.	प्रोग्रामर	1	1	0	
7.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	1	1	0	
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	1	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से)

*वरिष्ठ परियोजना अधिकारी के 1 पद के विरूद्ध सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)
एक्स-कैडर-अभियंता पद

दिसम्बर, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	मुख्य अभियंता	1	1	0	
2.	अधिशाषी अभियंता	2	2	0	
3.	सहायक अभियंता	2	0	2	

राज्य कम्प्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया संचालन केन्द्र (CSIRT)
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

दिसम्बर, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	निदेशक	1	0	1	
2.	टेक्निकल लीड -IR	1	0	1	
	कुल	2	0	2	

जिला कार्यालय, सू.प्रौ और संचार विभाग

दिसम्बर, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
1.	अतिरिक्त निदेशक	7	6
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	41	39*
3.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	41	33**
4.	प्रोग्रामर	82	78
5.	सहायक प्रोग्रामर	352	324***
6.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	33	23&
7.	वरिष्ठ सहायक	10	3
8.	सूचना सहायक	92	82^
9.	कनिष्ठ सहायक	41	5@

*सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के 10 पदों के विरूद्ध एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) पदस्थापित है।

**एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के 3 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर पदस्थापित है।

***सहायक प्रोग्रामर के 7 पदों के विरूद्ध सूचना सहायक पदस्थापित है।

&सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के 1 पद के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I एवं 13 कनिष्ठ लेखाकार पदस्थापित है।

^सूचना सहायक के विरूद्ध 1 सहायक प्रोग्रामर एवं 1 पद के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक पदस्थापित है।

@कनिष्ठ सहायक के 1 पद के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक कार्यरत है।

जिला कार्यालय, सू.प्रौ और संचार विभाग
पंचायत समिति /नगरपालिका कस्बे

दिसम्बर, 2025

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
1.	प्रोग्रामर	413	358*
2.	सहायक प्रोग्रामर	671	634**
3.	सूचना सहायक	834	670***

*प्रोग्रामर पद के विरूद्ध 1 सूचना सहायक पदस्थापित है।

**सहायक प्रोग्रामर पद के विरूद्ध 5 पदों के विरूद्ध सूचना सहायक पदस्थापित है।

***सूचना सहायक पद के विरूद्ध 1 सहायक प्रोग्रामर पदस्थापित है।

5. विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग

5.1 जन सूचना पोर्टल

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) की मूल भावना Proactive Disclosure of Information से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2019 को जनसूचना पोर्टल का लोकार्पण 13 विभागों की 23 योजनाओं से संबंधित 44 सेवाओं के साथ किया गया। आमजन द्वारा उक्त जानकारी जनसूचना पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। जनसूचना पोर्टल, संबंधित विभागों के पास उपलब्ध डिजिटल जानकारी को API के माध्यम से प्राप्त करके उसे नागरिकों के लिये सरल और उपयोगी प्रारूप में उपलब्ध कराता है। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है।

परियोजना का उद्देश्य :-जनसूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ–साथ आम–जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में संधारित सूचनाएं क्षेत्रवार व निजी जानकारी के अनुसार सरल भाषा व आसान तरीके से उपलब्ध करवाया जाना हैं। पोर्टल पर जानकारी को भौगोलिक दृष्टि से इस प्रकार व्यवस्थित करना कि किसी विशेष पंचायत या नगर वार्ड में निवास करने वाला सामान्य नागरिक अपने तथा अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके।

परियोजना का लाभ :- यह सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता हैः "प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी हैं। इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें, जिससें कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े"।

इस पोर्टल के माध्यम से Social Audit भी की जाती है एवं योजना के लाभार्थियों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाती है।

जन–सूचना पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं इन योजनाओं में लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की जानकारी जिलेवार, पंचायतवार/वार्डवार आम–जन को कम से कम विकल्पों का चयन करने पर ही सरल तरीके से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

परियोजना की प्रगति :-

क्र. सं.	प्रगति विवरण	संख्यात्मक प्रगति
1	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध कुल विभागों की संख्या	117
2	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध विभागों की योजनाओं की संख्या	351
3	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की दी जाने वाली प्रदत्त जानकारियों की संख्या	749
4	जनसूचना वेब पोर्टल के विजिटर संख्या	28.11+ Cr.
5	जनसूचना वेब पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त किए जाने की संख्या	49.05+ Cr.
6	मोबाईल एप डाउनलोड किए जाने की संख्या	5.77+ Lacs

5.2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजन (DVAE)

सरकार में दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करने की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों के प्रमाणीकरण एवं सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन एवं ऑथेन्टिकेशन ईन्जन (DVAE) नामक एप्लिकेशन का निर्माण किया गया है। यह प्रणाली (System) विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेजों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण में पारदर्शिता (Transparency) लाता है एवं दक्षता (efficiency) को बढ़ाता है। वर्तमान में इस इंजन के माध्यम से 14 प्रकार के दस्तावेज सत्यापित करने की सुविधा उपलब्ध है। पिछले एक वर्ष में इस सिस्टम पर 28.96 लाख ट्रांजेक्शन दर्ज किये गये हैं।

5.3 राज उद्योग मित्र पोर्टल (Raj Udyog Mitra Portal)

यह वेब एप्लिकेशन निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो (BIP) के लिए विकसित किया गया है। राज्य में आजीविका को बढ़ावा देनें, समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए, सरकार ने "राजस्थान एमएसएमई (स्थापना और संचालन का सुगम्यता) अधिनियम, 2019" लागू किया है, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को राजस्थान के किसी भी कानून के तहत अनुमोदन की आवश्यकता से छूट प्रदान करता है और उद्यमों की स्थापना और संचालन से संबंधित निरीक्षणों से मुक्त करता है।

मार्च 4, 2019 को अधिनियम की पुष्टि तिथि के बाद वाणिज्यिक संचालन शुरू करने वाले नए माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज "उद्देश्य घोषणा" (Declaration of Intent) को निर्दिष्ट वेब एप्लिकेशन के माध्यम से छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उद्देश्य घोषणा के लिए दस्तावेजों जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, आवेदक, जो उद्यम का प्रतिनिधि होना चाहिए, को ओटीपी–आधारित प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से जुड़े एक आधार संख्या रखने की आवश्यकता है। जमा करने पर, उद्यम को तुरंत एक कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न "स्वीकृति प्रमाण पत्र" (Acknowledgement Certificate) प्राप्त होगा, जो उद्देश्य घोषणा की प्राप्ति की पुष्टि करेगा।

5.4 राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आंतरिक मानव संसाधनों के कौशल का उपयोग और संवर्धन करते हुए उपयुक्त लागत में, विश्वसनीय और समयबद्ध तरीके से राज्य सरकार की

आईटी परियोजनाओं को विस्तारित करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD) की स्थापना की गई है। वर्तमान में 48 अधिकारी/कर्मचारी की संख्या के साथ संचालित हैं।

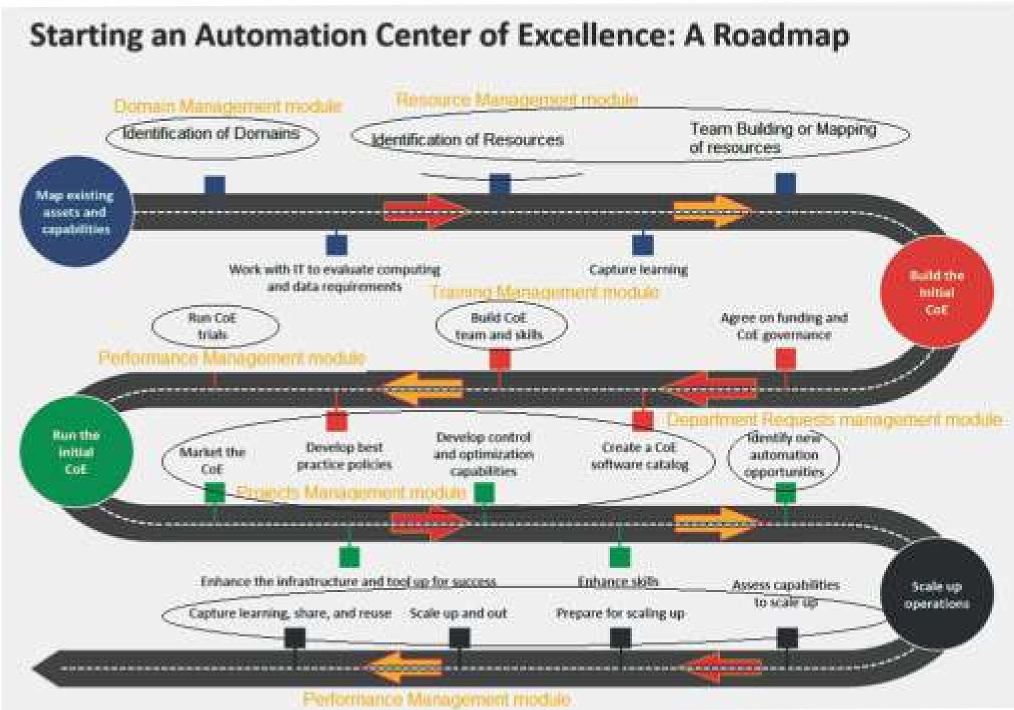

परियोजना की वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रगति :

RajCAD में Phase 1 के अन्तर्गत बिजनेस एनालिसिस, PHP, JAVA, मोबाईल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, UI/UX Design/SAS/Power BI/Tableau, Agile Axpert, सिक्योरिटी ऑडिट व लोड टेस्टिंग कार्यक्षेत्र संचालित हैं, और Phase 2 के अन्तर्गत Python, ArcGIS तकनीक को लागू किया जा चुका है और Flutter Framework पर क्रॉस–प्लेटफ्रॉम एप डेवलप की जा रही हैं। वर्तमान में विकसित किये जा रहे पोर्टल्स में ए.आई. तकनीक के स्कोप तलाश कर उनमें ए. आई. को लागू किया जायेगा।

RajCAD द्वारा अभी तक विभिन्न विभागों के डिजिटलाइजेशन के तहत 20 वेब पोर्टल के प्रोजेक्ट्स तथा डाटा एनालिटिक्स के अन्तर्गत कुल 107 मोड्युल के डेशबोर्ड पूर्ण करके लाईव किये जा चुके है व 8 मोबाइल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट (इन–हाउस) पूर्ण किये जा चुके है। वेब पोर्टल के 10 प्रोजेक्ट्स अंडर डवलपमेंट हैं। इनके अलावा लाइव किये जा चुके प्रोजेक्ट्स के मेंटिनेंस (रख–रखाव) का कार्य भी जारी है।

परियोजना का उद्देश्य एवं लाभ :

जनवरी 2020 में देश के सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले डेटा सेंटर झालाना डूंगरी, आरएसडीसी (पी 4) में राजस्थान एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर (RajCAD) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है –

- ❖ विभाग के आंतरिक मानव संसाधन, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की विभिन्न तकनीकों पर कुशल और प्रशिक्षित हैं, की पहचान करके व उनको ट्रेनिंग देकर RajCAD में डवलपमेंट का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ❖ राज्य में डिजिटलाइजेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू इन–हाउस आईटी नेतृत्व प्रदान करना और आईटी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- ❖ ई–गवर्नेंस में नवीनतम एप्लीकेशन और डोमेन क्षमता को विकसित करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना।

परियोजना का उद्देश्य एवं लाभ :

- **मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 (G2C) (वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप) :** राज्य के पशुपालकों द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत आवेदन के लिए वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप विकसित किये गए, जिसके माध्यम से पशुपालक घर बैठे पशुबीमा के लिए आवेदन कर सकते है तथा आवेदन की स्थिति को देख सकते है। वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप में संपूर्ण प्रक्रिया (end-to-end process) सम्मिलित है, पशु पालक द्वारा बीमा आवेदन, पशु चिकित्सक द्वारा पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना, बीमा सर्वेयर द्वारा पुष्टि करना, दावा प्रकरण इत्यादि सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में बीमा हेतु निर्धारित लक्ष्य 21 लाख पशु थे।

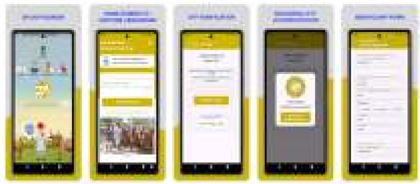

- **Rajasthan Farmer Registry Camps Portal (G2C)–** राजस्थान किसान पंजीकरण शिविर (RJFRC) राज्य स्तरीय पोर्टल है जो शिविरों की शेड्युलिंग, स्टाफ ड्यूटी और संसाधन आवंटन को डिजिटल करता है। यह पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

- **होम गार्ड डिप्लोयमेंट पोर्टल (G2G):** यह पोर्टल उपलब्ध स्वयंसेवकों (होम गार्ड्स) के समूह से स्वचालित रूप से ड्यूटी आवंटन करता है, साथ ही उन स्वयंसेवकों को हटाता है जो संपर्क परेड से अनुपस्थित हैं, पहले से तैनात हैं या रोटेशन छूट के तहत मुक्त किए गए हैं। यह प्रणाली तैनाती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करती है और पूर्व–निर्धारित मानदंडों के आधार पर संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करती है।

- **राज मत्स्य योजना पोर्टल (G2C)-** राज्य में मत्स्य विकास को बढ़ावा देने एवं विभागीय योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु राज मत्स्य योजना पोर्टल विकसित किया गया जिसके माध्यम से विभागीय

योजनाओं के लिये किसान घर बैठे आवेदन कर सकते है एवं आवेदन की स्थिति की ऑनलाईन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- **Anukampa [G2C]** – राजस्थान के सरकारी विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उक्त पोर्टल विकसित किया गया है।

- **Project Monitoring System [G2G]** – विभाग के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप बनाये गये हैं।

- **Identified Block Monitoring System [G2G]** – ब्लॉक लेवल पर विभिन्न मानकों के अनुरूप मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है।

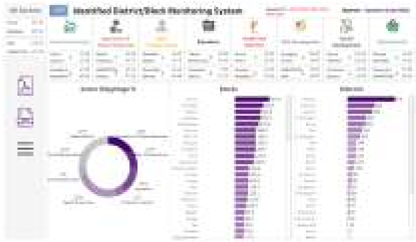

- **Jagriti Back To Work Scheme Portal (G2C)**- राजस्थान सरकार की प्रदेश की महिलाओं के लिए योजना Jagriti Back to work scheme में आवेदन हेतु यह पोर्टल विकसित किया गया है।

- **Rajasthan Medical Journal** – राजस्थान मेडिकल जर्नल (आरएमजे) वेब एप्लिकेशन का उद्देश्य एक बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करना है। जहां वैज्ञानिक, शोधकर्ता और शिक्षाविद सक्रिय रूप से मूल्यवान चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और अपने गहन वैज्ञानिक

प्रयासों का आदान–प्रदान कर सकते हैं। इसमें नवीन अवधारणाओं, सिद्धांतों और शोध निष्कर्षों का प्रसार शामिल है।

- **Abhudaya Portal (G2C) –** परियोजना का उद्देश्य भिखारियों और गरीबों के डेटा को एक ही स्थान पर समेकित करना है ताकि उन्हें समायोजित किया जा सके और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुविधा प्रदान की जा सके।

- **ACB-17A Management System [G2G] –** भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाईन पोर्टल बनाया गया है।

- **Mukhyamantri Work From Home Job Work Yojana – [G2C] –**राज्य की महिलाओं को जो घर से काम करने में रूचि रखती है के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंद महिलाएं उपलब्ध जॉब के अवसरों में से अपनी रूचि अनुसार जॉब के लिए आवेदन कर सकती है। पोर्टल पर वर्तमान में 148 संगठन है तथा 51035 महिलाओं द्वारा आवेदन किया गया है, जिनमें 6032 लाभार्थी है।

- **बीस सूत्री कार्यक्रम वेब पोर्टल -** बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी हेतु आयोजना विभाग के लिए एक एकीकृत वेब आधारित TPP पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से लक्ष्यों का निर्धारण, मासिक/त्रैमासिक/ वार्षिक प्रगति प्रविष्टि, सत्यापन, एवं ड़ेशबोर्ड रिपोर्ट जनरेशन की सुविधा उपलब्ध है। इस पहल से रिपोर्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्वता एवं दक्षता सुनिश्चित हुई है तथा राज्य स्तर पर रीयल टाइम मॉनिटरिंग संभव हुई है।

- **मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 (वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप) -** राज्य के पशुपालकों द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत आवेदन के लिए वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप विकसित किये गए, जिसके माध्यम से पशुपालक घर बैठे पशुबीमा के लिए आवेदन कर सकते है तथा आवेदन की स्थिति को देख सकते है। वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप में संपूर्ण प्रक्रिया (end-to-end process)सम्मिलित है, पशु पालन विभाग तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के समन्वय से गांव स्तर पर कैम्प शेडयूलिंग, पशु पालक द्वारा बीमा आवेदन, पशु चिकित्सक द्वारा पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना, बीमा सर्वेयर द्वारा पुष्टि करना, दावा प्रकरण इत्यादि सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट घोषणा अनुसार कुल 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है, इसमें 2024–25 में निर्धारित लक्ष्य 21 लाख पशु सहित होंगे।

5.5 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) की समाचार प्रबंधन प्रणाली (DNMS)

DNMS वेब और मोबाइल एप्लिकेशन को DoIT&C द्वारा एक flexible समाधान के रूप में विकसित किया गया है ताकि DIPR PROs और DEPT PROs द्वारा दैनिक प्रिंट–मीडिया समाचारों के संग्रह और संकलन को डिजिटाइज़ किया जा सके। प्रत्येक दिन, PROs प्रासंगिक प्रिंट–मीडिया समाचारों को कैप्चर करने के लिए एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं, साथ ही आवश्यक मेटाडेटा की समीक्षा (मॉडरेशन) DIPR HQ की केंद्रीय टीम द्वारा विभाग, जिले और भावना विश्लेषण के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए की जाती है। यह CMO और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दैनिक समाचार सारांश रिपोर्ट तैयार करने को भी सुव्यवस्थित करता है।

इसके अतिरिक्त, विभाग प्रमुखों और जिला प्रशासकों (कलेक्टर) को बस एक क्लिक से उनके विभाग या जिले से संबंधित दैनिक समाचार आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। यह डिजिटल समाचार भंडार की स्थापना में भी सुविधा प्रदान करता है, जिससे शीर्षक, विषय, विभाग, जिला, प्रिंट मीडिया आदि के आधार पर खोज की जा सकती है।

DIPR HQ टीम और CMO किसी भी संवेदनशील या नकारात्मक समाचारों के संबंध में संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण का अनुरोध कर सकते हैं, और विभाग इन अनुरोधों पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो इन प्रतिक्रियाओं की मॉडरेशन के लिए समीक्षा की जाती है और फिर राज्य सरकार द्वारा नकारात्मक प्रेस कवरेज के संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट के रूप में DIPR वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

5.6 बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)

यह वेब एप्लिकेशन राज्य भर के निवासियों और निजी डेवलपर्स के लिए भवन योजना अनुमोदन और संबंधित अनुमतियों के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह दो विभागों – स्थानीय स्व–शासन (LSG) और शहरी विकास और आवास (UDH) के लिए अलग से लागू किया गया है। यह आवेदकों को ऑनलाइन अपने आवेदन फ़ाइल करने, संबंधित शुल्कों का भुगतान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदनों को संभालने और निम्नलिखित सेवाओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है:

- भवन मानचित्र अनुमोदन/ संशोधन (जोड़/संशोधन/नवीनीकरण) और विध्वंस और पुनर्निर्माण
- निर्माण की शुरुआत का ई–सूचना

- प्लिंथ स्तर निर्माण पूर्णता की ई–सूचना
- समापन प्रमाण पत्र
- अधिभोग प्रमाण पत्र

यह परियोजना एक स्वचालित जांच इंजन (Auto&DCR) के एकीकरण के कारण एक विशिष्ट eGov पहल के रूप में उल्लेखनीय है। जब कोई आवेदक अपने भवन ड्राइंग फ़ाइल (एक ऑटोकैड फ़ाइल) और अपने आवेदन के साथ अपलोड करता है, तो फ़ाइल को भवन नियमों और प्रासंगिक नियमों के अनुपालन की जाँच करने के लिए एक स्वचालित सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वचालित जांच प्रणाली द्वारा उत्पन्न एक अनुपालन/विचलन रिपोर्ट तैयार होती है। यह पहल आवेदन प्रसंस्करण में लगने वाले समय को काफी कम करती है और मैनुअल उपयोगकर्ता हस्तक्षेपों की आवश्यकता को समाप्त करती है।

इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

5.7 भूमि रूपांतरण प्रणाली (90A)

यह वेब एप्लिकेशन राज्य भर के निवासियों के लिए 90A अनुमतियों के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह तीन विभागों (LSG, UDH, राजस्व) के लिए अलग से लागू किया गया है। यह आवेदकों को ऑनलाइन अपने आवेदन फ़ाइल करने, संबंधित शुल्कों का भुगतान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदनों को संभालने और निम्नलिखित सेवाओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है:

- राजस्थान भूमि राजस्व नियमों, 2007 (राजस्व) के तहत कृषि भूमि में उद्देश्य परिवर्तन
- ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से गैर–कृषि में भूमि उपयोग परिवर्तन (राज. भूमि राजस्व नियम, 2007 नया) (राजस्व)
- भूमि उपयोग परिवर्तन – 90A (LSG/UDH)

सिस्टम को हाल ही में eDharti प्रणाली (जमाबंदी रिकॉर्ड) के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सिस्टम के तहत स्वीकृत आवेदनों के लिए स्वचालित रूपांतरण किया जा सके। पायलट परियोजना केवल जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA), जयपुर के लिए लागू की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

6 नीतिगत पहल

6.1 आधार अधिप्रमाणन (Authentication) ईकोसिस्टम

आधार प्रकोष्ठ द्वारा राज्य के विभिन्न विभागो द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए लाभार्थियों तथा अन्य निवासियों के आधार अधिप्रमाणन हेतु आधार अधिप्रमाणन तंत्र की स्थापना की गई है। आधार अधिप्रमाणन तंत्र परियोजना में विभाग द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से अधिकृत ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी (AUA) एवं ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी (ASA) एप्लीकेशन को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों को आधार आधारित अधिप्रमाणन की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 10 विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अंतर्गत Sub-AUA के रूप में पंजीकृत है एवं अन्य विभाग यू.आई.डी.ए.आई., भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत लगातार पंजीकृत हो रहे है। इस सिस्टम के प्रमुख उपयागकर्ताओं में ई–पी.डी.एस. परियोजना, जन–आधार प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सांख्यिकी विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सहित कई महत्वपूर्ण विभाग एवं परियोजनाएं शामिल है। इस तन्त्र द्वारा प्रतिदिन औसतन 15 लाख से अधिक अधिप्रमाणन (Authentication) किये जा रहे है। वर्ष 2025 मे सम्पूर्ण राज्य में इस तंत्र के माध्यम से 53 करोड से अधिक अधिप्रमाणन (Authentication) किये जा चुके है। साथ ही आधार प्रकोष्ठ द्वारा आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण की सुविधा हेतु DoIT&C Face Authentication मोबाईल एप (Android & iOS) भी विकसित की गई है, जिससे वयोवृद्ध नागरिको एवं मजदूर वर्ग के आधार बायोमैट्रिक सत्यापन में आने वाली समस्याओं से निजात मिली है। इस मोबाईल एप के द्वारा राज्य सरकार के किसी भी विभाग की वेब एप्लिकेशन के माध्यम से ही आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण करना संभव हो सका है, जिससे अन्य विभागों को आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण के लिए अलग से मोबाईल एप विकसित करने की आवश्यकता नही रहती है।

वर्षवार ट्रांजेक्शन रिपार्ट (करोड में):

वर्ष	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ट्रांजेक्शन सं.	0.69	30.61	46.10	46.64	50.43	56.24	70.14	89.75	65.48	53.70

6.2 राजस्थान स्टार्टअप

राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप्स की गुणवता को बढानें तथा स्टार्टअप्स को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं हेतु iStart नामक एकीकृत स्टार्टअप प्लेटफार्म तैयार किया गया हैं। iStart प्लेटफॉर्म 100 प्रतिशत ऑनलाईन सार्वजनिक या निजी स्टार्टअप मान्यता, स्टार्टअप अपग्रेडिंग, स्टार्टअप स्किल बिल्डिंग, स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप फंडिग और स्टार्टअप एक्सेलेरेशन

प्लेटफॉर्म है, जो कि आज देश में सबसे बड़े राज्य द्वारा संचालित एवं प्रबंधित स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, जिसके साथ 7500+ स्टार्टअप जुड़े हुए हैं। iStart राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और राज्य में निवेश की सुविधा के लिए प्रमुख कार्यक्रम हैं।

राज्य सरकार ने स्टार्ट–अप से जुडी समस्त सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्रदान करने हेतु एक वेब पोर्टल www.istart.rajasthan.gov.in स्थापित किया हैं। यह पोर्टल नीति के तहत निर्धारित सभी प्रोत्साहनों के लिए एकल–स्टॉप गेटवे है। www.istart.rajasthan.gov.in स्टार्टअप नीति के सम्पूर्ण कार्यान्वयन का प्लेटफॉर्म हैं। यह सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स, मेंटर्स, विद्यार्थियों, अध्यापकों/व्याख्याताओं मेंटर्स, विद्यालय, एडमिनिस्ट्रेटर आदि को iStart प्रोग्राम की निगरानी और एक्सेस के लिए डैशबोर्ड प्रदान करता हैं। iStart Portal के माध्यम से वर्ष 2024-25 मे 1271 नये स्टार्टअप पंजीकृत हुए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्टअप्स को दी जाने वाली सुविधाऐं निम्नानुसार है।

1. Qrate

क्यूरेट, देश का एकमात्र स्टार्टअप रेटिंग तंत्र हैं। यह एक मूल्यांकन कार्यक्रम हैं, जिसके तहत स्टार्टअप्स का नियमित अन्तराल में परीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर सभी स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता एवं इनक्यूबेशन की सुविधा दी जाती है। यह स्टार्टअप की क्षमता और निवेश योग्यता पर एक विस्तृत रिर्पोट भी प्रदान करता है। मूल्यांकन रिर्पोट स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी व्यावसायिक योजना को मजबूत करने में मदद प्रदान करती हैं। इस कार्यक्रम के तहत उनके उत्पाद, रणनीति, व्यापार योजनाओं, बाजार की स्थिति को परिष्कृत करने और उनकी कमियों और सीमाओं पर काम करने के लिए बूट–कैंप आयोजित किए जाते हैं।

2. Startup Incubation

इनक्यूबेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत निःशुल्क स्पेस, कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, वीसी और इन्वेस्टर कनेक्ट, राष्ट्रीय और

अंतरराष्ट्रीय संगठनों/विशेषज्ञों के लिए एक्सपोजर आदि सुविधाऐं प्रदान की जाती हैं। इस इनक्यूबेशन प्रोग्राम को स्टार्टअप्स हेतु मेंटर एंगेजमेंट, रैपिड इटरेशन साईकल और फंडरेजिंग तैयारी के जरिए संघर्षण (traction) हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया हैं। आईस्टार्ट नेस्ट स्टार्टअप्स को अपने नवाचारों को उन्नत और विकसित करने के लिए निवेशकों तथा सलाहकारों के व्यापक नेटवर्क के साथ काम करता हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर में इन्क्यूबेशन सेंटर, टेक्नोहब एवं आईस्टार्ट नेस्ट इन्क्यूबेटर भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर बीकानेर, पाली और चूरू में क्रियाशील हैं। समस्त इन्क्यूबेशन सेंटर्स (वर्चुअल इन्क्यूबेटर एवं आई–स्टार्ट के साथ अनुबंधित इन्क्यूबेटर्स) में स्टार्टअप्स के लिये कुल 2000 सीटें उपलब्ध हैं।

टेक्नों हब देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, जो कि सबसे उन्नत, रूपांतरित, मजबूत, प्रभावी स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे कीमती मील का पत्थर है, जिसमें 295 से अधिक स्टार्टअप्स के बैठने की जगह है एवं 1,50,000 वर्ग फुट का इनक्यूबेशन स्पेस हैं। टेक्नो हब निःशुल्क स्पेस, कनेक्टिविटी, आसान फंडिंग, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, वीडियों कान्फ्रेसिंग तथा इन्वेस्टर कनेक्ट जैसी सुविधाओं के लिए स्टार्टअप्स के लिए One-Stop समाधान हैं। राजस्थान में स्टार्टअप पारिस्थितिकी–तन्त्र (Eco-system) को गति प्रदान करने के लिए टेक्नो हब, उभरते हुये स्टार्टअप्स को एक संपूर्ण समर्थन प्रणाली प्रदान करेगा।

3. इनोवेशन चैलेंज एवं स्टार्टअप अवार्डस्

राजस्थान में स्टार्ट–अप की क्षमता का लाभ उठाने के लिए राज्य/समाज में प्रचलित मुद्दों के लीक से हटकर समाधान विकसित करने के लिए सरकार, स्टार्टअप नीति–2022 के अन्तर्गत इनोवेशन चैलेंज एवं स्टार्टअप अवार्डस् जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं। राज्य सरकार के विभाग द्वारा प्रतिभागी स्टार्ट–अप्स के लिए चुनौतियों को साझा किया जायेगा, जो थीम के आधार पर समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार के समय–समय पर अधिसूचित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन समिति द्वारा विजेताओं का निर्णय लिया जाकर स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया जाएगा।

4. School Startup and Rural iStart

राजस्थान के स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए आईस्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया गया। राजस्थान के स्कूली छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता को आत्मसात करने और उन्हें भविष्य के उद्यमी के रूप में उनकी यात्रा में एक ठोस आधार प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की पहल की हैं।

इसकी स्थापना के बाद से 1.18 लाख छात्रों ने एवं 2782 स्कूलों/कॉलेजों ने आईस्टार्ट पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया हैं। पंजीकृत छात्रों को स्वरोजगार के बारे में ज्ञान प्रदान करने, व्यावसायिक विचारों को लाईव करने और मॉड्यूल के पूरा होने पर प्रतिभागी को एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा हैं।

राज्य में बढ़ते स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र की पहुंच और प्रभाव को ग्रामीण राजस्थान तक विस्तारित करने हेतु ग्रामीण आईस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण राजस्थान में उद्यमिता और नवाचार की भावना को प्रज्वलित करना और राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास को बदलना हैं। ग्रामीण आईस्टार्ट कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 800+ ग्रामीण स्टार्टअप्स् ने आईस्टार्ट पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया हैं।

- **आई-स्टार्ट लॉन्चपैड प्रोग्राम**

  बजट वर्ष 2023–24 में की गई घोषणा द्वारा राज्य के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच उद्यमिता की भावना को प्रज्वलित करने और उनके विचारों को संभावित व्यवसायों में बदलने के लिए, राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से राज्य के 33 जिलों में कुल 65 आई–स्टार्ट लॉन्चपैड नेस्ट (33 चयनित विद्यालयों एवं 32 चयनित महाविद्यालयों में) की स्थापना एवं संचालन स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से किया जा रहा है।

  इन लॉन्चपैड नेस्ट के माध्यम से, स्कूलों और कॉलेजों के छात्र उद्यमिता, नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियों और प्रोटोटाईप से संबंधित गतिविधियों के लिए परामर्श और कार्य स्थान का लाभ उठा सकते हैं।

- **बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम**

  परिवर्तित बजट वर्ष 2024–25 की घोषणानुसार राज्य के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 'Business Innovation Programme' द्वारा एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

  बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर और राजस्थान में सफल स्टार्टअप के रूप में अपने व्यावसायिक विचारों को विकसित करने में युवाओं का समर्थन करके एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करना है।

5. eBazaar Portal

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023—24 के बजट घोषणा के प्रावधान तथा वित्त विभाग के नोटिफिकेशन न. G.S.R.143 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार iStart में पंजीकृत स्टार्टअप्स को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा 25 लाख रुपये तक के प्रत्यक्ष कार्यादेश दियें जा सकते हैं। अब तक विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा 180 स्टार्टअप्स को INR 30.43 Crore के कार्यादेश/LOI दियें गये है।

6. वित्तीय सहायता

राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू करने के लिए देश के अग्रणी राज्यों में से एक रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में नई स्टार्टअप नीति जारी की गई। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार स्टार्टअप को आइडिया/प्रोटोटाईप चरण में 2 लाख 40 हजार रूपयें (महिला स्टार्टअप के लिए यह राशि 3 लाख रूपये है) सीड चरण में राशि रूपयें 60 लाख तक तथा Growth Stage पर स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता convertible ऋण व 5 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता equity के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

स्टार्टअप नीति के तहत 5000 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए है तथा सरकार द्वारा 1178 से अधिक चयनीत स्टार्टअप्स को राशि रूपये 40.96 Crore वितरित किये गये है।

7. अटल इनोवेशन प्रोग्राम

एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नवाचार, उद्‌यम सृजन और रोजगार के अवसर पैदा किये जा सके।

अटल इनोवेशन प्रोग्राम कोडिंग, रोबोटिक्स और VFX के अवसरों को समाहित करेगा, जो राज्य में रचनात्मक अर्थव्यवस्था और कौशल स्थापित करने की दिशा में उत्प्रेरक का काम करेगा। (जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर जिलों में)

6.3 AVGC-XR Policy

राजस्थान सरकार द्वारा बजट सत्र वर्ष 2024—25 में प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रदेश में निवेश व तकनीकी रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने कि लिए AVGC-XR Policy लागू करने की घोषणा की गई थी।

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (Animation, Visual Efects, Gaming, Comics Extended Reality – AVGC-XR) पर आधारित इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को AVGC-XR क्षेत्र में एक अग्रणी वैश्विक केंद्र बनाना है। नीति का लक्ष्य राज्य में नवाचार को प्रोत्साहित करना, स्थानीय प्रतिभा और कारीगरों को सशक्त बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और वैश्विक मंच पर राजस्थान कि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप्स् और उद्यमों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर, यह नीति राज्य के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी एवं आर्थिक विकास में योगदान देगी।

नीति के मुख्य उद्देश्य :-

प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता:- इसमें उत्पादन अनुदान शामिल होंगे, विशेष रूप से स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स व उद्यमों को लक्षित किया जाएगा। इस घटक का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को कम करना, नवाचार को बढ़ावा देना और आवश्यक संसाधन प्रदान करके उद्यमशीलता का प्रोत्साहन करना है।

बुनियादी ढांचे का विकास:- AVGC-XR क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए, नीति हब–एंड–स्पोक मॉडल का उपयोग कर राज्य में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित करेगी। ये सुविधाऐं बुनियादी ढांचे जैसे कोडिंग, वीएफएक्स लैब एवं उच्च–प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं से सुसज्जित होंगी।

व्यवसाय करने में आसानी:- AVGC-XR क्षेत्र में अनुमोदन के लिए एकल–खिड़की निकासी प्रणाली को लागू करना, AVGC-XR सेवाओं के लिए एक डिजिटल बाज़ार बनाकर AVGC-XR व्यवसाइयों हेतु प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

कौशल और क्षमता निर्माण:- यह नीति राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर–कैट), फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट और उद्योग विशेषज्ञो (industrial experts के साथ सहयोग करके विशेष प्रशिक्षण, प्रमाणन और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों द्वारा प्रतिभा विकास को प्रोत्साहन देगी।

अनुसंधान और नवाचार:- प्रोटोटाइप्स और मूल बौद्धिक संपदा (आईपी) के विकास सहित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रयोग और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक AVGC-XR सैंडबॉक्स बनाया जाएगा।

बाजार पहुंच और संवर्धन:- इसमें मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग और व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में सक्रिय भागीदारी शामिल होगी, जिससे स्टार्टअप्स व उद्यमों को अपना काम दिखाने और व्यापक मार्केट से जुड़ने के अवसर पैदा होंगे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी:- यह नीति सरकार, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के बीच

सहयोग को प्रोत्साहित करेगी। इसमें उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), इनक्यूबेशन सेंटर और इनोवेशन हब की स्थापना के साथ–साथ महत्वपूर्ण AVGC-XR प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल होगा।

6.4 SMART परियोजना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग का उपयोग कर नागरिक सेवा प्रदायगी के अनुभव को बेहतर करने हेतु SMART (Services Management with Artificial Intelligence and Real Time System) परियोजना की परिकल्पना की गयी है जिसकी वित्त वर्ष 2024–25 में बजट घोषणा की गई थी।

परियोजना का उद्देश्य :

स्मार्ट परियोजना का मूलभूत उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग की सहायता से वर्तमान में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के तरीके को बेहतर बनाना है, जिससे पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाकर स्वचालित रूप से उन्हें संबंधित योजनाओं में नामांकित किया जा सके एवं मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुये लाभों का वितरण किया जा सके।

परियोजना का लाभ :

स्मार्ट परियोजना के द्वारा डाटा लेक का निर्माण कर नागरिकों का गोल्डन रिकार्ड बनाया जायेगा जिससे लाभार्थी की पात्रता की स्वतः ही पहचान की जा सकेगी एवं उसके पश्चात पात्र लाभार्थीयों की सहमति लेकर संबंधित योजना हेतु स्वतः आवेदन एवं स्वतः अनुमोदन कर लाभ/सेवाओं का वितरण न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ किया जा सकेगा। इसके साथ ही स्मार्ट परियोजना में नागरिकों/परिवारों की 360° प्रोफाइल बनायी जायेगी जिसमें नागरिको की पात्रता, आय एवं व्यय का एक एकीकृत विवरण तैयार हो सकेगा।

स्मार्ट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है एवं सॉफ्टेवयर निर्माण प्रक्रियाधीन है।

6.5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) / मशीन लर्निंग (ML) नीति-

राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान @2047 के विज़न को साकार करने हेतु राजस्थान AI/ML नीति–2026 लॉन्च की है। इस नीति का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) के जिम्मेदार, नैतिक और समावेशी उपयोग के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और नागरिक–केंद्रित बनाना है।

यह नीति शासन, उद्योग, स्टार्टअप्स, MSME, शिक्षा और अनुसंधान को जोड़ते हुए राजस्थान को

AI हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नीति के प्रमुख उद्देश्य

1. शासन में AI का उपयोग

कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन एवं अन्य क्षेत्रों में AI आधारित समाधान अपनाकर सेवाओं को प्रोएक्टिव, प्रेडिक्टिव और नागरिक–केंद्रित बनाना।

2. कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण

छात्रों, युवाओं, सरकारी कार्मिकों और पेशेवरों के लिए AI/डेटा स्किलिंग, पाठ्यक्रम एकीकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण।

3. उद्योग, स्टार्टअप और MSME को प्रोत्साहन

AI आधारित उद्योगों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान को वित्तीय व गैर–वित्तीय प्रोत्साहन, कंप्यूट/क्लाउड सपोर्ट और नवाचार अनुदान प्रदान करना।

4. जिम्मेदार एवं नैतिक AI ढांचा

डेटा गोपनीयता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, सुरक्षा, मानव पर्यवेक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए Responsible AI को अपनाना।

प्रमुख लाभ

- **प्रोएक्टिव एवं नागरिक-केंद्रित सेवाएँ:** AI आधारित प्रणालियों के माध्यम से नागरिक सेवाओं को प्रोएक्टिव, प्रेडिक्टिव और अधिक नागरिक–केंद्रित बनाया जा सकेगा।
- **सेवा प्रदायगी में दक्षता एवं पारदर्शिता:** पात्रता निर्धारण, स्वचालित सत्यापन और डिजिटल प्रक्रियाओं से सेवाओं की गति बढ़ेगी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- **डेटा-आधारित नीति एवं निर्णय प्रक्रिया:** शासन एवं नीति निर्माण में डेटा एनालिटिक्स और AI के उपयोग से निर्णय अधिक सटीक, समयबद्ध और प्रभावी होंगे।
- **भविष्य के लिए तैयार मानव संसाधन का निर्माण:** AI एवं डेटा स्किलिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल विकसित होगा।
- **नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन:** AI आधारित स्टार्टअप्स, MSME और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
- **अनुसंधान एवं बौद्धिक संपदा सृजन:** अनुसंधान, विकास और AI आधारित समाधानों के माध्यम से बौद्धिक संपदा (IP) के सृजन को बल मिलेगा।

- **जिम्मेदार एवं नैतिक AI का उपयोग:** गोपनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता और मानव पर्यवेक्षण जैसे Responsible AI सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित होगा।

7 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाऐं

7.1 राज्य भर्ती पोर्टल (State Recruitment Portal)

भर्ती पोर्टल सरकारी विभागों में सुचारू भर्तियों को सक्षम बनाता है और सभी हितधारकों – उम्मीदवारों, भर्ती निकायों (आरपीएससी, आरएसएसबी, पुलिस आदि) और विभागीय समन्वयकों के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है।

प्रभावी सेवा तंत्र के लिए पोर्टल में सिंगल साइन–ऑन (एसएसओ), जन आधार तथा आधार के साथ प्रमाणिकरण और ई–मित्र सेवाओं के साथ एकीकरण है।

पिछले 3 महीनों में राज्य भर्ती पोर्टल में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं:

➢ डुप्लिकेट ओटीआर प्रोफ़ाइल और एक ही उम्मीदवार द्वारा कई आवेदनों को हटाने के लिए ओटीआर के लिए आधार / जन आधार–आधारित अनिवार्य केवाईसी। दिनांक 31.12.2025 तक लगभग 2734801 उम्मीदवारों ने पोर्टल पर अपना केवाईसी पूरा किया और 274734 नए उम्मीदवारों द्वारा ओटीआर बनाए गए।

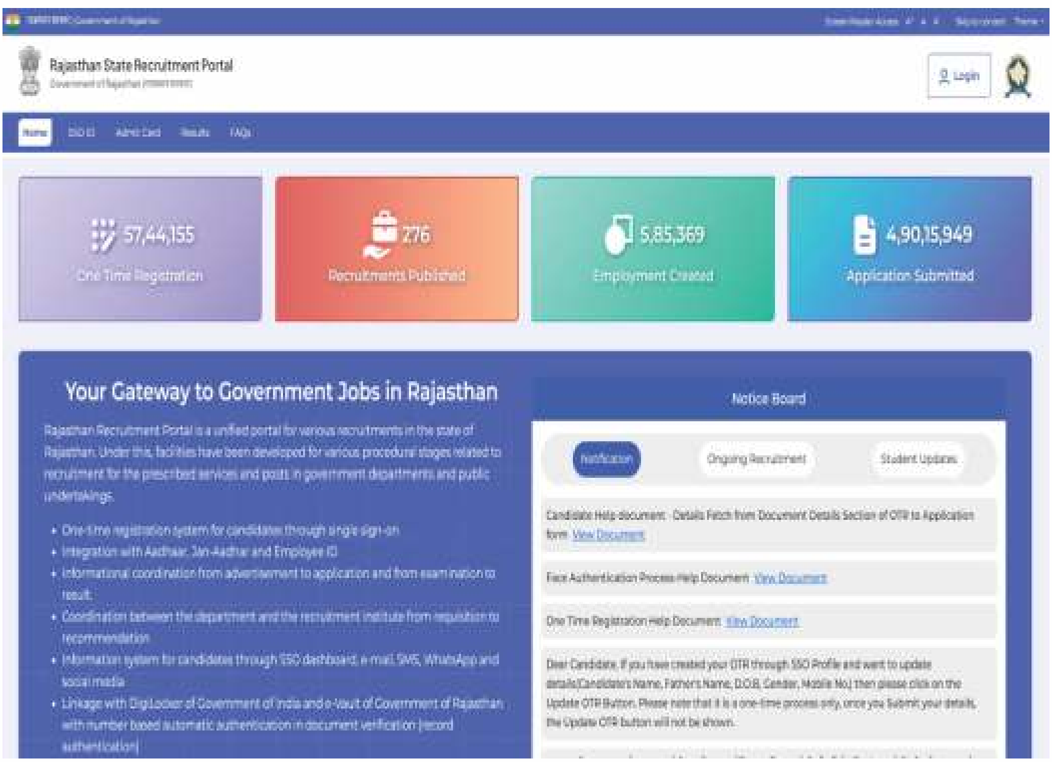

- ➢ अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए आवेदनों की अनावश्यक पूर्ववर्ती की समस्या से निपटने हेतु दंडात्मक मॉड्यूल (Penalty Module) लागू किए गए हैं, जो कि दिनांक 09.05.2025 को DoP के परिपत्र अनुसार लागू किया गया। जिससे परीक्षा प्रबंधन अधिक प्रभावी हुआ है।
- ➢ साक्षात्कार के समय भर्ती पोर्टल के माध्यम से छात्रों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को लागू करने के लिए यूआईडीएआई से SUB-AUA प्राप्त करने हेतु आरपीएससी को सहायता प्रदान की गई।
- ➢ भर्ती पोर्टल पर डैशबोर्ड मॉड्युल लागू किया गया है जिससे अभ्यर्थी एक ही स्थान पर अपनी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- ➢ राज्य भर्ती पोर्टल से विभागो, आवेदको, सेवाओ के प्रमाणीकरण को और प्रभावी बनाने के लिए–
  - अधिकांश दस्तावेजों के लिए डिजी लॉकर और ई–वॉल्ट का उपयोग।
  - आधार कार्ड से चेहरे का प्रमाणीकरण ।

7.2 Rajasthan Security Operations Center (SOC)

- Rajasthan Security Operations Center जिसे Government of Rajasthan द्वारा राज्य डेटा केंद्र के अंतर्गत स्थापित किया गया है, राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल अवसंरचना की centralized cyber security monitoring और incident response व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा है।
- यह केंद्र 24x7 कार्यरत रहकर सरकारी प्रणालियों की निरंतर निगरानी कर रहा है, cyber threats की पहचान एवं विश्लेषण कर रहा है तथा घटनाओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।
- SOC के माध्यम से सभी विभागों को centralized security visibility रिपोर्टिंग तथा compliance support प्रदान किया जा रहा है। इसके संचालन से संवेदनशील सरकारी एवं नागरिक डेटा की सुरक्षा सुदृढ़ हो रही है

  समग्र रूप से, SOC ई–गवर्नेंस सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा राज्य की cyber resilience और डिजिटल पहलों पर जनविश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

7.3 Centre of Excellence – CoE : Cyber Range

- साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence – CoE) के अंतर्गत Cyber Security Simulation Lab की स्थापना माननीय मंत्री महोदय द्वारा 30 जुलाई 2024 को साइबर खतरों से संरक्षण के उद्देश्य से की गई है।
- यह केंद्र Cyber Range–आधारित hands-on training के माध्यम से सरकारी कार्मिकों के लिए संरचित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर संचालित कर रहा है।

- अब तक 440+ सरकारी अधिकारियों को अल्पकालिक जागरूकता सत्रों तथा गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- प्रशिक्षण का मुख्य फोकस real-world cyber threats incident response तथा defensive skill development पर केंद्रित है।
- इन सतत कार्यक्रमों के माध्यम से CoE राज्य सरकार के विभागों में cyber security awareness, preparedness एवं skilled manpower को सुदृढ़ कर रहा है।

7.4 राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC)

राजस्थान राज्य डेटा सेंटर (RSDC) विभागों/एजेंसियों को G2G, G2C और G2B सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कुशल इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करता है। यह डेटा सेंटर अपनी सेवाओं/अनुप्रयोगों को एक सामान्य बुनियादी ढांचे पर होस्ट करता है, जिससे डेटा प्रबंधन, केंद्रीय संग्रह, आईटी प्रबंधन, संचालन और रखरखाव की कुल लागत कम होती है। RSDC की कुल क्षमता 800 रेक है– 4 डेटा सेंटर जयपुर और 1 DR साइट, जोधपुर में स्थापित हैं। वर्तमान में BSDC से 700 से ज्यादा Applications/websites/portals संचालित किये जा रहे है एवं सभी क्रिटिकल databases वास्तविक समय पर DR जोधपुर में प्रतिकृति किए जा रहे हैं। RSDC-P4 में 600 रैक प्रमाणित UPTIME टियर–4 डिज़ाइन हैं, जो 99.995% UPTIME सुनिश्चित करता है। यह भारत में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है।

7.5 राजस्थान सम्पर्क

"राजस्थान सम्पर्क" का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराना है। नागरिक आधुनिक संचार जैसे व्हाट्सएप, वॉयसबॉट, चैटबॉट, सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर इत्यादि के माध्यम से अपनी समस्याओं को दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही घर बैठे विभिन्न

सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। नागरिक शिकायत के वास्तविक जगह को मोबाइल ऐप के द्वारा टैग कर सकते हैं, जिससे शिकायत का समाधान त्वरित किया जा सकेगा।

परियोजना का उद्देश्य :-

- शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ बनाने के साथ–साथ सरकारी सेवाओं और योजनाओं को आमजन तक पारदर्शी और सरल तरीके से पहुँचाना।
- नागरिकों को घर बैठे आधुनिक संचार जैसे व्हाट्सप, वॉयसबॉट, चेटबॉट, सीएम हेल्पलाइन 181, वेब पोर्टल इत्यादि के माध्यम से शिकायत दर्ज करने एवं सरकारी सेवाओं/योजनाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा।
- शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए प्रक्रिया।
- विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए रिपोर्ट के माध्यम से शिकायतों की उचित ट्रैकिंग और सक्षम निगरानी करना।
- सभी विभागों के लिए शिकायत निवारण की समरूप और प्रमाणीकृत प्रक्रिया।

परियोजना का लाभ :-

- शिकायत निवारण के लिए केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म।
- विभिन्न विभागों और परियोजनाओं जैसे कि आपातकालीन सेवाऐं, मनरेगा, ईमित्र आदि के लिए कॉल सेंटर की सेवाएं प्रदान की जा रही है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर इत्यादि के कॉल सेन्टर के अलावा राज्य के अन्य मुख्य विभाग भी सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर से एकीकृत हैं। प्रतिदिन औसतन 80,000 से अधिक कॉल सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।
- इस प्रणाली के माध्यम से 2.08 करोड से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और 2.07 करोड़ से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। जिला स्तर पर विषयों और अधिकारियों को जोड़ने की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
- सभी विभागों के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण की निगरानी की प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शुरू की गई है। कलेक्टर एवं विभागाधिकारियों को, शिकायतों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने और किसी भी शिकायत को उनके सम्बन्धित जिलों के दायरे में पुनः कार्यवाही का अधिकार दिया गया है।
- जिलेवार एवं विभागवार निगरानी को सक्षम बनाने के लिये विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड लॉन्च किये गए हैं जो विभिन्न मापदण्डों पर सम्बन्धित जिलों के शिकायतों के समाधान से सम्बन्धित प्रदर्शन और रैकिंग को दर्शाते हैं।

- टोल–फ्री नम्बर 181 पर कॉल करके आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं तथा शिकायतों के समाधान की वास्तविक स्थिति जान सकते हैं। लिंक http://sampark.rajasthan.gov.in/ टोल–फ्री नम्बर पर नागरिक सम्पर्क केन्द्र के माध्यम से राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह केन्द्र 24x7 कार्य करता है।
- नागरिक एक ही प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यदि आवेदन में कोई कमी रह जाती है, तो नागरिक को डिजिटल माध्यमों जैसे कि वॉइसबोट, 181 कॉल सेंटर, एसएमएस इत्यादि से नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, जिससे वे आसानी से आवेदन में सुधार कर सकते हैं।
- कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप में एकीकृत एआई–आधारित वॉयसबॉट और चैटबॉट नागरिकों को वॉयस / चैट कमांड का उपयोग करके शिकायत या सेवा अनुरोध दर्ज करने में मदद करता है।
- सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन करते समय नागरिकों को बार–बार अपनी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि) भरने की आवश्यकता नहीं होती है। आवेदन में आवश्यक जानकारी जनआधार डेटाबेस से स्वतः प्राप्त कर ली जाती है।
- आधुनिक तकनीक जैसे कि वॉयसबोट, 181 कॉल सेंटर का उपयोग कर लाभार्थियों से फीडबैक लेकर रियलिटी चैक सर्वे के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं, नीतियों और सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आंकलन कर रही है।

परियोजना की वर्षवार प्रगतिः-

Rajasthan Sampark Report										
Year Wise Comparison Report										
वर्ष	कुल दर्ज शिकायत	निस्तारित शिकायत	निस्तारित %	औसत निस्तारण समय	कुल संतुष्ट	संतुष्टी %	तुष्ट राहत संतुष्ट	राहत संतुष्टी %	रद्द तुष्टी	रद्द संतुष्टी %
2018	15,48,147	15,48,147	100.00%	56	6,52,996	55%	3,30,861	70%	3,22,135	45%
2019	17,17,113	17,17,113	100.00%	36	7,10,720	51%	3,46,985	63%	3,63,735	43%
2020	17,78,324	17,78,323	100.00%	26	8,87,812	60%	4,64,653	66%	4,23,159	55%
2021	19,89,495	19,89,495	100.00%	22	9,74,618	60%	5,29,985	69%	4,44,633	51%
2022	23,40,351	23,40,350	100.00%	23	9,15,259	59%	5,21,951	67%	3,93,308	51%
2023	28,20,583	28,20,580	100.00%	31	12,73,294	67%	7,40,765	72%	5,32,529	61%
2024	33,32,834	33,32,834	100.00%	15	15,28,864	62%	9,50,650	69%	6,13,527	54%
2025	34,01,907	33,05,295	97.16%	15	13,86,925	62%	10,21,771	68%	3,65,154	50%

7.6 राजवीसी

राजस्थान सरकार ने विभाग मुख्यालय, विभाग कार्यालयों, जिला मुख्यालयों (प्रत्येक DHQ में 2), एसडीएम/तहसील कार्यालयों, नगर निगमों और ब्लॉक मुख्यालयों में हार्डवेयर आधारित वीसी सेटअप स्थापित किया हैं। जोधपुर में एक डीआर साइट भी मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई हैं, ताकि इस सेटअप के पूरे राजस्थान में कभी विफल होने की स्थिति में, उपयोगकर्ता के लिए निर्बाध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुभव का प्रबंध किया जा सके। राजस्वान/राजनेट नेटवर्क का उपयोग पूरे राजस्थान में अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा की उपलब्धता के लिए किया जाता हैं।

वीसी सुविधा के अलावा, राजस्थान सरकार ने राज्य में संभाग स्तर पर, राज्य मुख्यालय जयपुर में दो और राजस्थान के बाकी संभाग मुख्यालयों उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में इमर्सिव टेलीप्रेजेंस स्टूडियो भी स्थापित किया गया हैं।

परियोजना का उद्देश्य:-

- यह परियोजना राज्य सरकार के कार्यालयों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त वीसी कक्ष स्थापित करके और वीसी कक्षों के साथ–साथ टेलीप्रेजेंस समाधान का अधिकतम उपयोग करने और सिस्टम इंटीग्रेटर और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की मौजूदा टीम द्वारा प्रशासन का समर्थन करने के लिए एफएमएस सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।
- इसका प्रमुख उद्देश्य G2G के कामकाज की समग्र प्रणाली में दैनिक कार्य, संचालन और गति में दक्षता, विश्वसनीयता और जवाबदेही लाना हैं।

परियोजना का लाभ :-

- यह परियोजना राज्य तंत्र के विभिन्न अंगों के मध्य संवाद एवं समन्वय का एक मजबूत आधार हैं।
- इसके माध्यम से बैठक कभी भी कहीं से भी की जा सकती हैं, जिससें समय एवं धन की बचत होती हैं।
- इस परियोजना में ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में आईपी टेलीफोनी सेवा की सुविधा प्रदान की गई हैं। जिसके माध्यम से प्रशासन एवं राज्य के नागरिकों में सीधा संवाद स्थापित हो सका हैं।

परियोजना की प्रगति :-

- सरकार ने राज्य भर के विभिन्न सरकारी विभागों में 760 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टूडियो रूम स्थापित किए हैं। जिनकी सहायता से राज्य सरकार सालाना 7000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित करती हैं।

- राज्य ने एक सॉफ्टवेयर–आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान भी क्रियाशील किया हैं। यह सेटअप राज्य के निवासियों को जोड़ने के लिए स्थापित किया गया हैं। इस मंच का उपयोग करके राज्य भर में प्रति माह 2000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- CM हेल्पलाईन 181 सहित सचिवालय, सभी सरकारी विभागों, कलेक्ट्रेट और ग्रामीण के अधिकारियों के बीच सीधे संचार के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक 19000+ आईपी टेलीफोन स्थापित किए गए हैं।

7.7 राजनेट

राजनेट परियोजना के अंतर्गत राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यालयों/भवनों को नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यह विभिन्न कनेक्टिविटी माध्यमो से ग्राम पंचायत स्तर तक नेटवर्क स्थापित करने की योजना है। राजनेट नेटवर्क ग्राम पंचायत स्तर तक ई–मित्र, ई–मित्र प्लस मशीनों, वाई–फाई, आईपी फोन, वीसी या लाईव प्रसारण एवं त्वरित ई–गवर्नेंस सुविधाओं की अदायगी के लिए मुख्य आधार है।

परियोजना का उद्देश्य -

परियोजनान्तर्गत, राज्य में नागरिक सेवाओं एवं विभागीय ई–गवर्नेंस सुविधाओं के प्रभावी वितरण के लिए समस्त ग्राम पंचायत स्तर तक के सरकारी कार्यालयों/भवनों को कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना है । राजनेट परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

1. राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यालयों/भवनों को इन्टरनेट कनेक्टिविटी।
2. नेटवर्क की निगरानी के लिए केंद्रीकृत नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (CINOC)
3. ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त अटल सेवा केंद्र (ASK) में ई–मित्र कियोस्क, ई–मित्र प्लस मशीन, वाई–फाई, आईपी फोन, ई–गवर्नेंस सुविधाओं की अदायगी के लिए और अन्य उपलब्ध आईटी उपकरणों को कनेक्टिविटी।
4. राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक वीसी या लाईव प्रसारण के लिए पर्याप्त कनेक्टिविटी।

परियोजना का लाभ-

1. 273 PoP रूम राजनेट परियोजना के अंतर्गत स्थापित किये जा चुके है।
2. 9200+ ग्राम पंचायतों में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।

3. 15000+ कार्यालयों में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है (पुलिस, पंजीयन एवं स्टाम्प, परिवहन, पर्यटन, वन, जेल, शिक्षा, चिकित्सा आदि 50+ विभागों) । 7010 कार्यालय ओएफसी से जुड़े हैं और 9000 कार्यालय अन्य ISP के माध्यम से जुड़े हैं।
4. 12000+ नाईट विजन एचडी कैमरों को अभय कमांड कंट्रोल सेंटर के तहत शहरी क्षेत्रों की निगरानी हेतु नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
5. 5280+ किलोमीटर ओएफसी को राजनेट परियोजना के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
6. राजनेट परियोजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से इंटरनेट सुविधा दी जा रही है।
7. वाईल्ड लाईफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजनेट परियोजना के माध्यम से 85 कैमरों को नेट कनेक्टिविटी दी जा रही है।
8. अटल सेवा केंद्र में ग्राम पंचायत स्तर पर ई–मित्र कियोस्क, ई–मित्र प्लस मशीन, आईपी फोन, वाई–फाई और अन्य आईटी उपकरणों द्वारा कनेक्टिविटी का उपयोग किया जा रहा है।

राजनेट परियोजना के अंतर्गत राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक सरकारी कार्यालयों/भवनों को इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए भारतनेट OFC का उपयोग -

दूर–दराज के इलाकों में भारतनेट OFC का उपयोग कर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार को राज्य की डिजिटल क्रांति के रूप में देखा जा सकता है, जो राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़कर डिजिटल सेवाओं को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुचाने की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल पहुंच के साथ ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस परियोजना का प्रयास सामाजिक–आर्थिक विकास को गति देना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

इस परियोजना के तहत फाईबर के माध्यम से सभी पंचायतों को नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर ओएफसी का उपयोग करके बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। जो निम्नानुसार है –

1. परियोजना के तहत अब तक लगभग 8700 से अधिक ग्राम पंचायतों को OFC कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका हैं।
2. कनेक्टिविटी का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यालयों के अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा किया जा रहा है।
3. भारतनेट कनेक्टिविटी का उपयोग अटल सेवा केन्द्रों पर स्थित ई–मित्र कियोस्क, ई–मित्र प्लस मशीन एवं अन्य आईटी उपकरणों द्वारा किया जा रहा है।

राजनेट ओएफसी परियोजना का उद्देश्य-

- ओएफसी कनेक्टिविटी द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आमजन को ई–गवर्नेंस सेवायें एवं उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवायें उपलब्ध करवायी जा रही है।
- ओएफसी द्वारा अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर परियोजनान्तर्गत लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है साथ ही हाई स्पीड इन्टरनेट सुविधा द्वारा 5 संरक्षित वन क्षेत्र के वन्य जीवों की निगरानी तंत्र एवं अवैध शिकार को रोकने हेतु निगरानी की जा रही है।
- ओएफसी परियोजनान्तर्गत आर.एफ. टावर एवं वीडियोवॉल के लिए हाई स्पीड इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। जिला, मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर पर विडियो वॉल द्वारा विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और लाईव इवेन्ट्स की स्ट्रिमिंग का प्रसारण करने के लिये ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है।
- राजनेट ओएफसी परियोजनान्तर्गत पुलिस विभाग के कार्यालयों, पुलिस थानों, जेल तथा न्यायालयों में ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई गयी है, जिसके माध्यम से शिकायत एवं ऑनलाईन सुनवाई का कार्य किया जा रहा है।

राजनेट ओएफसी परियोजना का लाभ-

राजनेट ओएफसी परियोजनान्तर्गत सचिवालय/जिला/ब्लॉक/ नगरपालिका मुख्यालय के सरकारी दफ्तरों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जा रही है। वर्ष 2025–26 तक लगभग 6,900 सरकारी कार्यालयों एवं 4500 कैमरा पोल एवं लगभग 11,000 सी.सी.टी.वी. कैमरों के लिये हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु लगभग 4978 कि.मी. ओएफसी बिछाई जा चुकी है। पांच रिजर्व फॉरेस्ट (झालाना नेचर पार्क, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, जवाईबाघ लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व) को हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु लगभग 230 कि.मी. ओएफसी बिछाई जा चुकी है।

राजनेट ओएफसी परियोजना की वर्षवार प्रगति-

क्रम संख्या	वर्ष	राजनेट ओएफसी लम्बाई (कि.मी.)
1	2016-17	141.359
2	2017-18	484.076
3	2018-19	957.806
4	2019-20	771.056
5	2020-21	645.550
6	2021-22	350.330
7	2022-23	356.210
8	2023-24	256.240
9	2024-25	781.430
10	2025-26	536.00
	कुल लम्बाई	5280.057

7.8 राज वाई-फाई

राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सुधारों के तहत ग्राम पंचायत एवं विभिन्न सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर वाई–फाई नेटवर्क स्थापित करने की कल्पना की हैं।

परियोजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से राज वाईफाई परियोजना संचालित की जा रही हैं।

परियोजना का लाभ

वाईफाई की सुविधा सभी विभागीय मुख्यालयों एवं समस्त जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करा दी गई हैं। वर्तमान में राज्य की कुल 11000+ ग्राम पंचायतों में से 9,447 ग्राम पंचायतों पर ग्रामीण क्षेत्र में कुल 10500+ वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। उक्त सुविधा संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका उपभोग लगभग 1.5+ लाख उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा हैं। पूर्व में ज्यादातर ग्राम पंचायतों पर एमपीएलएस के माध्यम से वाई–फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई थी, जिसे वर्तमान में भारतनेट (BBNL) नेटवर्क पर शिफ्ट किया जा रहा हैं। भारतनेट नेटवर्क पर एमपीएलएस कनेक्टिविटी की तुलना में बेहतर इंटरनेट स्पीड़ मिलती हैं जिससे भविष्य में वाई–फाई नेटवर्क की उपयोगिता और बढ़ेगी।

7.9 ई-मित्र

राज्य में लगभग 76,000 से अधिक ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आम जन को सरकारी/गैर–सरकारी क्षेत्र की लगभग 600 नागरिकोन्मुखी सेवाएं प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली से घर के नजदीक उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आम जन को ई–मित्र की सेवाएं ई–मित्र कियोस्क, मोबाइल एप, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

इसी क्रम में सेवाओं को और सुगम तरीके से आम जन तक पहुचने हेतु विभाग द्वारा ई–मित्र मोबाइल एप को revamp किया गया है। जिसके माध्यम से आम जन घर बैठे ई–मित्र की विभिन्न सेवाओं का लाभ ले सकता है।

राज्य सरकार ई–मित्र को नागरिक–प्रथम फेसलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिये AI संचालित Whatsapp और chatbot के माध्यम से आम जन को सुगमता से सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु भी कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त ई–मित्र परियोजना द्वारा लगभग 250 (B2C) से अधिक निजी क्षेत्र की सेवायें जैसे– डिजिटल शिक्षा, home loan, कृषि, चिकित्सा परामर्श, म्यूच्यूअल फंड्स, Insurance, PAN card, बैंकिंग, ITR इत्यादि भी आम–जन तक पहुँचाई जा रही हैं।

7.10 ई-मित्र प्लस

ई–मित्र प्लस ग्रामीण सेल्फ सर्विस कियोस्क हेतु एवं ई–मित्र प्लस शहरी पहचान सर्विस कियोस्क हेतु बजट घोषणा की पालना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्रों में 9891 ई–मित्र प्लस सर्विस एटीएम तथा शहरी क्षेत्र में 5000 ई–मित्र प्लस मशीनें स्थापित की गई है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 14891 ई–मित्र प्लस मशीनों की स्थापना की गई।

परियोजना का उद्देश्य

ई–मित्र प्लस ई–सेवा प्रदान करने में एक क्रान्तिकारी कदम हैं। मानवरहित स्वयंसेवी ई–मित्र प्लस कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों/संगठनों/सार्वजनिक स्थानों एवं साथ ही गैर सरकारी स्थानों पर स्थापित किया गया हैं। ई–मित्र प्लस पूरे देश में अपनी तरह की अनूठी पहल हैं।

परियोजना का लाभ :-

इन कियोस्कों पर क्यूआर कोड के माध्यम से पानी, बिजली के बिल आदि का भुगतान किया जाता है। इन स्वचालित कियोस्कों से विभिन्न प्रमाण–पत्र, ई–कार्ड (आधार, जन–आधार), जनसूचना पोर्टल की सूचनाएं एवं पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र के वार्षिक सत्यापन की सेवा भी निःशुल्क उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, जन सुनवाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं राजकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।

परियोजना की वर्षवार प्रगति -

क्र सं	ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से किये जा रहे ट्रांजेक्शन	ट्रांजेक्शन
1	ई–मित्र सेवाओं के ट्रांजेक्शन	1.1 Cr. +
2	पेन्शनर्स ने जीवन प्रमाण पत्र हेतु निःशुल्क वार्षिक सत्यापन	5.2 Lakh +
3	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ट्रांजेक्शन	4.87 Lakh +
4	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के ट्रांजेक्शन	4.08 Lakh +
5	क्यूआर कोड के ट्रांजेक्शन	92,000 +

7.11 राजस्थान-पेमेंट प्लेटफॉर्म

राजस्थान पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म (RPP) राज्य की ई–गवर्नेंस नीति के तहत वर्ष 2016–17 में विकसित एक एकीकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जो सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की सभी भुगतान (कोषागार के अलावा) एवं वितरण आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह केंद्रीकृत भुगतान रूटिंग इंजन प्रदान करता है, जो सभी भुगतान (कोषागार के अलावा) और संवितरण

गतिविधियों पर नजर रखते हुए उनको सम्पन्न करने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है। साथ ही, विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं के लिए भुगतान गेटवे और बैंकों को एकीकृत करने हेतु एक ही प्लेटफॉर्म प्रदान कर विभिन्न विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को कम कर प्रणाली को सुगम बनाता है।

परियोजना का उद्देश्य :-

आरपीपी का प्राथमिक उद्देश्य सभी बैंकों और भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को एक साझा मंच पर लाना और उन्हें अंतिम उपयोगकर्ता विभागों तक एकीकृत तरीके से कम से कम लागत में पहुंचाना है ताकि उनकी ऑनलाईन प्रणालियों के माध्यम से निधियों का निर्बाध संग्रह और वितरण हो सके, साथ ही राजकीय व्यय को कम किया जा सके।

परियोजना का लाभ -

- एकीकृत प्रशासनिक प्रक्रिया (एक समझौता – कई सेवाएँ), जिससे विभागों को बैंकों या पेमेंट गेटवे के साथ अनुबंध/समझौते करने की झंझट से मुक्ति मिलती है।
- केंद्रीकृत वार्ता (Centralized Negotiation) के कारण न्यूनतम सुविधा शुल्क (Convenience Fee) दरें।
- विभाग और बैंक/एग्रीगेटर के बीच आसान लेखा मिलान (Account Reconciliation) तथा विवाद समाधान में RISL टीम द्वारा सहायता।
- RPP पोर्टल और बैंक/एग्रीगेटर के पोर्टल के माध्यम से विस्तृत एमआईएस (MIS) रिपोर्टिंग की सुविधा।

परियोजना की प्रगति -

Area	Count
Departments/ PSU'S	65+
Pay Modes Types	7+
Banks Integrated	50+
Payment Gateway Integrated	35+
Departments Integrated under Collection	675+
Departments Integrated under Disbursement	30+
Accounts On-boarded for Collection of funds	750+
Accounts On-boarded for Disbursement of funds	18500+

7.12 राज ई-साईन (Raj E-Sign)

राज ई–साइन (Raj-eSign) परियोजना का कार्यान्वयन अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ और RISL ने 19.09.2019 को eSign और DSC सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रमाणन प्राधिकरण (Certifying Authority) के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया। ई–साईन प्रक्रिया को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक (स्टेट ऑफ द आर्ट) आई. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना जोधपुर के डाटासेंटर में की गई हैं। राज्य सरकार के उपक्रम RISL को प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक द्वारा वर्ष 2019 में प्रमाणन प्राधिकारी का लाईसेंस प्रदान किया गया हैं, जिसके माध्यम से नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल सिग्नेचर एवं ई–साइन जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

राज ई–साइन (Raj-eSign) सेवा राजस्थान सरकार की ई–गर्वनेन्स परियोजनाओं में एक नवीन पहल है, जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों पर आसान, सुरक्षित और प्रभावी तरीके से हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए हस्ताक्षरकर्ता की पहचान UIDAI की e-KYC सेवाओं के माध्यम से प्रमाणित की जाती है।

परियोजना का उद्देश्य :-

- ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और प्रमाणिक बनाना।

- पेपरलेस कार्यालय और सार्वजनिक सेवा स्वचालन को बढ़ावा देना।
- दक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- राज्य सरकार की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय की बचत करना।

परियोजना का लाभ :-

- ई–गर्वनेन्स परियोजनाओं के दस्तावेजों को डिजिटल हस्ताक्षर करने में ई–साईन की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इससे दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है।
- आधुनिक आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सभी डिजिटल हस्ताक्षरों का सुरक्षित और केंद्रीकृत प्रबंधन एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो सरकार की विभीन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है।
- ई–साईन प्रोजेक्ट कागज रहित पारदर्शी सरकार की तरफ एक बडा कदम है जो पेपरलेस सेवा वितरण के मिशन को साकार करती है। साथ ही राज्य के राजस्व और प्रशासनिक खर्च में कमी करती है।
- राज ई–साईन कार्यालयों में पेपरलेस कार्य प्रणाली स्थापित कर तेज़ और सुरक्षित सेवा वितरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

परियोजना की प्रगति :-

- CA eSign सिस्टम का उपयोग करने वाले मुख्य एप्लिकेशन :–
- Pehchan, CCTNS, IFMS, RAJ Health, Silicosis, Anukampa, Secondary Education, IGRS, LSG Mutation, LSG Fire, LSG Trade, Shilp and Mati Kala Board, TAD, TMS, End to End Exam System
- CA eSign सिस्टम का उपयोग कर रहे विभागः– लगभग 45
- कुल जारी DSC की संख्याः– लगभग 80
- कुल जारी Document Signer Certificate की संख्याः– 8
- CA eSign सिस्टम के माध्यम से लगभग 3 से 4 लाख डिजीटल साईन (eSign) प्रतिमाह किए जाते हैं।

7.13 स्टेट पोर्टल

आमजन को राजस्थान सरकार से सम्बन्धित सभी जानकारी जैसे सचिवालय, प्रशासन, विभिन्न विभाग, निर्वाचन, न्यायपालिका, विधानसभा, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ई–बाजार, आमजन से जुड़ी सुविधाएं, राजस्थान की कला, संस्कृति, विरासत, पर्यटन संबंधी जानकारी/व्यवहार आदि एकीकृत रूप से राजस्थान स्टेट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्टेट पोर्टल पर राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के वेब पोर्टल/वेबसाईट एवं विभिन्न सेवाओं की जानकारी सुलभ उपलब्ध है।

7.14 एकीकृत सरकारी पोर्टल

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभाग /बोर्ड /आयोग आदि की जानकारी, संबंधित योजनाएं एवं ऑनलाईन सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने हेतु ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग, पर्यावरण, अर्बन, परिवहन, कानून एवं न्याय, भू–राजस्व, अल्पसंख्यक मामलात इत्यादि लगभग सभी विभागों के एकीकृत सरकारी पोर्टल एवं वेबसाईट का निर्माण किया जाकर नियमित अद्यतन किया जा रहा है। समय समय पर पोर्टल एवं वेबसाईट की सुरक्षा हेतु ऑडिट करवाया जाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे साइबर सुरक्षा के उच्चतम मानकों को पूरा कर रहे हैं। सभी वेबसाईट/पोर्टल को लेपटॉप, टेबलेट, मोबाइल एवं सभी डिवाइस अनुरूप बनाया गया है तथा GIGW 3.0 के अधिकतम मानकों का समावेश किया जाकर वेबसाईट/पोर्टल को दिव्यांग/विशेषजन सुगम बना दिया गया है।

7.15 ई-संचार 2.0

ई–संचार एप्लीकेशन विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोनाओं को जनसाधारण एवं विभागीय कर्मचारियों को विभिन्न सूचनाएं एवं अलर्ट एस.एम.एस. एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजने की सुविधा उपलब्ध करवाता हैं तथा आम जन से एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं/संदेशों को परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करवाता हैं। इस वेब आधारित ए.पी.आई. के माध्यम से किसी भी विभागीय एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया जा सकता हैं।

परियोजना का उद्देश्य:

परियोजना का मुख्य उद्देश्य सभी ई–गवर्नेंस परियोजनाओं हेतु एस.एम.एस. एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से नागरिकों तक सूचना पहुँचाने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना हैं।

परियोजना का लाभ :

ई–गवर्नेंस परियोजनाओं को एस.एम.एस एवं व्हाट्सऐप की सेवाएं एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध होती हैं। ई–संचार परियोजना के मूल–सेवा प्रदाताओं के परिवर्तन की स्थिति में, इंटीग्रेटेड ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के स्तर पर किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती हैं।

SMS Messages

Year	2021	2022	2023	2024	2025
SMS Sent	40,99,40,518	86,36,99,331	1,92,51,84,839	1,36,50,87,586	1,58,92,69,995 (Till Dec. 2025)

WhatsApp Business Messaging System

Year		2023	2024	2025
WhatsApp	Message Sent	99,26,759	24,77,310	5,67,13,080 (Till Dec. 2025)

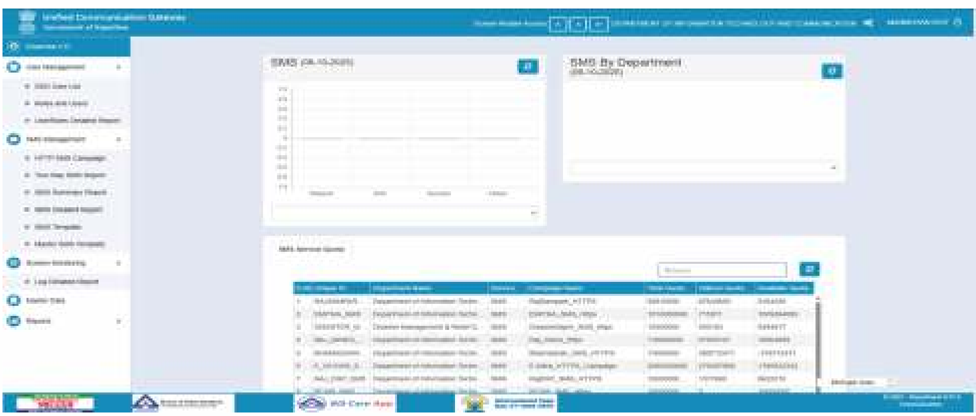

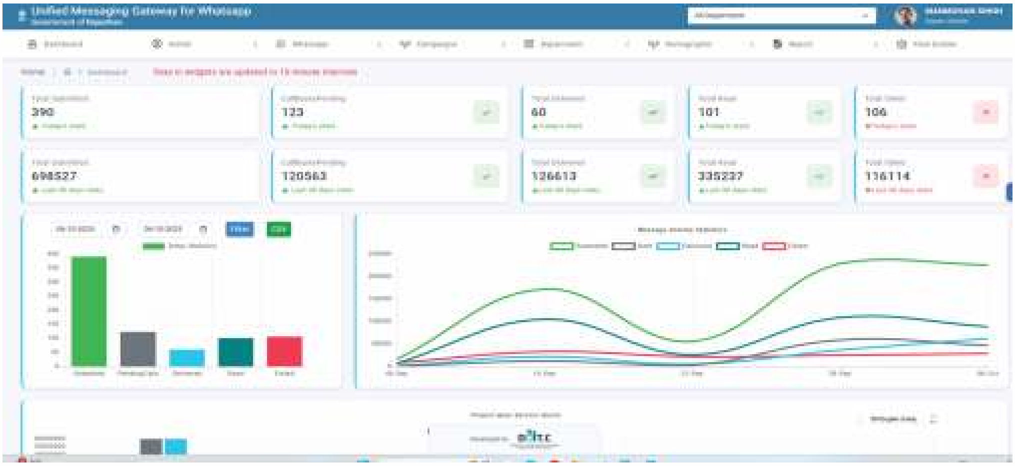

7.16 राज-मास्टर (स्टेट मास्टर डाटा हब)

यह हब विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन की आवश्यकतानुसार हर प्रकार का मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इस हब के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मास्टर डाटा जैसे भौगोलिक वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के आंकडे जो विभागीय एप्लीकेशन में प्रयुक्त होते है, सभी उपलब्ध है। डाटा हब विभागीय ऐप्लीकेशन्स को वेब सर्विसेज के माध्यम से मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इससे विभागीय ऐप्लीकेशन्स मे मास्टर डाटा के इंटीग्रेशन मे समय और धन की बचत होती है। वर्तमान में राज्य के 48 से अधिक विभाग राज–मास्टर सर्विस का उपयोग कर रहे है। राज–मास्टर एप्लिकेशन मे विभिन्न प्रकार के डेटा के 80 से अधिक मास्टर उपलब्ध है। पिछले एक वर्ष में इन विभागो द्वारा अपनी विभिन्न एप्लीकेशन में लगभग 1.32 लाख बार राज–मास्टर में उपलब्ध डेटा का उपभोग किया गया है।

7.17 राजकाज (इन्टीग्रेटेड राज ई-ऑफिस)

राजस्थान सरकार के सभी राजकीय विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /बोर्ड/ कॉरपोरेशन/निगम इत्यादि में विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाईन करते हुए कर्मचारियों /अधिकारियों के हित में राजकाज (इन्टीग्रेटेड राज ई–ऑफिस) परियोजना का संचालन किया जा रहा हैं। राजकाज सॉफ्टवेयर में 75 प्रशासनिक विभागों के 442 संगठनों (विभाग/पीएसयू/ बोर्ड/कमीशन/निगम/ परिषद आदि) के 57 हजार से अधिक कार्यालयों तथा 10 लाख से अधिक कार्मिकों को जोड़ा जा चुका हैं।

राजकाज के निम्नलिखित मॉड्यूल्स का क्रियान्वयन प्राथमिकता से किया जा रहा है:—

1. **ई-फाईल प्रबंधन (e-File Management)**:— ई—फाइल मॉड्यूल सुशासन एवं पारदर्शिता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा हैं। ई—फाईल मॉड्यूल का संचालन/क्रियान्वयन सरकार के सभी विभागों में सफलतापूर्वक किया जा रहा हैं। ई—फाईल मॉड्यूल के माध्यम से विभागों में कार्यालय—टिप्पणी से लेकर पत्रावली अनुमोदन तक की प्रक्रिया ऑनलाईन एवं पेपरलेस हो रही हैं। विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र/पत्र आदि के ड्राफ्ट के ऑनलाईन ही अवलोकन, अनुमोदन एवं डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध हैं।

2. **डाक प्रबंधन (Dak Receipt & Dispatch Management)**:— विभागों को प्राप्त होने वाले दैनिक पत्र/डाक आदि की राजकाज के DAK मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन Inward Entry किये जाने एवं तत्पश्चात डाक को संबंधित कार्मिक को मार्क करने और इस पर विभागीय टिप्पणी अंकित करने या डाक को संबंधित फाइल से जोडे जाने का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता हैं। विभागों द्वारा जारी होने वाले पत्रों की Outward Entry/ Dispatch की सुविधा भी इस मॉडयूल में उपलब्ध करवायी गयी हैं।

3. **वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report)**:— कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.07.2017 के अनुसार वर्ष 2017—2018 से समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं परिपत्र दिनांक 30.03.2022 के अनुसार वर्ष 2021—2022 से समस्त कार्मिकों द्वारा अनिवार्यतः वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज के माध्यम से ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वर्ष 2022 की बजट घोषणा की अनुपालना में प्रतिवेदन का निर्धारित समय सीमा में मूल्यांकन नही होने पर सॉफ्टवेयर द्वारा APAR को अगले स्तर पर Auto-Forward करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी हैं।

4. **अचल सम्पत्ति विवरण (Immovable Property Return)**:— कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के अनुसार वर्ष 2018 से समस्त राजपत्रित अधिकारियों व परिपत्र दिनांक 29.06.2021 के अनुसार वर्ष 2021 से राज्य सरकार में कार्यरत समस्त अराजपत्रित कार्मिकों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण अनिवार्यतः राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

5. **अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश नकदीकरण का आवेदन (Leave Management & Leave Encashment)**:— कार्मिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवकाश एवं अवकाश नकदीकरण

के लिए आवेदन किये जाने से लेकर स्वीकृति तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया राजकाज के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वित की जा रही है।

6. **अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)**:— उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, विदेश यात्रा/पासपोर्ट/वीजा आदि के लिये राजकार्मिकों को नियमानुसार अपने नियोक्ता विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की आवश्यकता रहती हैं। राजकाज एप्लीकेशन के इस मॉड्यूल के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के आवेदन से अनुमोदन तक की प्रक्रिया ऑनलाईन उपलब्ध करवाई गयी है।

7. **राजकीय आवास प्रबंधन (Govt. Accommodation Management)**:— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.06.2021 के द्वारा, राजकीय आवास हेतु आवेदन/आवंटन की प्रक्रिया को राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है।

सॉफ्टवेयर में उपलब्ध अन्य मॉड्यूलः-

विभागीय संरचना और कर्मचारी सूचना प्रणाली (Organization & Employee Information System), स्थानान्तरण एवं पदोन्नति प्रबंधन (Transfer & Promotion Admin), स्टोर प्रबंधन (Store Management), यात्रा प्रबंधन (Tour Management), कैबिनेट मैमो एवं बैठक प्रबंधन (Cabinet Memo & Meeting Management), टेलिफोन बिल पुर्नभुगतान (Telephone Bill Reimbursement), कार्मिक सूची प्रबंधन (Civil List Management) और आगन्तुक पास प्रबंधन (Visitor Pass Management) इत्यादि।

7.18 विडियोवॉल

राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर तक के आमजन/निवासियों के लिये विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और लाईव ईवेन्ट्स की ऑडियो–विडियो स्ट्रीमिंग, विडियो content का प्रसारण करने के लिये 339 विडियोवॉल की स्थापना की गई है। इन विडियोवॉल पर स्वचलित सूचनाएं प्रसारित होती है तथा कार्यक्रमों का दृश्य–श्रव्य (live webcast) होता है। जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को इन विडियोवॉल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

वर्ष 2025–26 हेतु विभिन्न विभागों जैसे DIPR, CMO/PMO, Social Justice, Collectorate, National Lok Adalat, Rajasthan Police, Agriculture Department, Medical and Health Department इत्यादि से प्राप्त विडियो content, ऑडियो–विडियो स्ट्रीमिंग का सफलता पूर्वक संचालन/प्रसारण किया गया।

List of Installed Video-wall District Wise

Sr. No.	District	No.	Sr. No.	District	No.
1	Ajmer	9	22	Jalore	9
2	Alwar	8	23	Jhalawar	10
3	Balotra	8	24	Jhunjhunu	9
4	Banswara	11	25	Jodhpur	13
5	Baran	8	26	Karauli	7
6	Barmer	10	27	Kota	7
7	Beawar	4	28	Kotputli-Behror	6
8	Bharatpur	7	29	Khairthal_ Tijara	4
9	Bhilwara	13	30	Nagaur	8
10	Bikaner	9	31	Pali	9
11	Bundi	6	32	Pratapgarh	6
12	Chittorgarh	12	33	Phalodi	5
13	Churu	8	34	Rajsamand	8
14	Dausa	7	35	Salumber	5
15	Deedwana-Kuchaman	7	36	Sawai Madhopur	6
16	Deeg	5	37	Sri Ganganagar	10
17	Dholpur	6	38	Sikar	10
18	Dungarpur	11	39	Sirohi	6
19	Hanumangarh	8	40	Tonk	7
20	Jaipur	19	41	Udaipur	14
21	Jaisalmer	4		**Total**	**339**

7.19 राज ई-वॉल्ट

राज ई–वॉल्ट एक Document Management System है जो नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऑफिशियल दस्तावेजों (जैसे–प्रमाण पत्र, अंकतालिका, NOC इत्यादि) के साथ–साथ नागरिक के व्यक्तिगत दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य, कागजी कार्यवाही की आवश्यकता को न्यूनतम करना और सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों को डिजिटली सुरक्षित रखना है, जिससे भविष्य में जरुरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।

वर्तमान में राज ई–वॉल्ट पर आम–जन और विभिन्न विभागों के 86 करोड़ से भी ज्यादा दस्तावेज संग्रहित है तथा विभिन्न विभागों की ऑनलाइन एप्लीकेशन्स के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख दस्तावेज अपलोड किये जाते हैं।

परियोजना का उद्देश्य

राज ई–वॉल्ट वर्तमान में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों (DMG, जन आधार, पहचान, ई–मित्र, SJE, SIPF, LMD, RAJMASTER, AG OFFICE, राजसंपर्क, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इत्यादि) के विभागीय दस्तावेजों/फाइलों के साथ–साथ नागरिकों को जारी किए गए प्रमाण पत्र/लाइसेंस जैसे (जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल–निवास प्रमाण पत्र) इत्यादि को डिजिटली रखने की सुविधा प्रदान करता है। नागरिक अपनी SSO ID से Login करके Raj eVault के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ ले सकता है।

राज ई-वॉल्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें निम्नलिखित हैं:-

1. विभागीय सेवाएं:

- विभागीय डॉक्यूमेंट्स/फाइल्स को संग्रहित करना।
- विभागीय डॉक्यूमेंट्स/फाइल्स को निकालना/पुनः प्राप्त करना (Fetch/ Retrieve)
- विभागीय डॉक्यूमेंट्स/फाइल्स को अपडेट करना

2. सिटीजन सर्विसेज :-

- सिटीजन का अकाउंट बनाना।
- सिटीजन द्वारा डॉक्यूमेंट्स/सर्टिफिकेट्स को संग्रहित करना।
- सरकारी विभागों द्वारा सिटीजन के डॉक्यूमेंट्स/सर्टिफिकेट्स को नागरिक के अकाउंट में जारी करना।
- DigiLocker के साथ इंटीग्रेट करना।
- राज ई–वॉल्ट मोबाइल ऐप।
- सिटीजन राज ई–वॉल्ट पर जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन सर्टिफिकेट्स इत्यादि विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

7.20 सिंगल साईन ऑन (SSO)

सिंगल साईन ऑन (SSO), राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागो द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रयोग करने हेतु निर्मित एकीकृत प्लेटफॉर्म है। जिसमे उपयोगकर्ता द्वारा एकल यूजर आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से सभी विभागों की ऑन–लाईन उपलब्ध सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्य जैसे आवेदनों एवं फाईलों ईत्यादि का ऑनलाईन निस्तारण भी ई–गवर्नेंस स्कीम के तहत सिंगल साईन ऑन (SSO) प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। SSO के माध्यम से राजस्थान सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, ई–मित्र संचालकों, निवेशकों एवं नागरिकों को अब एक डिजिटल पहचान दी जा रही हैं। जिसकी सहायता से अधिकारी, कर्मचारी, ई–मित्र संचालक, निवेशक एवं नागरिक विभिन्न विभागों की ऑनलाइन एप्लीकेशनस का सुगमता से उपयोग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत लगभग 327 लाख SSO ID, 367 G2G एवं 236 G2C/G2B एप्लीकेशनस् उपलब्ध करवाई गयी हैं।

7.21 आधार डेटा वॉल्ट

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देशानुसार आधार नम्बर व उससे संबंधित सूचनाएं सुरक्षित डेटा वॉल्ट बनाकर उसमें रखना अनिवार्य है। विभाग ने इसके लिए केन्द्रीकृत आधार डाटा वॉल्ट का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा सभी विभागीय डेटाबेस जहां आधार नम्बर विद्यमान है, उन सभी एप्लिकेशन में आधार डेटा वॉल्ट एपीआई का उपयोग कर आधार डेटा को सुरक्षित रूप में संधारित किया जा रहा है। वर्तमान मे आधार डेटा वॉल्ट में 9.10 करोड़ से अधिक आधार एवं उससे संबंधित डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित है एवं इसकी संख्या लगातार बढती जा रही है।

7.22 राज सेवा द्वार (Raj Sewa Dwar)

राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) द्वारा सेन्ट्रलाईज्ड मिडलवेयर एंटरप्राइज़ सर्विस बस हेतु राज–सेवा द्वार प्रोजेक्ट की स्थापना की गयी है जो विभागीय अनुप्रयोगों और सेवाओं हेतु विकसित एपीआई के मध्य कनेक्टिविटी प्रदान करता है। राज–सेवाद्वार राजस्थान का एक

इंटेलीजेंट मिडलवेयर एंटरप्राइज़ सर्विस बस है, जो राज्य, राष्ट्रीय और निजी अनुप्रयोगों के लिए कनेक्टिविटी, एकीकरण और संयोजन का एक अद्वितीय द्वार प्रदान करता है। इस प्रकार, यह सभी सॉफ़्टवेयर सेवाओं की केंद्रीकृत तरीके से आसान, सुरक्षित और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करता है।

राजसेवा के अंतर्गत केंद्रीय API Store विकसित किया गया है, जिसमें सभी विभाग एवं अनुमोदित एजेंसियाँ APIs एवं Web Services के माध्यम से e-Governance सेवाएँ प्रदान करती हैं। यह प्लेटफॉर्म एक सूचना–केंद्रित Message Broker के रूप में कार्य करते हुए ट्रैफिक नियंत्रण, निगरानी एवं सेवा–प्रवाह प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह प्लेटफॉर्म G2G एवं G2B सेवाओं के मध्य प्रचलित तकनीकी जटिलताओं को न्यूनतम करते हुए सभी समेकित सेवाओं का केंद्रीकृत सूचीकरण सुनिश्चित करता है, जिससे भाषाई बाधाओं का निराकरण, विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि तथा डेटा–प्रबंधन में पारदर्शिता एवं सुगमता प्राप्त होती है।

अब तक, राज सेवा द्वार पर 45 से अधिक विभागों द्वारा कुल 1384 सेवाओं के लिए आवेदन किया गया है। राज सेवा द्वार पर अब तक कुल 1000 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं।

तकनीक और प्लेटफॉर्म

राज सेवाद्वार वर्तमान में आईबीएम क्लाउड पैक फॉर इंटीग्रेशन (CP4I) द्वारा कार्यरत है, जो रेड हैट ओपनशिफ्ट (कुबेरनेट्स) पर निर्मित एक हाइब्रिड इंटीग्रेशन प्लेटफ़ॉर्म है। यह संगठनों को ऑन–प्रिमाइसेस, क्लाउड और हाइब्रिड इंटरफेस में एप्लिकेशन, डेटा, सेवाओं और API को जोड़ने में मदद करता है। CP4I कई इंटीग्रेशन सेवाओं को एक ही स्थान पर लाता है, जैसे API प्रबंधन (API कनेक्ट), एप्लिकेशन इंटीग्रेशन (ऐप कनेक्ट), इवेंट एंडपॉइंट मैनेजमेंट और सिक्योर गेटवे (डेटापावर)।

उद्देश्य

राज सेवा द्वार का आर्किटेक्चर कई कार्य करता है–

- सभी सरकारी विभागों की सेवाओं/APIs को ऑन–बोर्ड करना।
- उपभोक्ता विभागों के अनुरोधों का वेरिफिकेशन करना।
- यह उपभोक्ता विभागों को सेवा और प्रबंधन प्रदान करता है, जिसे अधिकृत SSO ID पर प्रकाशित किया जाता है।
- प्रोड्यूसर की आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा सेवाओं में संशोधन करना।
- सब्सक्राइबर की आवश्यकता के अनुसार कस्टम नीतियाँ लागू करना, जैसे: IP प्रतिबंध लागू करना, सेवा ट्रांजेक्शन की संख्या पर सीमा लगाना आदि।

- बाहरी नेटवर्क पर संगठन की सेवाओं/APIs पर एक प्रॉक्सी लेयर बनाकर संसाधनों की प्रॉक्सी करना, ताकि सुरक्षा जोखिमों से बचा जा सके।
- प्रोड्यूसर की आवश्यकता के अनुसार किसी भी सेवा को कभी भी प्रतिबंधित/रद्द करना।

राज सेवा द्वार द्वारा किए जाने वाले प्रबंधन कार्य

राज सेवा द्वार प्रबंधन गतिविधियाँ भी करता है–

- परियोजना संबंधित प्रबंधन सर्वरों का रख–रखाव।
- परियोजना संबंधित सभी सर्वरों का डेटा प्रबंधन और नियमित बैकअप।
- सभी प्रकाशित APIs की सेवा निगरानी और त्रुटि हैंडलिंग।
- प्रकाशित सेवाओं के लिए परिवर्तन अनुरोध।
- नीति आधारित ट्रैफिक रूटिंग और लोड बैलेंसिंग।
- सभी प्रकाशित सेवाओं/APIs का लॉग प्रबंधन और विश्लेषण।

परियोजना के लाभ

- यह प्रोड्यूसर को एक सूचनात्मक डैशबोर्ड उपलब्ध कराती है।
- एप्लीकेशन के लिए एकीकृत डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जिससे P2P कनेक्शन या वेब सेवाओं/API के अलग–अलग एकीकरण की आवश्यकता नहीं होती।
- केंद्रीकृत निगरानी, एक्सेस/अनुमति प्रबंधन के साथ विभिन्न सेवाओं के समूह को समेकित करने वाली एकीकृत योजना उपलब्ध करवाती है।
- सभी सेवाओं का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराती है।
- सभी सेवाओं के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है।

परियोजना की वर्षवार प्रगति:

YEARS	API DETAILS
2015-2017	▪ एपीआई की संख्या : 400 ▪ ऑनबोर्ड किए गए आवेदन : 15 ▪ दैनिक लेनदेन : 8 लाख से 10 लाख ▪ शीर्ष 5 एप्लीकेशन: ई–मित्र, भामाशाह, ईपीडी, राज ई–वॉल्ट, राजसम्पर्क
2017-2020	▪ एपीआई की संख्या : 800 ▪ ऑनबोर्ड किए गए आवेदन : 25 ▪ दैनिक लेनदेन : 15 लाख से 40 लाख ▪ शीर्ष 5 एप्लीकेशन: ई–मित्र, भामाशाह, ईपीडी, राज ई–वॉल्ट, एफएमडीएसएस

2020-2023	▪ एपीआई की संख्या : 1200 ▪ ऑनबोर्ड किए गए आवेदन : 30 ▪ दैनिक लेनदेन : 35 लाख से 90 लाख ▪ शीर्ष 5 एप्लीकेशन: राजसाइन, ई–संचार, जनआधार, ईपीडीएस, राज ई–वॉल्ट
2023-2025	▪ एपीआई की संख्या : 1384+ ▪ ऑनबोर्ड किए गए आवेदन : 100+ ▪ दैनिक लेनदेन : 60 लाख से 1.2 करोड़+ ▪ शीर्ष 5 एप्लीकेशन: आधार, जनआधार, राज ई–वॉल्ट, ई–संचार, राजसम्पर्क, राज–ई–साईन

शीर्ष APIs सेवाओं की ट्रांजैक्शन संख्या नीचे दर्शाई गई है –

(पिछले 30 दिनों से दिनांक 31.12.2025 तक)

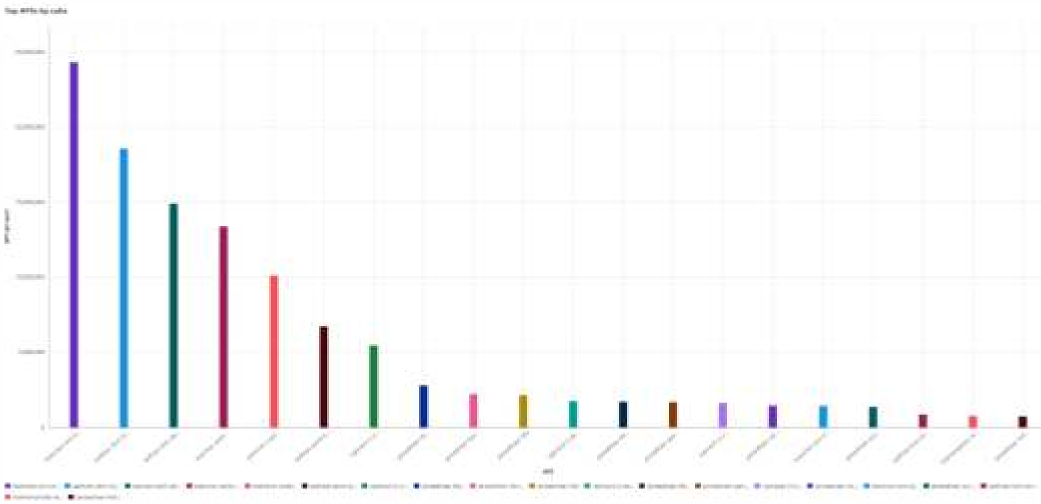

7.23 डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर

आज के सूचना तकनीकी के युग में, सूचना/डाटा का आकार तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि विभिन्न विभागों द्वारा सूचना प्रौद्यौगिकी के माध्यम से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं सार्वजनिक सेवाओं के उपभोग से अत्यधिक मात्रा में डाटा/सूचना उत्पन्न हो रही है।

इस तरह से प्राप्त बहुत अधिक मात्रा में डाटा/सूचनाओं का प्रबंधन करने के लिए डाटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाता है। डाटा एनालिटिक्स की मदद से इस डाटा/सूचना का उपयोग कर सरकार की सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं एवं विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं को ग्राफिकल/चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित कर उसका विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने में किया जाता

है। जिससे परियोजना में व्याप्त सूक्ष्म से सूक्ष्म छिपी हुई जानकारी (Insights) को पहचानने एवं निगरानी रख कर परियोजना और सार्वजनिक सेवाओं की कार्यदक्षता बढ़ाते हुए, नई नीति निर्माण और निर्णय लेने में मदद की जा सकती है।

- **परियोजना के उद्देश्यः-**

परियोजना के परिकल्पित उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

1. विभागीय अवलोकन हेतु KPIs की पहचान और KPIs से कार्यदक्षता का तुलनात्मक विश्लेषण
2. रूझान और पूर्वानुमान
3. नीति अनुपालना
4. साक्ष्य आधारित निर्णय लेना

- **परियोजना के लाभः-**

यह परियोजना विभिन्न राजस्व उत्पन्न करने वाले विभागों यथा CTD, Excise, Transport आदि को न केवल संबंधित विभाग के डाटा का उपयोग करके बल्कि क्रॉस डिपार्टमेंटल डाटा विश्लेषण/एनालिटिक्स का उपयोग करके उक्त राजस्व विभागों में कर वृद्धि करने में मदद करती है। इसी के साथ ही सरकार की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाऐं यथा RGHS, Jan Aadhaar परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वन के उद्देश्य से पंजीकृत सेवाओं के विश्लेषण का कार्य भी किया जा रहा है।

इसके अलावा, विभिन्न विभागों में लागू किए गए कुछ डैश बोर्ड रिपोर्ट्स जो नीति निर्धारण और निर्णय लेने में मदद करते हैं, निम्नानुसार हैं:—

i) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विश्लेषण: समाचार विश्लेषिकी
ii) हॉटस्पॉट विश्लेषण
iii) राजस्थान सम्पर्क जिला / विभाग रैंकिंग /ऑडियों एनालिटिक्स डैशबोर्ड
iv) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJED)
v) वन्यजीव
vi) आर. टी. आई. (RTI)
vii) आई. एच. एम. एस. (IHMS)
viii) जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA)
ix) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
x) आई. एफ. एम. एस. (IFMS) etc.

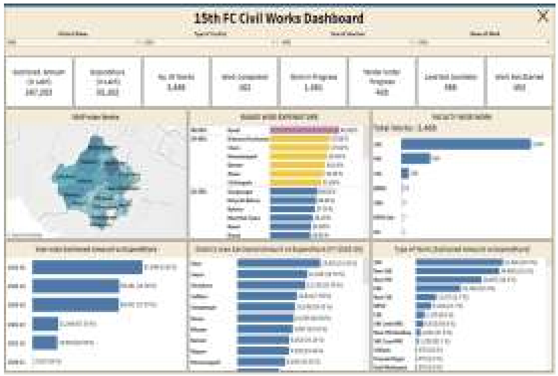

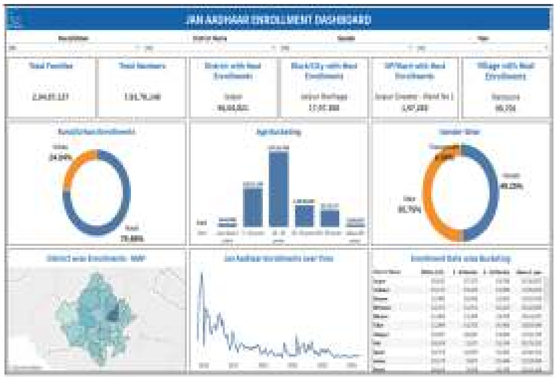

7.24 ई-बाजार

ई–बाजार का उद्देश्य सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों को एक मंच पर लाना है, ताकि नागरिकों और विभागों को सरलता से खरीददारी की सुविधा मिल सके। यह प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों और आम नागरिकों के बीच उत्पादों के आदान–प्रदान को सरल और पारदर्शी बनाता है।

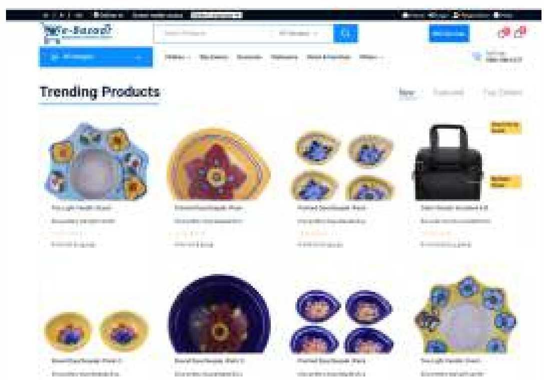

परियोजना के प्रमुख उद्धेश्य-

- नागरिकों को विभिन्न विक्रेताओं के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में से चयन करने की सुविधा।
- विक्रेताओं को अपने उत्पादों को तस्वीरों और विवरणों के साथ प्रदर्शित करने का अवसर।
- एकीकृत सिंगल साइन–ऑन (SSO) प्रणाली के माध्यम से पोर्टल तक सहज पहुंच।

- प्रीपेड ऑनलाइन भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक अलर्ट के माध्यम से ऑर्डर ट्रैकिंग।
- घरों तक डिलीवरी की सुविधा, देशभर के पिनकोड क्षेत्रों में।

उपलब्ध सेवाएं

आम नागरिकों के लिए (B2C) :

- राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और अर्द्ध–सरकारी इकाइयों (खादी, हथकरघा निगम, सहकारी समितियां आदि) के उत्पाद उपलब्ध।
- राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म से समाकलन द्वारा सभी वाणिज्यिक लेनदेन संभव।
- 24X7 ऑर्डर करने की सुविधा।
- 39 विक्रेता पंजीकृत, उत्पाद : 950 उत्पाद उपलब्ध

सरकारी विभागों के लिए (B2G) :

- पंजीकृत स्टार्टअप्स से बिना टेंडर के 25 लाख रुपये तक की खरीददारी।
- सरल उत्पाद चयन, कार्यादेश निर्गमन और भुगतान प्रक्रिया।
- 544 विक्रेताओं के स्टार्टअप पंजीकृत, 15 विक्रेताओं के एमएसएमई पंजीकृत, क्रेता (सरकारी विभाग और उपक्रम) : 154 विभागों द्वारा खरीददारी, कार्यादेश जारी : 180 कार्यादेश जारी किए गए।

7.25 राजस्थान सप्लाई एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (RajSIMS)

RajSIMS सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा आई. टी. क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के अंतर्गत तैयार किया गया एक वेब आधारित सप्लाई और वितरण प्रणाली सॉफ्टवेयर है। इसे किसी भी स्थान से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से उन विभागों और योजनाओं के लिए विकसित किया गया है, जिन्हें स्टॉक के डिमांड, खरीद, सप्लाई, वितरण और भुगतान की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है।

परियोजना का उद्देश्य :

RajSIMS सॉफ्टवेयर का उद्देश्य विभिन्न विभागों और योजनाओं में स्टॉक के डिमांड, खरीद, सप्लाई, वितरण और भुगतान की प्रक्रियाओं से सम्बंधित कार्यों को तेजी से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करना है।

परियोजना का लाभ:

- स्टॉक सप्लाई एवं वितरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

- डिमांड तैयार करने, खरीद आदेश जारी करने, सप्लाई और वितरण के कार्यों में समय की बचत की जा रही है।
- विभागों के बीच पारदर्शिता और सामंजस्य स्थापित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों में सुगमता और दक्षता आ रही है।
- इन्वेंटरी के विवरणों को संग्रहीत करने, बिक्री विवरणों के आधार पर इन्वेंटरी को अपडेट करने, बिक्री के लिए रसीदें तैयार करने और समय–समय पर बिक्री और इन्वेंटरी संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।
- रियल टाइम मॉनिटरिंग करने से योजनाओं में आवश्यक बदलाव करने से ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है।
- RajSIMS एक केन्द्रीकृत डेटाबेस संचालित प्रणाली है जो वास्तविक समय पर उत्पादन, खरीद, बिक्री एवं इन्वेंटरी संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करवाता हैं, जिससे प्रबंधन स्तर पर निर्णय लेना आसान हो जाता है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति:

मिड-डे मील योजना (MDM)

मिड–डे मील योजना (Mid-Day Meal Scheme) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है। जो भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के राजकीय विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत बालवाटिका एवं कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को मध्यान्तर में निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

इसी क्रम में RajSIMS एप्लीकेशन पर कुल 69 हजार वितरण केन्द्रों अधिकारियों की मैपिंग कर मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग के लिए लागू किया गया है। RajSIMS एप्लीकेशन का पीएम पोषण पोर्टल से इंटीग्रेट कर भारत सरकार को योजना के अंतर्गत विद्यालयों में दैनिक वितरण किए जाने वाले खाद्यान्न की सूचना भिजवाई जा रही है।

Sr. No.	Beneficiary Department	Total Mapped Offices in Scheme	Distribution Transactions Count
1	Education Department	64686	23112875
2	Department of Minority Affairs	1215	579828
3	Department of Sanskrit Education	1778	339742
	Total	**67679**	**24032445**

उड़ान योजना (UDAAN)

राजस्थान सरकार की उड़ान योजना के तहत 11 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं और किशोरियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते है। RajSIMS एप्लीकेशन को उड़ान स्कीम के क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग के लिए लागू किया गया है। RajSIMS एप्लीकेशन के माध्यम से UDAAN योजना के अंतर्गत Sanitary napkin के डिमांड, खरीद, सप्लाई, वितरण का कार्य किया जाता है।

Sr. No.	Beneficiary Department	Total Mapped Offices in Scheme	Distribution Transactions Count
1	Education Department	35744	212137
2	Integrated Child Development Services	65563	320
3	Social Justice and Empowerment Department	262	0
4	Department of Medical Education	55	1338
5	Department of Technical Education	51	1161
6	Department of College Education	674	57372
7	Department of Minority Affairs	613	2001
8	Department of Sanskrit Education	1421	419
9	Department of University Education	21	58
10	Prison Department	24	0
11	Tribal Area Development Department	14	0
12	Directorate of Technical Education(ITI)	313	2192
13	Rajasthan High Court	2	0
	Total	**104757**	**276998**

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना (RSTB Application)

https://rstb.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार के अधीन राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल राज्य के सरकारी एवं संबद्ध विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकों का राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदन के पश्चात मुद्रण, भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित करता है।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत मुद्रित पुस्तकों को राज्य स्तर से जिला, ब्लॉक स्तर एवं नोडल केंद्र ग्राम पंचायत के माध्यम से सरकारी विद्यालयों तक पहुँचाया जाता है। इसी प्रकार, विक्रय हेतु पाठ्यपुस्तकों को बोर्ड द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है।

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा खरीद, बिक्री, स्टॉक, सप्लाई एवं वितरण संबंधी कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु RajSIMS आधारित RSTB एप्लीकेशन विकसित की गयी है। यह एप्लीकेशन मांग से लेकर वितरण एवं भुगतान तक की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर पारदर्शिता, दक्षता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।

सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (SIMS)

सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (SIMS), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया हुआ एक ऑनलाईन आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग बिक्री गतिविधि और इन्वेंट्री को एक साथ प्रबंधित व ट्रेक करने के लिए किया जाता है। राजस्थान राज्य के सभी जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के मेडीकल अनुभाग के औषधि दवा केन्द्रों, दवा गोदामों एवं RGHS के अन्तर्गत अनुमोदित निजी दवा केन्द्रों पर संचालित है।

RGHS के अन्तर्गत अनुमोदित कॉन्फेड एवं निजी दवा केन्द्रों द्वारा RGHS के लाभार्थियों को भी SIMS द्वारा कैशलेस दवा उपलब्ध करवाई जा रही है।।

प्रमुख विशेषताएं :-

- SIMS एक साधारण व आसानी से उपयोग में लेने योग्य सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है।
- इसका उपयोग इन्वेंट्री के विवरणों को संग्रहीत करने, बिक्री विवरणों के आधार पर इन्वेंट्री को अपडेट करने, बिक्री के लिए रसीदें तैयार करने एवं समय–समय बिक्री और इन्वेंट्री संबंधी रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।
- SIMS एक केंद्रीकृत डेटाबेस संचालित प्रणाली है, जो वास्तविक समय पर उत्पादन, खरीद, बिक्री एवं इन्वेंटरी संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। जिससे प्रबंधन स्तर पर निर्णय लेना आसान हो जाता है।

पोर्टल द्वारा उपार्जित लाभ :-

- RGHS के अन्तर्गत अनुमोदित निजी दवा केन्द्रो द्वारा RGHS के लाभार्थियों को कैशलेस दवा बिक्री की जा रही है।
- वेंडर से गोदाम, गोदाम से गोदाम, गोदाम से स्टोर, स्टोर से गोदाम तक स्टॉक ट्रांसफर/वापसी केंद्रीकृत इन्वेंट्री प्रबंधन के माध्यम से एक सिंक्रनाइज और सुसंगत तरीके से करवाने की सुविधा प्रदान की गई है।
- स्टॉक, मांग एवं आपूर्ति, भंडारण क्षमता, लाभ एवं हानि प्रक्रिया जैसे विभिन्न मानकों पर स्टोर के प्रदर्शन में सुधार के अवसरों के ट्रैक, पूर्वानुमान और पहचानने के लिए विभिन्न स्तरों पर विस्तृत विश्लेषण की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- SIMS पोर्टल पर दिसम्बर, 2025 तक किये गये 83 जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं

क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के 640 दवा केन्द्र तथा RGHS के अन्तर्गत पंजीकृत 4228 निजी फार्मेसी के माध्यम से RGHS के अन्तर्गत कुल 340 लाख से अधिक बिल जारी किये जा चुके है।

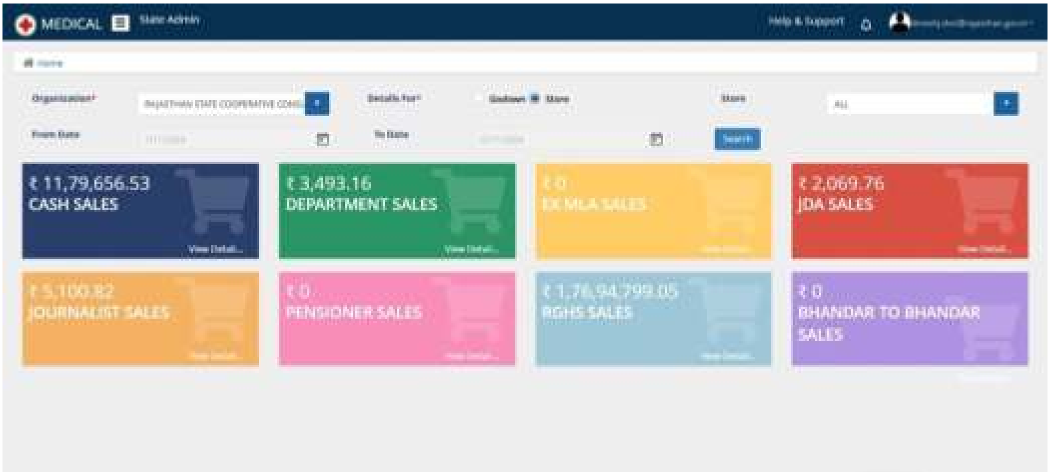

7.26 राज-धरा-एकीकृत भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा एकीकृत जी.आई.एस. (GIS) आधारित सिस्टम ''राज–धरा'' स्थापित किया गया हैं। इस सिस्टम के अर्न्तगत विभागों के साझा उपयोग हेतु विश्वस्तरीय सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म स्थापित किये गये हैं।

इस सिस्टम पर विभिन्न विभागों/उपक्रमों के लिए सूचना एवं विश्लेषण हेतु जी.आई.एस. आधारित वेब व मोबाईल एप्लीकेशन्स को विकसित एवं स्थापित कर इसे सम्बंधित विभागों को उपलब्ध करवा दिया गया है, जिससे वे इसके द्वारा अपने विभाग की सभी परिसम्पत्तियाँ के भू–स्थानिक डाटा जोड़ सकें और उपलब्ध डाटा का संधारण/उन्नयन कर सके। यह डाटा GIS आधारित इंटरफेस द्वारा उपलब्ध नक्शे पर दर्शाया जाता है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में विभागों के परिसम्पत्तियों व उनमें उपलब्ध सुविधाओं का विभागीय/अंतर–विभागीय विश्लेषण किया जा सके। वर्तमान में खान और भूविज्ञान विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं पंचायती राज, गोपालन निदेशालय, कृषि विभाग, नगरीय विकास विभाग, भू–जल विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी एवं विभिन्न जिला कलेक्ट्रेट, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, नगर नियोजन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजधरा प्लेटफ़ार्म का उपयोग किया जा रहा है।

विभिन्न विभागों/उपक्रमों की परिसंपत्तियों के भू–चिन्हीकरण, विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के

भू–चिन्हित सर्वेक्षण, विभागीय कर्मचारियों/अन्य कर्मियों की भू–चिन्हित उपस्थिति तथा क्षेत्रीय स्तर पर दी जाने वाली सर्विस डिलीवरी के निरीक्षण (inspection) के लिए GIS आधारित राजधारा मोबाइल ऐप विकसित की गई हैं, जो कि फील्ड कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण व सुविधाजनक साबित हुई हैं। उक्त एप को भूजल विभाग, ई–मित्र, गोपालन निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, नगरीय विकास विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी एवं विभिन्न जिला कलेक्ट्रेट, नगर नियोजन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खान एवं भू विज्ञान विभाग आदि द्वारा उपयोग मे लिया गया है। इस ऐप की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका उन्नयन करते हुए नवीन ऐप का विकास किया गया हैं।

सम्पूर्ण राज्य के लिये सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त कर उसको भू संदर्भित किया जा कर विभिन्न विभागों के लिये इमेजरी बेसमैप के रूप में स्थापित किया जा चुका हैं। इस इमेजरी बेसमैप को आधार मानते हुए महत्वपूर्ण भू–संरचनाओं यथा सड़क व रेल मार्ग, जल–संरचनाएं इत्यादि का GIS प्लेटफॉर्म पर अंकन (Digitization) कर सभी विभागों के उपयोग के लिये मैप–सर्विस के रूप में स्थापित किया जा चुका है एवं विभाग में उपलब्ध विभिन्न इमेजरी यथा 10 m resolution Imagery, 10 cm resolution की जयपुर शहर की 3D Imagery तथा 50 cm resolution की High Resolution Satellite Imagery का उपयोग करते हुए, स्थापना की जा चुकी है। साथ

ही, इसके उपयोग हेतु GIS आधारित web portal का विकास किया गया है। संसाधित इमेजरी का उपयोग विभिन्न विभागों यथा RUIDP, SRSAC, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग इत्यादि द्वारा किया गया हैं, जब कि basemap को GIS आधारित applications पर उपयोग हेतु उपलब्ध करवाया गया हैं।

7.27 राज ई. आर. पी.

RISL द्वारा विकसित RajERP Project राज्य सरकार के SAB/PSU उपक्रमों के कार्यों एवं गतिविधियों के परिचालन की दक्षता बढ़ाने के लिए डिजायन किया गया है। RajERP का लक्ष्य विभागीय कार्यों को एक सामान्य प्लेटफार्म का उपयोग करके एक ही सिस्टम में एकीकृत करना है।

परियोजना का उदेश्य:-

राज–ईआरपी में कुशल सेवा वितरण के लिए विभिन्न इंटरफेस के साथ मॉड्यूल विकसित किये गये है। सभी मॉड्यूल एक दूसरे से एकीकृत हैं। एकीकृत मॉडयूल्स के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, एकीकृत डेटा बनाए रखने व आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकसित किया गया है। राज–ईआरपी में निम्नानुसार मॉडयूल्स विकसित किये गये हैः–

S.N.	Modules	Sub Modules
1	मानव संसाधन मैनेजमेन्ट HRMS (Human Resource Management)	आर्गनॉइजेशन स्ट्रक्चर, एंप्लॉय एन्रोलमेन्ट, एंप्लॉय प्रोफाइल। एंप्लॉय सेल्फ सर्विस, लीव मैनेजमेन्ट, उपस्थिति मैनेजमेन्ट, शिफ्ट मैनेजमेन्ट, वेतन वृद्धि, ट्रांसफर, प्रतिनियुक्ति, इन/आउट प्रतिनियुक्ति, जॉइनिंग/रिलीविंग, पदोन्नति, वेतन निर्धारण, आयकर, एसीपी, पृथक्करण, बिल रिम्बर्समेन्ट इत्यादि।
2	लेखा एवं वित्त मैनेजमेन्ट FA (Accounts and Finance Management)	वाउचर, एडवॉन्स बिलिंग, वेन्डर/सप्लॉयर मेनेजमेन्ट, सेल/परचेज इन्वॉइस, बजट प्रक्रिया, टैक्स कम्पोनेंन्ट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, सब्सिड्यरी मैनेजमेन्ट, ओपनिंग बैलेंस मैनेजमेन्ट, बुक क्लोजिंग इत्यादि।
3	कार्य निगरानी और परियोजना मैनेजमेन्ट WPM (Works Monitoring and Project Management)	प्लानिंग एस्टीमेशन और सेक्शन मैनेजमेन्ट, टेन्डर मैनेजमेन्ट, आर्डर मैनेजमेन्ट, कार्य निष्पादन, बिल मैनेजमेन्ट, रिफन्ड मैनेजमेन्ट, गारंटी मैनेजमेन्ट, सर्विस आइटम मैनेजमेन्ट, बीएसआर आइटम, नॉन–बीएसआर आइटम, मास्टर कॉन्फिगरेशन, एमआईएस इत्यादि।

S.N.	Modules	Sub Modules
4	सामग्री मैनेजमेन्ट एवं खरीद MM (Material Management & Procurement)	डिमांन्ड प्लानिंग, प्रोक्यूरमेन्ट मैनेजमेन्ट, रसीद और निरीक्षण, चालान और भुगतान, समस्यायें और उपभोग, मेन्टिनेंस और रिपेयर, डिस्पोजल, कॉन्फिगरेशन मास्टर, एमआईएस और रिपोर्टिंग, अन्य मॉड्यूल के साथ इन्टीग्रेशन इत्यादि।
5	बिक्री और विपणन मॉड्यूल SM (Sales & Marketing Module)	प्रोडक्शन रजिस्ट्रेशन, कस्टमर मैनेजमेन्ट, परचेज आर्डर, कान्ट्रेक्ट रिलीज आर्डर, डिस्पेच प्रोसेस, वित्तीय गतिविधियाँ, डेबिट नोट प्रक्रिया, रसीद, स्टॉक का स्थानांतरण, लीज मैनेजमेन्ट, चालान, एजेंट पंजीकरण, कन्जूमर पोर्टल इत्यादि।
6	अंशदायी भविष्य निधि मैनेजमेन्ट CPM (Contributory Provident Fund Management)	इन्वेस्टमेंट, लाभार्थी, सामान्य लेखा, कॉन्फिग्रेशन, रिपोर्ट इत्यादि।

परियोजना का लाभ

- राज ईआरपी में विकसित सभी मॉड्यूल एक दूसरे से एकीकृत हैं और संगठनात्मक मैनेजमेन्ट के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- ईआरपी संगठन के भीतर विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं और परिवर्तनों के अनुकूल हो सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि ईआरपी प्रणाली सही ढंग से स्थापित है और सभी उपयोगकर्ता इसका उपयोग करने में कुशल हैं।
- यह सुविधा कुशल सेवा वितरण के लिए विभिन्न इंटरफेस और संचार चेनलों का समर्थन करती है।
- राजईआरपी विशेष रूप से संसाधनों, वित्तीय लेनदेन और संचालन में विनियामक अनुपालन का समर्थन करता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- राजईआरपी वास्तविक समय अपडेट और डेटा–संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह संचालन को गतिशील और कुशलता से प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न

संगठनों की जरूरतों के अनुसार फॉर्म को कस्टमाइज किया जा सकता है।

- सिस्टम संगठनात्मक आवश्यकताओं के लिए किसी भी प्रकार के वर्कफ्लो को कॉन्फिगर करने की अनुमति देता है, जो ऑडिट ट्रेल्स और मॉनिटरिंग क्षमताओं के साथ पूरा होता है।
- 200 से अधिक मैनेजमेन्ट सूचना प्रणालियों (एमआईएस) के लिए एकीकरण क्षमताओं के साथ व्यापक, वर्णनात्मक और दृश्य डैशबोर्ड प्रदान करता है।

परियोजना की विशेषतायें

एकीकृत मॉड्यूल, अनुकूलन और लचीलापन, व्यापक कार्यान्वयन सेवाएँ, मल्टीचैनल सेवा वितरण, कार्य श्रेष्ठता, पारदर्शिता और अनुपालन, वास्तविक समय डेटा और विश्लेषण, मापनीयता और अनुकूलन, कॉन्फिगर करने योग्य वर्कफ्लोज, उन्नत डैशबोर्ड क्षमताएं, साइबर सुरक्षा, बैकअप और आपदा रिकवरी व बाह्य उपयोगिता एकीकरण इत्यादि।

परियोजना की प्रगतिः-

वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों में RISL, JMRC, RSMML तथा विद्युत निगमों व उर्जा कंपनियों JVVNL, AVVNL, JdVVNL व RVUNL में सूचारू रूप से RajERP Module का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा RSAMB व DAM में Onboarding की जा रही हैं।

S.N.	PSU/SAB		Module
1	RSMML		HRMS, FA, MM and Sales & Marketing.
2	JMRC		HRMS
4	RISL		HRMS & FA.
5	DISCOMs	JVVNL	HRMS, FA & MM.
		AVVNL	HRMS, FA & MM.
		JdVVNL	HRMS, FA & MM.
		RVUNL	HRMS.
6	RSAMB		HRMS, FA, WPCM, CPF/GPF (go-live date 15-07-2025)
7	DAM		HRMS, FA, CP F/GPF (go-live date 01-08-2025)

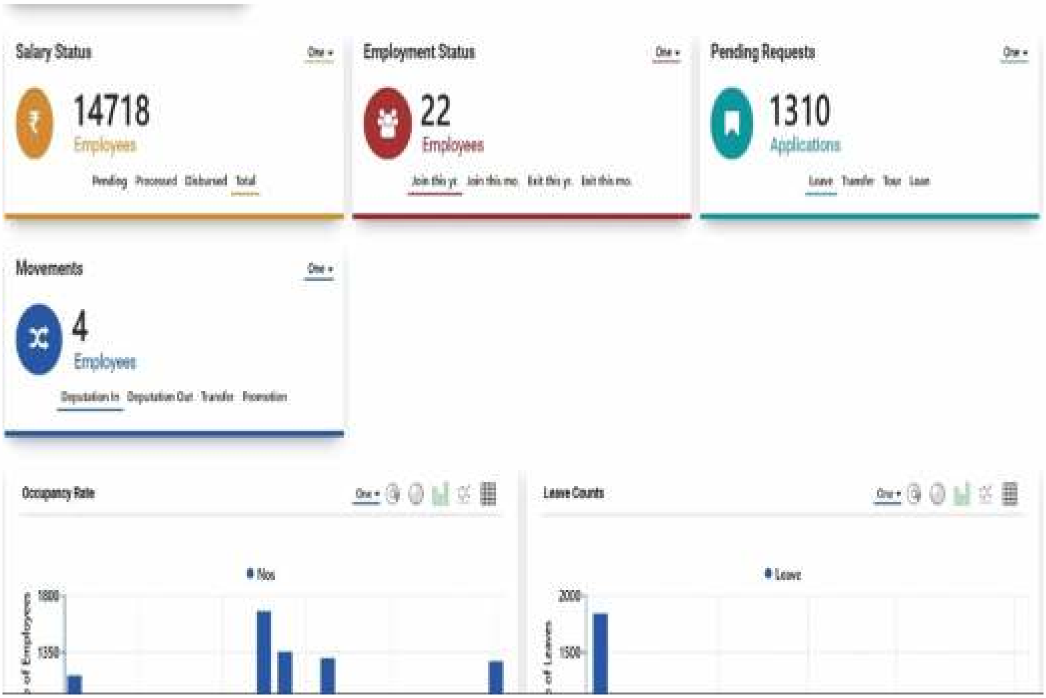

7.28 राज-लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (Raj-LMS)

राज–एलएमएस सरकारी विभागों को ई–लर्निंग पाठ्यक्रम और ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) है। विभाग स्वयं के ई–लर्निंग कंटेंट बनाकर तथा इस पोर्टल का उपयोग करके विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सकता है । इस एप्लीकेशन का उपयोग मूल्यांकन के लिए आंकलन तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन का उपयोग मूल्यांकन इंजन के रूप में भी किया जा सकता है।

इस एप्लीकेशन का उपयोग पुलिस विभाग, आरसीएटी, विभाग चुनाव, DoIT&C, शिक्षा विभाग, ई–मित्र, कॉलेज शिक्षा द्वारा किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में 8 प्रशासनिक विभाग द्वारा राज–एलएमएस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है।
- कुल 153000 उपयोकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है।
- अब तक 25095 पाठ्यक्रम एप्लीकेशन पर उपयोग किया जा रहा है एवं 648 ई–लर्निंग कंटेंट अपलोडेड है।

7.29 जयपुर 3D सिटी परियोजना

बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के अनुसार जयपुर शहर के लिए जीआईएस आधारित 3D मॉडल बनाने की घोषणा की गयी थी, जिसकी अनुपालना में इस परियोजना की क्रियान्विति की गई हैं।

परियोजना का उद्देश्य-

3D सिटी परियोजना (लगभग 3000 वर्ग कि० मी० जयपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2025 के अनुसार) का क्रियान्वन 3D GIS वातावरण में बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन, नगर नियोजन, 3D सिटी मॉडलिंग और प्रभाव आंकलन करने, दृष्टिगोचर बनाने, अनुकरण करने, योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए किया गया हैं।

परियोजना के लाभ-

- शहर का समग्र 3D दृश्य, जो जयपुर शहर के वर्चुअल/डिजिटल ट्विन एवं शहर के लिए एकीकृत निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता हैं।
- सुरक्षित शहर प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्र (area of concern) को दृष्टिगोचर करने और विश्लेषण करके कानून और प्रशासन में सहायता करना।
- आपातकालीन और आपदा प्रबंधन यथा आग, बाढ़, भूकंप या कोई अन्य आपात स्थिति में जीवन बचाने के लिए भी जमीनी स्तर पर त्वरित कार्यवाही में सहायता करना।
- क्षेत्र में दौरा किये बिना, विभिन्न नियोजन परिदृश्यों की योजना को दृष्टिगोचर बनाना, योजना बनाना, अनुकरण करना आदि से शहर की योजना बनाने में सहायता करना।
- बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना बनाना और निगरानी में सहायता करना।

कार्यो का संक्षिप्त विवरण-

- 3D सिटी प्लेटफॉर्म Rajasthan State Data Center में स्थापित कर दिया गया हैं।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग के Ground Control Points एवं Bench marks को उपयोग में लेते हुए डीजीपीएस सर्वेक्षण (मय स्थायी स्मारक स्थापित करना) का कार्य पूर्ण कर मोबाइल वैन द्वारा 20,000 किमी. सड़कों के डाटा संग्रहण का कार्य किया गया है।
- परियोजना क्षेत्र का डिजिटल सरफेस मॉडल (DSM / 40 cm), डिजिटल टैरेन मॉडल (DTM / 40 cm using aerial LiDAR), कंटूर (contour / 50 cm interval), ट्रू ऑर्थो इमेजरी / 08 cm using aerial photography) स्लोप/आस्पेक्ट इमेजरी (/ 40 cm),

ड्रैनेज इमेजरी (/ 40 cm), 3D बेस मैप, 3D लैंड–यूज़/लैंड कवर, 3D मैश मॉडल और शहर की विभिन्न प्रकार की अवसरंचनाओं यथा ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक पोल, ट्रांसमिशन टावर, ओवरहेड वाटर टैंक, बस स्टैंड आदि के 3D मॉडलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं।

- परियोजना क्षेत्र की बिल्डिंग/भवनों के LoD (Level of Details), LoD 0, LoD 1, LoD 2, LoD 2.5 मॉडलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं।

- शहर के विकास और प्रशासन प्राधिकरणों के लिए शहरी योजना एवं विकास, आपातकालीन/आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट, यूटिलिटीज मैपिंग, सेवा वितरण प्रबंधन, सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, कानून और सुरक्षा व्यवस्था की योजना और अनुकरण, शोर उत्सर्जन विश्लेषण, यातायात प्रबंधन/नेविगेशन सिस्टम और मार्ग ढूँढना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया एनालिटिक्स आदि के लिए यूज़केस विकसित किए गए है।

- विभिन्न विभागों यूडीएच, एलएसजी, नगर नियोजन, जेडीए, जेएनएन, आरएचबी, आरयूआईडीपी, स्मार्ट सिटी, एमएनआईटी, पीएचईडी आदि विस्तृत प्रशिक्षण भी दे दिया गया हैं।

- विभिन्न विभागीय डाटा सेट जैसे– जेडीए का मास्टर डेवलपमेंट प्लान–2025, मास्टर डेवलपमेंट प्लान–2011, जोनल डेवलपमेंट प्लान, जेडीए एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, नाहरगढ़ इको–सेंसिटिव जोन, खसरा/राजस्व गांव का नमूना मानचित्र, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का कलर कोडिंग जोन मानचित्र (CCZM) जयपुर नगर निगम (ग्रेटर और हेरिटेज) के वार्ड, जोन और कॉलोनी की सीमा, वन सीमा, डीएलसी नमूना मानचित्र, पुलिस थाना सीमा, पीएचईडी के जल आपूर्ति पाइपलाइन का नमूना नक्शा, भूमिगत नाले का नमूना नक्शा आदि का भी 3D सिटी सोल्यूशन में एकीकरण कर दिया गया हैं।

- नाहरगढ़ इकोलॉजिकल जोन मैपिंग का कार्य जेडीए के मार्फत एमएनआईटी द्वारा क्रियान्वन किया जा रहा हैं, जिसके लिए 3D सिटी परियोजना से आवश्यक डाटा सांझा कर दिया गया हैं।

- JDA को शहरी योजना एवं विकास हेतु सीकर रोड की इमेजरी और DTM विकास (जल भराव की समस्या की योजना) और उत्तरी रिंग रोड (आगरा रोड से C–जोन) एरिया के विकास हेतु डाटा 3D सिटी परियोजना से आवश्यक डाटा सांझा करा गया है।

- MNIT, जयपुर और नगर निगम को 3D सिटी परियोजना से जयपुर शहर के क्षेत्र जैसे जल महल एरिया के सौंदर्यीकरण और SSASCI 2025-26 योजना कार्यान्वयन और AMRUT परियोजना के लिए बापू नगर, जयपुर एरिया का डाटा साझा किया गया, जिस पर कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त समस्त डेटा सेट SSO ID के माध्यम से 3D सिटी सॉल्यूशन में उपयोग हेतु उपलब्ध हैं।

7.30 चीफ मिनिस्टर इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीएमआईएस)

सीएमआईएस राजस्थान राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत निष्पादित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं और सभी घोषणाओं की प्रगति एवं स्थिति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एक एकीकृत वेब–आधारित पोर्टल है।

परियोजना का उद्देश्य एवं लाभः

- मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षा, गोपनीयता सुनिश्चित करते हुये संग्रहित, प्रबंधित और मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करना।
- माननीय मुख्यमंत्री और अन्य हितधारकों द्वारा निर्णय लेने में सहायता के लिए रियल टाइम डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग प्रदान करना।
- शासन प्रक्रिया में शामिल विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध संचार और सहयोग की सुविधा प्रदान करना।

परियोजना के लाभः

- सरकार की प्रमुख परियोजनाओं और घोषणाओं की रियल टाइम ट्रेकिंग होती है।
- संकल्प पत्र और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की ट्रेकिंग आसानी से की जाती है।
- केंद्रीकृत मास्टर डेटा के साथ विभागों में एकरूपता सुनिश्चित करता है।
- रियल टाइम डेटा द्वारा प्रोग्रेस को ट्रेक करके पारदर्शी शासन सुनिश्चित किया जाता है।
- मुख्यमंत्री कार्यालय और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करता है।
- मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त परिवादों का समय पर समाधान होता है।
- डेटा की सटीक और सुरक्षित संचालन की गारंटी देता है।

परियोजना की वर्षवार प्रगति:

Already Running Applications/modules	Newly developed Applications/modules	Upcoming Applications/modules
▪ चीफ मिनिस्टर इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीएमआईएस) ○ बजट घोषणा ○ सीएम घोषणा ○ संकल्प पत्र ○ सीएम निर्देश ○ एक्शन प्लान 100 दिन ○ कैबिनेट निर्णय ○ भर्ती की स्थिति ▪ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ▪ विभागीय उपलब्धियॉं ▪ मुख्यमंत्री कार्यालय वेबसाइट ▪ मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल	▪ वीआईपी पत्र मॉनिटरिंग सिस्टम ▪ मुख्यमंत्री जनसुनवाई मॉनिटरिंग सिस्टम ▪ मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास के लिये आगंतुक प्रवेश प्रणाली ▪ फोन कॉल मैनेजमेंट सिस्टम ▪ बायोडेटा मैनेजमेंट सिस्टम ▪ ट्रांसफर पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम ▪ इनविटेशन मैनेजमेंट सिस्टम	▪ सीएम टूर मैनेजमेंट सिस्टम ▪ अपाइन्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ▪ फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम ○ शिकायत प्रबंधन प्रणाली ○ इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली ▪ मुख्यमंत्री कार्यालय के लिये मोबाइल ऐप ▪ मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल 2.0 ▪ यूजर मैनेजमेंट सिस्टम ▪ आगंतुक प्रवेश प्रणाली का हार्डवेयर के साथ इंटिग्रेशन ▪ सीएमआईएस का आरपीपी के साथ इंटिग्रेशन ▪ सीएमआईएस मोबाइल ऐप ▪ सीएमओ मोबाइल ऐप

8 मानव संसाधन विकास

8.1 सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण

मानव संसाधन विकास विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अति—आवश्यक है। इसके लिये विभाग द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को समय—समय पर National e-Governance Division, HCM RIPA and PFMTI इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता हैं। वित्तीय वर्ष 2025—26 में लगभग 415 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा विभाग के नव—नियुक्त लगभग 3000 अधिकारियों/कर्मचारियों की सरकारी प्रक्रिया एवं ई—गवर्नेन्स परियोजनाओं से अवगत करवाने के लिये, कार्यालय प्रबंधन एवं ई—गवर्नेन्स परियोजनाओं पर ऑन—लाइन प्रशिक्षण करवाया गया।

8.2 इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा—निर्देश जारी किये हैं। जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए. का पाठ्यक्रम करता है, उसे संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता हैं।

8.3 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड को मिटाने हेतु स्थापित राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों का शुल्क पुर्नभरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। साथ ही नागरिकों को भी 'RS-CIT' पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण—पत्र दिया जाता हैं। इसके माध्यम से लगभग 5015 ITGK कार्यरत है, जिनमें दिसम्बर 2025 तक लगभग 83.20 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया हैं।

8.4 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL), जयपुर

राज्य सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसी क्रम में राज्य के युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई (MSME) एवं स्टार्ट—अप के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस हेतु राज्य के युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई (MSME) एवं स्टार्ट–अप को नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र (Advanced Technology) जैसे–

- इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैनुफेक्चरिंग (ESDM),
- मेडिकल टेक्नोलॉजी (Med-Tech),
- क्लाइमेट टेक्नोलॉजी (Climate-Tech),
- एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी (Agri-Tech),
- डिजिटल डिजाइन टेक्नोलॉजी (Digital Design Technology),
- ड्रोन टेक्नोलॉजी (Drone Technology) एवं
- भविष्य की नई संभावित उन्नत प्रौद्योगिकी इत्यादि

के क्षेत्र में पाठ्यक्रम एवं अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के राज्य बजट में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL) स्थापित करने की घोषणा की है।

RIAL अत्याधुनिक एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों में पाठ्यक्रम एवं अनुसंधान और विकास हेतु उन्नत तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की प्रयोगशाला (Lab) स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। RIAL उद्योगों को तकनीकी परामर्श प्रदान करने और पेशेवरों, छात्रों और स्टार्टअप्स को उन्नत तकनीकों में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के सहयोग से प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

उद्देश्य एवं लाभ

संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न उन्नत तकनीकों जैसे एआई/एमएल (AI/ML), आईओटी (IOT), ब्लॉक–चेन एवं बिग डाटा आदि का उपयोग करके अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन (स्टार्टअप के लिए) और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना RIAL के प्रमुख उद्देश्य हैं।

साथ ही ईएसडीएम, मेडी–टेक, क्लाइमेट–टेक, एग्रीटेक, डिजिटल डिजाइन, एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों की सहायता के लिए उन्नत एल्गोरिथम, अनुप्रयोग और विधियों के लिए एक अत्याधुनिक अनुसंधान, विकास और परीक्षण सुविधाओं/प्रयोगशालाओं का विकास करना तथा उपरोक्त क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रम करवाना भी RIAL का कार्यक्षेत्र है।

उद्योगों/युवाओं/तकनीकी शिक्षण संस्थान/स्टार्टअप्स के लिए तकनीकी परामर्श और

समाधान के लिए एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म विकसित करना और उद्योग की जरूरतों और प्रासंगिकता के आधार पर लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम तैयार करना एवं प्रशिक्षण करवाना।

नई पीढ़ी के तकनीकी उद्यमी तैयार करना, जो तकनीकी इनक्यूबेशन और स्टार्ट–अप सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए तैयार हो।

शिक्षा, छात्रों, उद्योग और उद्यमियों को अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास, सर्विसिंग का विस्तार, कौशल विकसित करना, प्रोटोटाइप विकसित करना और वन–स्टॉप समाधान के रूप में अत्याधुनिक तकनीकी प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराना।

नवाचार, आविष्कार और प्रोडक्ट प्रोटोटाइप विकसित करने हेतु एवं स्टार्ट–अप और उद्योगों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मूल्यांकन के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) बनाना।

प्रस्तावित गतिविधि एवं विशेषताएं

- राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL) को उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं से लैस एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक प्रशिक्षण सह अनुसंधान एवं विकास सुविधा के रूप में विकसित किया जाना है।
- संस्थान में प्रायोजित किये जाने वाले सभी कार्यक्रम और पाठ्यक्रम, औद्योगिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये जायेंगे, जो कि प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्रों में अति विशेषज्ञता (Super Speciality) के लिए राज्य के युवाओं को तैयार करेंगे।
- संस्थान के संकाय (Faculty), सलाहकार पैनल और विशेषज्ञ दल में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी से संबंधित विज्ञजन, स्टार्ट–अप और शीर्ष शिक्षाविद् शामिल होंगे।
- RIAL इंडस्ट्री, स्टार्टअप एवं उच्च शिक्षण संस्थान जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए तकनीकी परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करने का एकल समाधान केंद्र बनकर उभरेगा।
- RIAL विभिन्न क्षेत्रों जैसे ईएसडीएम, मेडी–टेक, क्लाइमेट–टेक, एग्री–टेक, डिजिटल डिजाइन एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि के लिए उन्नत तकनीकों से युक्त अलग–अलग "सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च" स्थापित करेगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध होगी।
- RIAL उद्योगोन्मुख अनुसंधान और प्रशिक्षण के साथ सभी क्षेत्रों में उपलब्ध एडवांस्ड लर्निंग और अनुसंधान के लिए अनूठा इंस्टीट्यूट होगा।

प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों हेतु चयनित क्षेत्र

- इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैनुफेक्चरिंग (ESDM)
- मेडिकल टेक्नोलॉजी (Med-Tech),
- क्लाइमेट टेक्नोलॉजी (Climate-Tech)
- एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी (Agri-Tech)
- डिजिटल डिजाइन (Digital Design)
- ड्रोन टेक्नोलॉजी (Drone Technology)
- राजस्थान के लिए कोई अन्य प्रासंगिक क्षेत्र एवं
- भविष्य की नई संभावित उन्नत प्रौद्योगिकी आदि

वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति

- 14 सितंबर 2023 को "RIAL फाउंडेशन" को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के पश्चात् सेक्शन–8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।
- आरआईएएल की स्थापना के लिए जयपुर में भूमि चिन्हित कर आवंटन किया जाना बाकी है।
- राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने पीपीपी मोड के तहत आरआईएएल में स्कूल/नवाचार और अनुसंधान केंद्र (पांच साल के लिए) की स्थापना के साथ–साथ आरआईएएल के सिविल निर्माण और रखरखाव और परिचालन व्यय के लिए 421 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है।

8.5 राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RGFDI), जोधपुर

फिनटेक दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। फिनटेक क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं के वितरण में तीव्रता, मजबूती, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए तथा वित्तीय अनुप्रयोगों के विकास एवं उत्पादों में नई डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। देश में फिनटेक स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि के साथ, वित्तीय और नवीन आई.टी. प्रौद्योगिकियों के मिश्रित कौशल वाली जनशक्ति की आपूर्ति एवं उपलब्धता में एक बड़ा अंतर है।

- राज्य के युवाओं को फिनटेक क्षेत्र में तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने बजट सत्र वर्ष 2021–22 में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की

घोषणा की थी।

- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) को राज्य विधानसभा से पारित एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाएगा तथा इसे पब्लिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होगा और सफल उम्मीदवारों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार होगा।

- इस संस्थान में दो प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित किये जाएगे–

  (i) यह एक फिनिशिंग स्कूल की तरह कार्य करेगा जहां ड़िजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण–पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी।

  (ii) यह इंस्टीट्यूट विश्वविधालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त होगा तथा यह संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरेट अनुसंधान के पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

उद्देश्य एवं लाभ

- यह इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। यह संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और अनुसंधान डॉक्टरेट डिग्री के पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और अनुसंधान डॉक्टरेट डिग्री के पाठ्यक्रम से राज्य में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के (BFSI) क्षेत्र में आई.टी. प्रौद्योगिकियों के साथ मिश्रित कौशल की उच्च गुणवत्ता वाली कुशल जनशक्ति तैयार होगी। साथ ही एक फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम भी विकसित होगा, जो राजस्थान में स्टार्ट–अप सहित फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा। जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) वित्त और प्रौद्योगिकी डोमेन में मौजूदा अग्रणी उद्यमियों के साथ भी गठजोड़ करेगा ताकि फिनटेक उद्योगों की प्रासंगिकता के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं प्रायोजित अनुसंधान सुनिश्चित किए जा सकें तथा इन–हाउस इन्क्यूबेशन सेन्टर की मदद से भविष्य के उद्यमियों को अपने फिनटेक उत्पादों को डिजाइन और डिप्लॉय करने में सुविधा प्राप्त हो सके।
- राज्य के युवाओं को राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के (BFSI) क्षेत्र में विशिष्ट कौशल के साथ–साथ Wealthtech, Broking, SAS, एवं InsureTech, Alternate Lending (वैकल्पिक वित्तीय लेनदेन के साधन), Digital Payment इत्यादि जैसी नवीनतम आई.टी. तकनीकों में भी प्रशिक्षित किया जायेगा।
- साथ ही राज्य को अपनी फिनटेक परियोजनाओं के लिए भी उन्नत तकनीक की जन–शक्ति उपलब्ध हो पायेगी।

प्रस्तावित स्कूल

राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के तहत चार स्कूल ऑफ स्टडीज स्थापित करने का प्रस्ताव है:–

- स्कूल ऑफ फाईनेंशियल इन्फोर्मेशन सिस्टम
- स्कूल ऑफ फाईनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी एवं मार्केट
- स्कूल ऑफ फाईनेंशियल सिस्टम एंड एनालेटिक्स
- स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप

प्रशासनिक व्यवस्था (संस्थान की प्राधिकृत निकाय एवं निकाय)

- शासी मण्डल
- अकादमिक परिषद
- वित्त और खरीद समिति
- प्रवेश समिति
- परीक्षा समिति
- चयन समिति
- आउटरीच और उद्योग गठबंधन समिति

- ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें विनियमों द्वारा संस्थान का प्राधिकरण घोषित किया जा सकता है।

वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति

- बजट घोषणा के अनुसार फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए वित्त विभाग द्वारा रु. 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बाद में नाम को संशोधित कर "राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (आरजीएफडीआई) कर दिया गया और बजट प्रावधान बढ़ाकर रु. 796.08 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृति जारी की गई है।
- आरजीएफडीआई विधेयक को उचित प्रक्रिया के साथ विधानसभा के समक्ष रखने के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसे 15.03.2023 को विधानसभा में पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे 17.07.2023 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। माननीय राज्यपाल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है और अधिनियम 17.08.2023 को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
- अध्यक्ष और निदेशक के नामांकन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है।
- आरजीएफडीआई के निर्माण के लिए चयनित बोलीदाता मैसर्स अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड – क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड संयुक्त उद्यम को ऑर्डर भी दे दिया गया है और काम शुरू हो गया हैं।

8.6 राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT)

राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर–कैट) भारत का एक अग्रणी आईटी फिनिशिंग स्कूल है, जो तकनीकी शिक्षा को ऊंचा उठाने और अकादमिक और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को कम करने के प्रति राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अगस्त 2022 में स्थापित, आर–कैट का उद्देश्य उन्नत और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उच्च–गुणवत्ता, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण को सभी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए सुलभ, सस्ता और समावेशी बनाना है। उद्योग के साथ मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देते हुए, आर–कैट छात्रों और शिक्षकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रदान करता है, ताकि एक तकनीकी–सक्षम और उद्योग के लिए तैयार कार्यबल तैयार किया जा सके।

R-CAT एक व्यापक शिक्षण वातावरण प्रदान करता है जो वैश्विक प्रमाणपत्रों और उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता की चाह रखने वालों के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने में सहायक है। संस्थान ने Oracle, VMware, SAS, RedHat, Adobe, EC-Council, Autofina

Robotics, Microsoft, PHYTEC, AWS, Salesforce, Google और ESRI जैसे प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ अद्वितीय साझेदारियाँ की हैं, जो एनालिटिक्स, Artificial Intelligence (AI) सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा (Cyber Security), रोबोटिक्स, डिजाइनिंग, और GIS जैसे क्षेत्रों में प्रमाणपत्र और जागरूकता प्रदान करते हैं।

आर-कैट के उद्देश्य:

- राज्य के युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों) की रोजगार क्षमता को प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में बढ़ाना।
- सूचना प्रौद्योगिकी, संबंधित सेवाओं और उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में शोध कार्य करना।
- स्टार्ट–अप्स को उद्योग की नवीनतम जानकारी, सह–कार्यस्थल, स्थापित प्रयोगशालाओं के उपयोग आदि में सहायता प्रदान करना।
- उन जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए एक समन्वित वातावरण प्रदान करना जो अपनी तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक स्तर की प्रमाणपत्रों के माध्यम से विकसित करना चाहते हैं, जिससे रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त हो।

R-CAT की सेवाएं:

- R-CAT की तिमाही क्विज–ए–थॉन छात्रों को अपनी ज्ञान क्षमता प्रदर्शित करने और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण सहयोगियों द्वारा प्रमाणित नए युग के पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने

का एक मंच प्रदान करती है। ये पाठ्यक्रम, जो वैश्विक प्रमाणन कार्यक्रम का हिस्सा हैं, न केवल अकादमिक प्रमाण–पत्रों को उन्नत करते हैं, बल्कि छात्रों को आज की कार्यक्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल से भी सुसज्जित करते हैं। इसके अतिरिक्त, R-CAT में इंटर्नशिप पाठ्यक्रम भी हैं, जहाँ छात्र विभिन्न संगठनों में व्यावहारिक परियोजनाओं में हिस्सा लेकर अमूल्य अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। प्रदान की गई प्रमाण–पत्र विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, जो छात्रों के रिज़्यूमे में अत्यधिक मूल्य जोड़ते हैं। R-CAT अब तक 11 क्विज–ए–थॉन पूरे कर चुका है और 12वां क्विज–ए–थॉन जारी है।

- R-CAT छात्रवृत्तियां – R-CAT क्विज–ए–थॉन परीक्षाओं में 60 पर्सेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र होते हैं, जो R-CAT के वैश्विक प्रमाणन कार्यक्रमों पर 50% से 100% तक की छूट प्रदान करती हैं। R-CAT ने विभिन्न वैश्विक प्रमाणन कार्यक्रमों में 2900+ छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।

- हाल ही में, R-CAT ने राजस्थान के कक्षा 12 के स्नातकों के लिए अर्ली करियर प्रोग्राम (निश्चित नियुक्तियाँ) लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में, R-CAT ने एक प्रमुख सॉफ्टवेयर विकास और सेवाओं की संगठन के साथ साझेदारी की है ताकि कक्षा 12 के स्नातकों को IT में उद्योग–संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, जो उन्हें अपने संगठन या इसकी सहायक कंपनियों में निश्चित नियुक्ति के लिए आवश्यक कौशलों से लैस करता है। R-CAT प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के विकल्प की भी तलाश कर रहा है।

- R-CAT विभिन्न औद्योगिक यात्राओं, वेबिनार और सेमिनार के रूप में नए युग की प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों और पेशेवरों को शिक्षित और प्रेरित करना है, जिससे वे उभरते हुए क्षेत्रों में नवीनतम जानकारी से अवगत हो सकें। विशेषज्ञ–नेतृत्व वाली चर्चाओं के माध्यम से R-CAT प्रतिभागियों को तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में आगे रहने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, R-CAT प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उद्योग साझेदारों से जोड़कर उन्हें कई नौकरी के अवसर प्रदान करने में सहायता करता है। R-CAT ने विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों पर 25+ से अधिक वेबिनार और सेमिनार आयोजित किए हैं और कॉलेजों की औद्योगिक यात्राओं के रूप में 8500+ छात्रों को जागरूकता प्रदान की है।

- R-CAT फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) भी आयोजित करता है, ताकि शिक्षकों को नवीनतम उद्योग रुझानों और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों के साथ तैयार किया जा सके। R-CAT ने राजस्थान के 400+ शिक्षकों को FDP प्रदान की हैं। 191+ सरकारी कर्मचारियों

को भी विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण दिया गया है।

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE): R-CAT ने साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, साथ ही IIM उदयपुर के साथ मिलकर मानव व्यवहार और उपभोक्तावाद पर इसके प्रभाव पर एक समर्पित अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया है। ये केंद्र इन अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और अनुसंधान पहलों के माध्यम से, CoEs उद्योग–संबंधी ज्ञान प्रदान करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं, और छात्रों, पेशेवरों, और शोधकर्ताओं को इन तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में आगे रहने के लिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। R-CAT सरकारी कर्मचारियों के लिए ई–गवर्नेंस में आईटी कौशल और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित कर रहा है।

9. अन्य विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं

9.1 वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी-पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)

वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS) परियोजना वन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी सोल्यूशन है। इस परियोजना में उच्च स्तरीय थर्मल/ऑप्टिकल कैमरे, पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क और संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली, ड्रोन आदि का समावेश है।

संपूर्ण सॉल्यूशन के मुख्य घटक:

- ऑनसाइट सेटअप टॉवर/पोल, थर्मल, ऑप्टिकल और पीटीजेड कैमरे (PTZ), रेडियो सेटअप, सोलर सोल्यूशन, Aviation lighting, नेटवर्क स्विच आदि।
- लोकल कंट्रोल रूम सेटअप: सर्वर, Computer Storage, पीएसी, आवश्यक सॉफ्टवेयर/एप्लिकेशन, नेटवर्क उपकरण, वर्क स्टेशन केबिनेट आदि से सुसज्जित स्थानीय मॉड्यूलर और कंटेनरीकृत डेटा केंद्र प्रत्येक साइट पर मॉड्यूलर कंटेनर में स्थापित किए जाते है।
- सॉफ्टवेयर/अनुप्रयोग वीएमएस, सीसीसी, एनालिटिक्स, हेल्पडेस्क आदि।
- संचार उपकरण: बेस रेडियो स्टेशन, डिजिटल रेडियो और आरओआईपी (ROIP)।
- एकीकरण संपूर्ण सॉल्यूशन विभिन्न राजस्थान आई.टी. ब्लॉक्स जैसे RajSSO, एम्बेडेड, एनालिटिक्स, हेल्पडेस्क आदि के साथ एकीकृत है।

- फाइबर के माध्यम से स्थानीय नियंत्रण कक्ष और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के बीच कनेक्टिविटी प्रदान की गई।
- UAV (मानव रहित वाहन): ग्राउण्ड स्टेशन, एकीकृत मिशन योजना, केन्द्रीय और निगरानी सॉफ्टवेयर।

WS&APS एप्लीकेशन के उद्देश्य-

- तकनीक सक्षम WS&APS एप्लीकेशन वन विभाग की निगरानी प्रणाली और निगरानी तंत्र में सुधार करेगी :–
- बाघ और अन्य वन्यजीव जानवरों का संरक्षण करना
- वन अधिकारियों की निगरानी क्षमता में सुधार करना
- अवैध शिकार या अन्य वन्यजीव अपराध प्रवण क्षेत्रों की पहचान
- घुसपैठ, अवैध शिकार और अवैध खनन की निगरानी करना
- प्रभावी निर्णय लेने के लिए तथ्य आधारित जानकारी प्रदान करना

वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति-

WS&APS Phase-I परियोजना अक्टूबर, 2017 में प्रारम्भ हुई एवं दिनांक 10 दिसम्बर 2019 में Go-Live हुई और 09 दिसम्बर 2024 परियोजना का Operation & Maintenance (O&M) चरण पूर्ण हो चुका है एवं वर्तमान में प्रणाली के उन्नयन (Upgradation), अनुरक्षण (Maintenance) एवं एफएमएस (FMS) हेतु निविदा जारी की गई है जो कि technical bid evaluation stage में है।

इसके साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न बजट घोषणाओं एवं अनुमोदन के पश्चात् रामगढ विषधारी–बूंदी, जमवारामगढ अभ्यारण्य–जयपुर, कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य–राजसंमद–उदयपुर–पाली, टॉडगढ रावली–अजमेर– राजसमंद–पाली आदि वन क्षेत्रों में भी WS&APS Phase-III के अंतर्गत इसका विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में जयपुर स्थित जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में सभी टावरों का इंस्टॉलेशन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है तथा यह परियोजना दिनांक 25.07.2025 को Go-Live हो चुकी है।

WS&APS एप्लीकेशन से उपार्जित लाभ-

- 24x7 निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली की स्थापना।
- बाघ या अन्य पहचान किए गए वन्यजीव प्रजातियों के गतिविधि की स्वचालित निगरानी।

- किसी भी वन्यजीव अपराध/पशु की प्रतिक्रिया/बचाव की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार।
- वन्यजीव/वन अपराध के खिलाफ रोकथाम प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना ।
- परिचालन संचालन स्तर की दक्षता और प्रभावी निर्णय लेने के लिए सिस्टम संचालित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट।

9.2 वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)

FMDSS को एक एकल एकीकृत वेब आधारित प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, इस पोर्टल द्वारा वन विभाग के विभिन्न अनुभागों की गतिविधियों का ऑनलाइन प्रबंधन किया जाता है एवं नागरिक वन विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

- FMDSS पोर्टल में निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित किये गए हैं :

1. Citizen Service Delivery Module
2. Forest Development Management Module
3. Forest Production Management Module
4. Financial Management Module
5. Forest Protection Management Module
6. Forest Administration and Land Management
7. Comprehensive & Interactive Dashboard
8. Plantation and Monitoring Module
9. Nursery Module
10. NOC Module

- FMDSS के विभिन्न मॉड्यूल के लिए मोबाइल एप भी विकसित किया गया है।
- प्लांटेशन मॉनिटरिंग एप की मदद से प्लांटेशन साइट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है|
- वन क्षेत्र में अपराध और अतिक्रमण के प्रबंधन के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मॉड्यूल विकसित किया गया है।
- इस एप्लिकेशन का उपयोग करके, नागरिक राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।
- यह एप्लीकेशन वन विभाग के निकट नर्सरी, पौधों की जानकारी प्रदान करता है।
- यह एप्लीकेशन बांस, लकड़ी आदि की नीलामी के लिए जानकारी प्रदान करता है।

- यह पोर्टल मुख्यालय, मंडल कार्यालय, रेंज कार्यालय और वनस्थल के भीतर त्वरित सेवा विनिमय और सूचना प्रदान करता है।

उत्पादन

- कुल वनोपज नीलामी – 17,740 (राजस्व –₹ 11285 लाख)

विकास

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में 23 करोड़ पौधों (214 प्रकार के पौधों) की कुल स्टॉक उपलब्धता के साथ 711 नर्सरी साइट संचालित हैं।
- एफएमडीएसएस द्वारा 11060 सक्रिय साइटों की ऑनलाइन रीयल टाइम निगरानी की जा रही हैं।

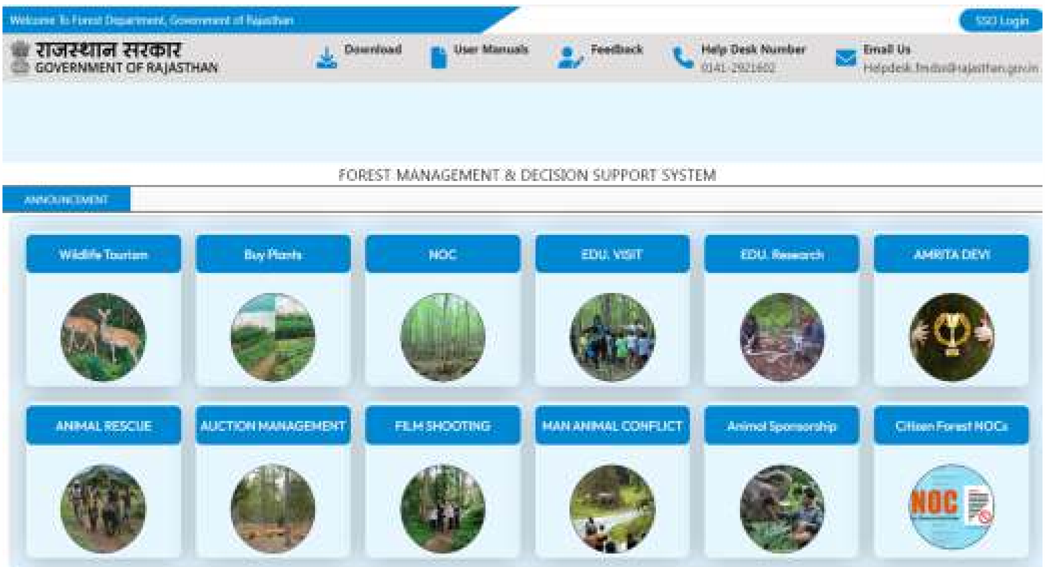

- CAMPA मॉड्यूल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 कुल 1726 आवंटन किये गए हैं|
- Monitoring & Evaluation मॉड्यूल के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल – 769 साइट आवंटित की गई हैं|

संरक्षण

- कुल पंजीकृत वन अपराध – 1,36,159
- अतिक्रमण की कुल घटनाएँ– 11,878
- कुल पंजीकृत आग की घटनाएं– 17,897

- Animal rescue मॉड्यूल के अंतर्गत कुल पंजीकृत रेस्क्यू — 10,225

अनुमति/एनओसी

- जारी एनओसी – 18,984 (राजस्व – ₹ 130.46 लाख)

ToFR (Trees outside Forest in Rajasthan)

वन विभाग की ToFR (Trees outside Forest in Rajasthan) योजना के अन्तर्गत पौधों की ऑनलाइन बिक्री Forest Management – Decision Support System (FMDSS) के माध्यम से की जा रही है जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, यूएलबी, ग्राम पंचायत, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को 23 करोड़ पौधे ऑनलाइन खरीददारी करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब तक इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 12 करोड़ पौधे बेचे जा चुके हैं। इस पोर्टल में जीआईएस सुविधा का उपयोग किया गया है, जिसके द्वारा खरीददार को नजदीकी नर्सरी का पता लगाने की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन भुगतान के लिए आरपीपी (राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म) का उपयोग किया गया है। आमजन इस पोर्टल के माध्यम से पौधों के लिए ऑर्डर और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और फिर रसीद या QR code दिखाकर नर्सरी से पौधे ले सकते हैं।

9.3 आरटीआई पोर्टल

राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है जिसने राज्य सरकार के अधिकांश विभागों, बोर्डों, और स्वायत्त शासन संस्थाओं को एक ही ऑनलाइन "आरटीआई" पोर्टल पर जोड़ दिया है। "आरटीआई" पोर्टल पर आरटीआई अधिनियम–2005 के तहत अनिवार्य सभी सूचनाएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

इसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 01 अक्टूबर 2013 को शुरू किया गया था। वर्तमान में 290 विभाग के 61,800 से अधिक सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी ऑनलाइन "आरटीआई" पोर्टल rti.rajasthan.gov.in का उपयोग कर रहे हैं।

परियोजना का उद्देश्य-

"आरटीआई" पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिक द्वारा आरटीआई अधिनियम–2005 के तहत अनिवार्य सभी सूचनाएं एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु ई–मित्र कियोस्क या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं आरटीआई आवेदन दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध करवाना हैं। पोर्टल विभागीय उपयोगकर्ताओं को आरटीआई आवेदनों और अपीलों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाए रखने और संसाधित करने की सुविधा प्रदान करता हैं। यह पोर्टल राज्य में सरकारी पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर सूचना, ट्रैकिंग और रिपोर्ट आवश्यकताओं

(एमआईएस) की सेवा उपलब्ध करवाता हैं। यह पोर्टल सूचनाओं के आदान–प्रदान और प्रसार के लिए राजस्थान सरकार के कार्यालयों और नागरिकों के बीच एक सेतु प्रदान करता है।

राजस्थान सूचना आयोग मॉड्यूल के अन्तर्गत नागरिकों "आरटीआई" पोर्टल के माध्यम से दर्ज द्वितीय अपीलों एवं परिवादों/आवेदनों की निस्तारण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है।

- नागरिकों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदनों की डाक दर्ज करना।
- संवीक्षा (स्क्रूटनिंग) व सुनवाई दिनांक निर्धारण हेतु नोटिस जारी करना।
- अपीलों एवं परिवादों के निर्णयों की प्रति की ऑनलाईन उपलब्धता।

परियोजना का लाभ-

- नागरिक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके स्वयं या ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन दाखिल करने के साथ–साथ आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन ही नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और ई–मित्र के माध्यम से जमा कर सकता हैं।
- आरटीआई आवेदनों और अपीलों की तय समय सीमा में ट्रैकिंग।
- पत्र और नोटिस, ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम (एसएमएस और ईमेल ट्रिगरिंग) से सूचना स्वतः उत्पन्न।
- सभी विभागों की रिपोर्ट तक सार्वजनिक पहुंच, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा।
- द्विभाषी अनुप्रयोग उपयोग में आसानी देता है।
- नागरिक के यात्रा के समय और लागत में कमी, समयबद्ध सूचना विवरण, कार्यालयों का शून्य या कम दौरा।
- ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदनों और अपीलों को दर्ज करने और संसाधित करने में उपयोगकर्ताओं की मदद करने के लिए एक हेल्पडेस्क स्थापित किया गया हैं।

- पोर्टल पर सभी पंजीकृत विभागों के लिए आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से उपयोगकर्ता लाभान्वित हुए एवं यह प्रशिक्षण विभागों के अनुरोध अनुसार लगातार जारी है।

आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त कुल आवेदन, प्रथम अपील एवं उनके निस्तारण की स्थिति –

	कुल प्राप्त	निस्तारित
आर.टी.आई आवेदन	4,49,685	3,93,771
आर.टी.आई अपील	83,964	48,199

राजस्थान सूचना आयोग (आरआईसी) मॉड्यूल :-

आरआईसी मॉड्यूल अप्रैल–2022 को लॉन्च किया गया है। आरआईसी मॉड्यूल के तहत "आरटीआई" पोर्टल के माध्यम से अपीलार्थियों द्वारा दर्ज करवाई गई द्वितीय अपील एवं शिकायत आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा है।

आरआईसी मॉड्यूल पर प्राप्त द्वितीय अपील एवं शिकायत आवेदनों के निस्तारण की स्थिति–

	कुल प्राप्त आवेदन	निस्तारित
द्वितीय अपील आवेदन	1,32,160	1,19,675
द्वितीय शिकायत आवेदन	12,331	9,263

9.4 अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर

जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों सहित सभी 33 जिलों में अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न घटक सम्मिलित हैं:–

- वीडियो निगरानी तंत्र
- डायल 100 नियंत्रण कक्ष
- फोरेंसिक अनुसंधान प्रणाली
- कुशल यातायात प्रबन्धन तंत्र
- वाहन ट्रेकिंग तंत्र
- भौगोलिक सूचना तंत्र

परियोजनान्तर्गत प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विषय	विवरण
1	कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना	सभी 7 संभागों और 26 जिला मुख्यालयों पर स्थापित कर कार्यशील है। वीडियो निगरानी तंत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों में कुल 23,870 (आनलाईन 12,509 एवं ऑफलाइन 11,361) कैमरों के द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। डायल 100 नियंत्रण तंत्र सभी जिलों (24x7) में कार्यशील है।

9.5 ई-प्रोक्योरमेंट (e-Procurement)

राज्य सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक खरीद में निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना ई–प्रोक्योरमेंट (Government eProcurement solution - GePNIC) प्रारम्भ की गई थी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 1 सितम्बर 2016 से सभी सरकारी विभागों एवं अर्ध सरकारी विभागों के लिए Goods and services हेतु 10 लाख रूपये तथा Works हेतु 5 लाख रूपये की निविदाएं अनिवार्य रूप से ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करनी निर्धारित की गई ।

यह प्रोजेक्ट 2011 से अब तक सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। अब तक 327 विभागों की 1594721 करोड़ रूपये के 952053 टेण्डर इस प्रणाली के माध्यम से जारी हो चुके है। ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अब तक 2596277 बिड्स प्राप्त हो चुकी है।

इस प्रोजेक्ट का वर्षवार status निम्न तालिकानुसार है।

कमांक	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 Til 25-09-2025
1.	विभागों /सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	197	203	207	205	222	229	243	253
2.	कुल निविदायें	79329	67002	64821	83208	103403	110056	119506	114264
3.	प्रकाशित की गई निविदाओं का मूल्य (करोड रूपये में)	89583	64482	74054	118166	217586	227613	231380	152884.91
4.	निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाऐं	285744	259238	236994	255942	213257	168273	134548	98630

9.6 एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS)

इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेज्मेन्ट सिस्टम (IHMS) को वर्ष 2017–18 की मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में प्रारंभ किया गया था। यह एक नागरिक केंद्रित ऑनलाइन हेल्थ मैनेजमेन्ट प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाऐं बेहतर तरीके से प्राप्त हो रही हैं।

इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेज्मेन्ट सिस्टम (IHMS) व्यापक अस्पताल प्रबंधन की विभिन्न प्रणालियों का एक सुपरसेट है, जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) के रूप में नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी सभी डेटा को कैप्चर करना सुनिश्चित करता है।

यह एप्लिकेशन मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और डेंटल कॉलेज अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य उप–केन्द्रों तक सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपलब्ध है।

परियोजना के उद्देश्यः

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उसकी विशिष्ट पहचान आधार/जनाधार संख्या/आभा आईडी इत्यादि के साथ जोड़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) प्रदान करना है।

परियोजना के लक्ष्य निम्नानुसार हैः -

- इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेन्ट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए वेब एवं मोबाइल आधारित एप्लिकेशन डिजाइन करना एवं एप्लिकेशन को राजस्थान डिजिटल स्टैक से जोड़ना।
- यह रोगी की देखभाल की गुणवत्ता और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए अस्पतालों/संस्थाओं में हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाने हेतु क्लीनिकल और प्रशासनिक डेटा के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
- रोगियों की देखभाल की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रोगियों और संगठनों/अस्पतालों को ऑनलाईन क्लीनिकल जानकारी उपलब्ध करवाना।

- स्वास्थ्य इमरजेंसी की स्थिति में त्वरित कार्यवाही करने के साथ–साथ राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों के बेहतर समन्वय के लिए स्वास्थ्य मानकों पर समग्र जानकारी उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड अपनाने को बढ़ावा देना।

सफलता पूर्वक एप्लिकेशन विकसित कर 2000+ स्वास्थ्य सुविधाओं में कॉन्फिगर किया गया/कार्यान्वित किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल/जिला अस्पताल/उप जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि शामिल हैं।

प्रगतिः

- इस प्रणाली के माध्यम से औसतन 4.50 लाख रोगियों का पंजीकरण प्रतिदिन स्वास्थ्य संगठन/अस्पतालों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है और एक दिन में अधिकतम 5.6 लाख ओपीडी पंजीकरण किया गया ।
- अब इस प्रणाली के माघ्यम से 4 करोड़ इलेकट्रॉनिक हेल्थ रिकॉडर्स (ई.एच.आर.) जेनेरेट किए गए है एवं ABHA से लिंक्ड 60 लाख से अधिक ई.एच.आर. जेनेरेट किए गए है।
- राज्य की विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे– आर.जी.एच.एस- और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का इस प्रणाली के साथ TID जनरेशन हेतु इंटीग्रेशन किया गया है।
- नागरिकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जाँच रिपोर्ट प्रदान करने के लिए आईएचएमएस एप्लिकेशन के साथ व्हाट्सएप एकीकरण किया गया।
- 1000 से अधिक अस्पतालों में ई–औषधि के स्थान पर IHMS के फार्मेसी मॉड्यूल उपयोग दवाइयों के इन्वेंटरी मैनेजमेंट एवं दवा वितरण में किया जा रहा है।
- हॉस्पिटलों में भीड़ प्रबंधन करने एवं मरीजों की सुविधा हेतु सरकारी हॉस्पिटलों में क्यू सिस्टम (टोकन सिस्टम) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। कांवटिया, जयपुरिया एवं सवाई मानसिंह अस्पतालों में क्यू सिस्टम चालू किया गया है।

वर्ष	पंजीकृत रोगियों की संख्या (वित्तीय वर्ष)		
	OPD	IPD	Emergency
2019-2020	2,29,17,681	16,52,140	41,64,974
2020-2021	2,89,70,118	18,87,239	39,88,015

वर्ष	पंजीकृत रोगियों की संख्या (वित्तीय वर्ष)		
	OPD	IPD	Emergency
2021-2022	5,29,76,545	26,98,477	57,82,293
2022-2023	8,02,21,123	31,47,559	78,88,828
2023-2024	10,25,58,610	33,32,993	86,13,070
2024-2025	10,85,99,713	34,26,691	98,91,775

परियोजना के मुख्य मॉडयूलः-

1.	User Management	2.	Blood Bank
3.	Emergency	4.	Telemedicine and PACS Module
5.	OPD	6.	Wellness and Risk Factors Module & Wellness Clinics
7.	Enquiry Module	8.	Patient Medical Record Department (PMRD)
9.	HMS Web-Portal/Online Appointment Module(Citizen Portal)	10.	Bio Medical Waste
11.	Electronic Health Record (including Electronic Medical Record)	12.	Diet / Kitchen
13.	Transport Management	14.	Laundry
15.	Investigation & Billing	16.	Estate and Facility Management
17.	Inpatient Management	18.	Purchase & Offline Procurement
19.	Operation Theatre Management	20.	Eligible Couple & Family Planning Module
21.	Central Sterile Stores Department	22.	Pregnancy, Delivery, Newborn & Child Care Module
23.	Stores Management	24.	Bio-Medical Equipment Department/ e-Equipment
25.	Pharmacy Module	26.	Rajasthan Medicare Relief Society
27.	Queue Management	28.	BI Reports (Daily Report)

अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा के लिए क्यू मैनेजमेंट प्रणाली

Patient Outside Doctors OPD

Display Outside Doctors room

Patient Waiting for their Turn

Queue at Registration Counters

9.7 एकीकृत ई-पंचायत सॉफ्टवेयर

एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के विभिन्न संस्थानों तथा जिला परिषद्, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों को डिजिटली सशक्त करने का माध्यम है। इस परियोजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता, पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार लाना तथा सम्पूर्ण खाता प्रबंधन, कार्य प्रबंधन, विभिन्न योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।

इसके अन्तर्गत विकसित किये गये मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा पंचायती राज संस्थानों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जियो –टैगिंग करने का प्रावधान भी है।

चूंकि यह प्लेटफॉर्म ग्राम पंचायत स्तर तक उपयोग में लिया जाता है तथा इसमें विभिन्न विभागों

के ग्राम पंचायत स्तर तक के यूजर Onboarded हैं, अतः इसका उपयोग समय–2 पर सरकार की विभिन्न Flagship योजनाओं अथवा शिविरों यथा प्रशासन गांवों के संग, ग्रामीण ओलंपिक खेल, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इत्यादि के क्रियान्वयन हेतु भी किया जाता है।

इस एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र के विकास कार्यो के निष्पादन हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसका उपयोग कर नागरिकों को पंचायती राज विभाग के कार्यो से सम्बन्धित जानकारी सुगमता से उपलब्ध करवायी जा रही है।

वर्तमान स्थिति

आर.पी.पी. पर पंचायती राज संस्थानों के कुल पंजीकृत खाते	21920
ऑनलाइन लेनदेन करने वाली कुल ग्राम पंचायतें	11,241
कुल भुगतान (निर्माण/अन्य)	2,72,393 Lakh
कुल पंजीकृत कार्य	2750314
कुल जारी स्वीकृतियां	65,84,109 (AS- 24,32,036, TS- 21,02,903, FS- 20,49,170)

9.8 राजफेब (RajFab)

विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन "राजफैब" rajfab.rajasthan.gov.in को विकसित किया गया है और इसका उपयोग विभागीय गतिविधियों को कम समय में, पारदर्शी, आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है।

साथ ही, फैक्ट्रीस व बायॅलर डिपार्टमेंट की नई आवश्यकता के अनुसार राजफैब पोर्टल और वेबसाइट को नया रूप देने और पुनः डिजाइन करने की आवश्यकता है। फलस्वरूप, ''राजफैब'' की एक नवीन वेब एप्लीकेशन व मोबाइल एप्लीकेशन निर्माणाधीन है।

वर्तमान स्थिति

कुल आवेदन प्राप्त	75559
आवेदन निस्तारित	72862
विभाग के पास लंबित	416
आवेदक के पास लंबित	2281

भविष्य की योजनाएं -

कारखानों में सुरक्षा हेतु रिस्क एसेसमेंट में नवीन तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) व अन्य तकनीकों आदि के उपयोग को बढ़ावा देकर औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी।

AI Assisted Risk Assessment Modules

1. Drawing assessment software
2. Document assessment software with English and Hindi OCR
3. Chemical and its Material Safety Data Sheet Knowledge base software
4. Manufacturing Process Knowledge base software

- परियोजना का संचालन और रखरखाव।
- रिपोर्ट किए गए सभी ईओडीबी संबंधित विशेषताओं की अनुपालना।

9.9 स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF 3.0)

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन वर्कफ़्लो आधारित एप्लीकेशन (SIPF Portal 3.0) विकसित की गई है, जिसके माध्यम से निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं। :–

- राज्य बीमा (एस.आई.)
- सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.)
- सामूहिक दुर्घटना बीमा
- मोबाईल ऐप

वर्तमान स्थिति -

सेवारत कर्मचारी	8,05,240
सेवानिवृत कर्मचारियों के जी.पी.एफ. खातों का पुनः संचालन	3,084
पुनः संचालित जी.पी.एफ. खातों का क्लेम	187
जी.पी.एफ. क्लेम	1,07,174
जी.पी.एफ. 2004 क्लेम	6,552
जी.पी.एफ. आहरण	2,07,648
जी.पी.एफ. 2004 आहरण	46,775
जी.पी.एफ. रिफन्ड	17,608
जी.पी.एफ. 2004 रिफन्ड	87
एस.आई. क्लेम	1,13,799
एस.आई. ऋण	1,82,541
नई एस.आई. पॉलिसीयों का स्वतः निर्माण व संचालन	40,537

9.10 लाईट्स-न्याय विभाग (Litigation Information Tracking & Evaluation System)

न्याय विभाग के लिए न्यायिक प्रकरणों के प्रबंधन में सुधार करने हेतु प्रारूपों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर LITES सॉफ्टवेयर और उसकी वेबसाइट को तैयार किया गया है।

उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों में लंबित न्यायिक प्रकरणों का राज्य/ जिला स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाता है। जिनमें राज्य सरकार एक पक्षकार है।

प्रगति:-

वर्तमान में 54 प्रशासनिक विभागों के अधीन 313 विभाग (यूनिट) एवं उक्त विभागों के अधीन कुल 8,159 कार्यालयों द्वारा लाइट्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है।

- गत वर्ष (2024-25) 38,460 नए न्यायिक प्रकरणों को इन्द्राज किया गया है।
- अभी तक 9,782 अधिवक्ताओं को इससे जोड़ा गया है।
- राज्य सरकार के पक्ष में 86% न्यायिक प्रकरणों के निर्णय पारित हुए है।
- विभिन्न प्रारूपों में कुल अभी तक 1,59,60,537 ट्रांजेक्शन्स दर्ज किये गए है।
- एपीआई (API) के माध्यम से उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर के न्यायिक प्रकरणों में सी.एन.आर. (CNR केस नंबर रिकॉर्ड) का अद्यतन तथा अगली सुनवाई तिथि का स्वतः अद्यतन किया जा रहा है।
- उन्नयन पोर्टल LITES 3.0 विकसित किया जा रहा हैं।
  Link- https://lites.rajasthan.gov.in/

9.11 राजस्थान जन-आधार योजना

विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन–आधार योजना लागू की गई थी। आयोजना विभाग की इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आयोजना विभाग द्वारा राजकॉम्प को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया हैं।

राजस्थान जन-आधार योजना का उद्देश्य :-

जन–आधार योजना के तहत जन–आधार रेजिडेंट्स (JRDR) का सफल प्रबन्धन, जिसमें राज्य के 2 करोड से अधिक निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डाटाबेस तैयार किया गया, जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

- प्रत्येक परिवार को जन आधार प्रदान किया जाना, जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान, पते तथा सम्बन्ध के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना।
- पात्र लाभार्थियों को नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में और गैर–नकद लाभ, आधार/जन आधार अधिप्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तान्तरित करवाना।
- महिला सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

राजस्थान जन-आधार योजना का लाभ :-

इस योजना में लाभ वितरण हेतु मानवीय हस्तक्षेप को कम कर सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर, विभिन्न राजकीय योजनाओं के नकद व गैर–नकद लाभ सीधे एवं पारदर्शी रूप से पात्र वास्तविक लाभार्थी को ही हस्तान्तरित किए जाते हैं। जिसकी सूचना नियमित रूप से मोबाईल पर भी प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार लाभ वितरण की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता हैं।

राजस्थान जन-आधार योजना की वर्षवार प्रगति :-

जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं की प्रगति तालिका निम्नानुसार है।

वर्तमान स्थिति (Status) -

नामांकन (Enrolment):

परिवार नामांकन	2.07+ करोड
व्यक्तिगत नामांकन	7.96+ करोड

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):

डीबीटी ट्रान्जेक्शन्स	207+ करोड
डीबीटी राशि	1,29,184 + करोड

9.12 राजस्थान ई-आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम (ReAMS)

ReAMS राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहित कर सरकारी विभागों तथा प्रदेश की जनता को डिजिटल दस्तावेजों को सुलभ ऑनलाईन उपलब्ध कराने वाला पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के अब तक 28.97 लाख डिजिटल दस्तावेजों का संग्रहण तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की 10123 असाधारण गजट अधिसूचनाओं एवं 187 साधारण गजट अधिसूचनाओं का ऑनलाईन प्रकाशन किया जा चुका है तथा इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों के अब तक 48759 साधारण गजट अधिसूचनाओं का ऑनलाईन प्रकाशन भी किया जा चुका है।

परियोजना का उद्देश्य :-

ReAMS परियोजना का उद्देश्य राजस्थान सरकार के सभी विभागों की महत्वपूर्ण पत्रावलियों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियों को विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों को 24x7 ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। साथ ही, विभागों के मूल दस्तावेजों से संबंधित स्थान, समय तथा धन की बचत कर आमजन को भी दस्तावेजों की ऑनलाइन उपलब्धता घर बैठे सुनिश्चित करवाना तथा अनुमोदन युक्त दस्तावेज प्रकाशन ऐप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेजों का प्रकाशन करना भी है।

परियोजना का लाभ :-

ReAMS परियोजना के निम्नलिखित लाभ हैः–

- सरकारी विभागों के डिजिटाइज दस्तावेजों का ऑनलाइन संग्रहण कर 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सरकारी विभागों के मूल दस्तावजों से संबंधित स्थान, समय तथा धन की आवश्यकताओं में बचत करना।
- डिजिटल प्रतियों के माध्यम से मूल दस्तावेजों का संरक्षण कर लंबे समय तक सुरक्षित रखना।
- डिजिटाइज दस्तावेजों की आमजन को घर बैठे सुगम उपलब्धता।
- ऐतिहासिक दस्तावेजों की इतिहासकारों तथा शोधार्थियों को ऑनलाइन उपलब्धता।
- ऑनलाइन दस्तावेजों का प्रकाशन करना।

परियोजना की वर्षवार प्रगति :-

वर्ष	संग्रहित डिजिटाइज दस्तावेजों की संख्या	असाधारण गजट अधिसूचनाओं की संख्या	लाभान्वित विभागों के नाम
2017	2110	0	1. नगर निगम, अजमेर
2018	493884	0	2. देवस्थान विभाग, उदयपुर
2019	877344	1250	3. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
2020	200746	1196	4. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
2021	329122	1233	5. विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर
2022	460167	1383	6. सूचना एवं जन संपर्क विभाग, जयपुर 7. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर 8. राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर
2023	476064	1492	9. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
2024	11990	1385	10. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
2025 (upto 08.10.2025)	37405	2184	11. MAAPRI, Tonk 12. Revenue Department, Ajmer
कुल दस्तावेजों की संख्या	**2897610**	**10123**	

साधारण गजट

वर्ष	विभागों की साधारण गजट अधिसूचनाओं की संख्या	नागरिकों की साधारण गजट अधिसूचनाओं की संख्या
2023	0	121
2024	105	17,093
2025	82	31,545
कुल दस्तावेजों की संख्या	**187**	**48,759**

9.13 आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS)

RISL द्वारा विकसित आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली में आपदा चरणों के दौरान, पूर्व और बाद में दी जाने वाली सहायता गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला के परिचालन प्रक्रिया को शामिल किया गया है, ताकि जीवन/संपत्ति के नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके ।

परियोजना का उद्देश्य

प्रभावित नागरिकों को आवश्यक राहत और पुनर्वास प्रदान किया जा सके। ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ आदि आपदाओं के मामले में किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी डी.एम.आई.एस. पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

परियोजना का लाभ

DMIS ऐप्लीकेशन ने IFMS सिस्टम के माध्यम से DBT (डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर) की एक पारदर्शी और पेपरलेस प्रक्रिया बनाई है। ऐप्लीकेशन ने सब्सिडी इस ऐप्लीकेशन वितरण के समय को कम करने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने में मदद की है, जिससे सरकारी खजाने को भारी बचत हुई है।

परियोजना की वर्षवार प्रगति :-

Agriculture Input subsidy

S. No.	Year	Farmer Count	Bill Amount
1	upto 2020	1954213	13696883257
2	2020-21	1081048	6446015687
3	2021-22	1372323	10550398146
4	2022-23	1017746	7185002136
5	2023-24	1393969	15311357570
6	2024-25	730983	7491484042
7	2025-26 till date	2861615	24096278958
Total		**10411897**	**Rs. 84777419796/-**

Other Relief

S. No.	Year	No. of Persons	Bill Amount
1	upto 2020	-	-
2	2020-21	173	16307500
3	2021-22	1148	49525720
4	2022-23	22190	387291120
5	2023-24	2626	70987131
6	2024-25	4598	119343141
7	2025-26 till date	11496	237553779
Total		**42231**	**Rs. 881008391/-**

Relief Type	No. of Farmers/Persons	Bill Amount
Agriculture Input Subsidy	10411897	Rs. 84777419796
Other Relief	42231	Rs. 881008391
Total	10454128	Rs. 85,65,84,28,187

9.14 राजकिसान साथी

Ease of Doing Farming (EoDF) प्लैटफ़ॉर्म के माध्यम से कृषि, बागवानी, कृषि विपणन बोर्ड आदि जैसे सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विस्तारित किसान संबंधी सभी सेवाएं उपलब्ध होती हैं।

राजकिसान साथी परियोजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो किसानों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कृषि से जुड़ी सभी सेवाएँ और योजनाएँ उपलब्ध कराती है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि, बागवानी और विपणन जैसे विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकीकृत करना और किसानों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उनकी ज़रूरतों के अनुसार समाधान प्रदान करना है। राजकिसान साथी किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल उत्पादन, बीज और उर्वरक वितरण जैसी सेवाओं को पारदर्शी और कुशलतापूर्वक पहुँचाने में सहायक है। इसके साथ ही यह एआई/एमएल आधारित फसल रोग प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है।

यह परियोजना कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हुए सरकार की योजनाओं और सब्सिडी का लाभ किसानों तक त्वरित और पारदर्शी ढंग से पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजकिसान साथी के माध्यम से किसान डिजिटल रूप से पंजीकरण कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस परियोजना ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाकर किसानों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाया है और राजस्थान के कृषि विकास में एक नई दिशा प्रदान की है।

राजकिसान साथी परियोजना के अंतर्गत G2C, G2B और G2G से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को विकसित किया जा रहा है। राजकिसान साथी परियोजना में किसान डाटाबैंक (किसान की पहचान, भूमि और फसल की जानकारी), कृषि इनपुट प्रबंधन प्रणाली (मिट्टी, बीज, उर्वरक, सिंचाई का बुनियादी ढांचा, कृषि मशीनरी), कृषि उत्पादन प्रबंधन प्रणाली (फसल उत्पादन, बाजार/मंडी, भंडारण और परिवहन), कृषि सुविधा (परीक्षण और क्यूसी, कृषि–प्रसंस्करण, सूची और डीलर सूचना), ई–मार्केट प्लेस– ऑर्गेनिक (ऑनलाइन मार्केटप्लेस), सब्सिडी/स्कीम मॉनिटरिंग–डीबीटी आदि शामिल हैं। उपरोक्त गतिविधियों के

अलावा, प्रस्तावित समाधान में जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (कृषि सलाहकार, जीआईएस आधारित मॉडलिंग), सूचना और चेतावनी (मौसम रिपोर्टिंग, सूचना प्रबंधन और विस्तार), डाटा विश्लेषण (प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुमान और पूर्वानुमान) भी शामिल होंगे।

परियोजना का लाभ

- राजकीय अनुदान योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)।
- कृषि आदान विक्रेताओं, व्यवसायियों को ऑनलाईन लाईसेंस/पंजीयन की सुविधा उपलब्ध।
- कृषि, मौसम विज्ञान और तकनीकी जानकारी।
- फसल उत्पादन में निर्णय लेने के लिए पूर्वानुमान सेवाओं की स्थापना।
- एक संपूर्ण सूचना प्रणाली जिसके माध्यम से किसानों को बाजार की उपलब्धता, मौसम की जानकारी, मिट्टी के अनुरूप उर्वरक, बीज आदि के लिए सलाह जैसी विभिन्न सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
- किसानों को सब्सिडी संबंधी सेवाओं की सुगमता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इसकी सुपुर्दगी।
- AI/ML आधारित फसल कीट प्रबंधन प्रणाली
- एकीकृत किसान सहायता प्रणाली
- राजकिसान सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं की जानकारी, पात्रता कैलकुलेटर और सब्सिडी के लिए आवेदन करने और आवेदन की प्रगति पर नज़र रखने की सुविधाएं शामिल हैं। किसान जैव–उर्वरक, जिप्सम, सूक्ष्म पोषक तत्व और सब्सिडी वाले बीज के लिए आवेदन कर सकते हैं और काम पूरा होने की पुष्टि ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐप पीएमएफबीवाई के तहत फसल नुकसान पंजीकरण का भी समर्थन करता है, मौसम का पूर्वानुमान, गोदाम विवरण प्रदान करता है और समर्थन के लिए एक एकीकृत हेल्पडेस्क भी शामिल करता है। अतिरिक्त सुविधाओं में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला विवरण, कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की जानकारी, राज हंस नर्सरी और स्थानीय उर्वरक, बीज और कीटनाशक आपूर्तिकर्ता विवरण और एक एफएक्यू अनुभाग शामिल हैं। ऐप एमएसपी, पौधों की नर्सरी, कृषि–निर्यातकों और अधिक संसाधनों के साथ एक ई–लाइब्रेरी भी प्रदान करता है, साथ ही कृषि ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर निर्देशात्मक वीडियो तक पहुंच प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य किसानों को जानकारी और सहायता तक आसान पहुंच के साथ सशक्त बनाना है।

कृषकों के लिए लाभ

- जन–आधार डाटाबेस का उपयोग करके आवेदन प्रपत्रों का सरलीकरण।
- सब्सिडी वितरण के प्रत्येक चरण में किसान को एसएमएस।
- आवेदन वास्तविक समय में कृषि कार्यालय तक पहुंचता है।
- आवेदन के समय पात्रता की जानकारी, आवश्यक दस्तावेज की जानकारी उपलब्ध होती हैं।

विभाग के लिए लाभ

- सभी कृषि संसाधनों से संबन्धित डाटा का एक केंद्रीकृत डाटाबेस।
- कृषि संबंधी नियोजन गतिविधियों को संभालने में लगने वाले समय में कमी।
- सरकारी अधिकारियों और एमआईएस रिपोर्ट के लिए एकीकृत बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड।
- योजनाओं की स्थिति और उसकी प्रगति के बारे में ऑनलाइन जानकारी।
- वेब–ऐप्लीकेशन, पेमेंट गेटवे और एसएमएस के माध्यम से कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण।
- सभी हितधारकों (किसान, कर्मचारी, कृषि–व्यवसाय समुदाय आदि) तक विस्तारित पहुंच।

परियोजना की सांख्यिकी प्रगति

परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है और यह लक्षित हितधारकों पर भारी प्रभाव डालता है

- 4.62 करोड़ से अधिक विजिटर राजकिसान साथी पोर्टल पर हैं।
- 75 लाख़ से ज्यादा अद्वितीय किसानों को ऑनलाईन किया गया ।
- 23 लाख किसानों ने सेवाओं के लिए आवेदन किया ।
- 1.54 करोड़ से अधिक मिनीकिट मोबाइल ऐप के माध्यम से वितरित ।
- 3566 करोड़ रूपये से अधिक डीबीटी भुगतान।
- 65316 से अधिक बालिकाएँ “Incetive to Girls scheme” के अंतर्गत लाभान्वित हुईं और 129 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई।
- 3.09 लाख से अधिक सोलर पंप सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन।
- 7.88 लाख से अधिक कांटेदार तार सब्सिडी आवेदन।
- 2.15 लाख से अधिक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए ।
- 1.39 लाख से अधिक नमूने राज एग्री क्यूसी मोबाइल एप द्वारा लिए गए हैं, जो डिजिटल

रूप से सक्षम end to end सैंपलिंग है।

- 2500 से अधिक संचयी क्रेता/विक्रेता व्यापार सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किए गए हैं।
- 400 से अधिक स्थलों का टिड्डी हमले से टिड्डी हॉपर और कंट्रोल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नियंत्रित किया गया।
- 10000 से अधिक कृषि, बागवानी और संबद्ध विभागों के कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने सहित राजकीय समिति पर अपना पंजीकरण कराया है।
- 5 लाख कृषकों द्वारा राजकिसान सुविधा मोबाइल ऐप उपयोग में लिया गया हैं।
- एआई/एमएल आधारित किट प्रबंधन हेतु 40 प्रकार की फसलों की 36000 हजार से अधिक फसल छवियां उपलब्ध कराई गई है।

राजकिसान साथी पुरस्कार एवं सम्मान (Awards & Recognitions)

राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024

राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की 'राजकिसान साथी' परियोजना को राष्ट्रीय सीआईपीएस इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा श्रीनगर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार डिजिटल कृषि शासन में नवाचार और किसानों के लिए सेवा–आधारित एकीकृत पोर्टल के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया।'राजकिसान साथी' को एक उदाहरणीय ई–गवर्नेंस मॉडल के रूप में मान्यता मिली।

राष्ट्रीय -गवर्नेंस अवॉर्ड 2023-24 (Silver Category)

'राजकिसान साथी' को राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस अवॉर्ड 2023–24 (रजत श्रेणी) से भी सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शी सेवा वितरण के लिए प्रदान किया गया।

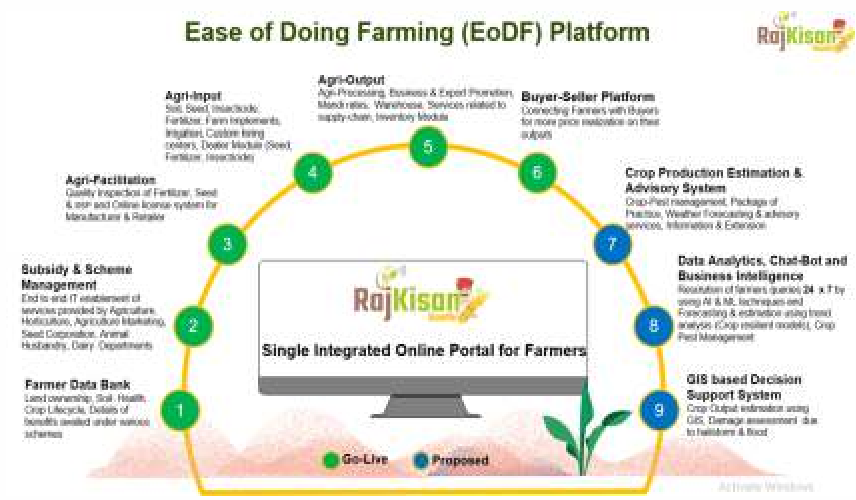

9.15 सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS)

सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम (सी.एच.एम.एस.) एक ऑनलाइन आईटी आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसमें राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारी, अन्य राज्य/केंद्र, राज्य अतिथि, विदेशी अतिथि, जन प्रतिनिधि, स्थानांतरण, सेवानिवृत्त अधिकारी, निजी और सार्वजनिक उपक्रम को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

परियोजना का उद्देश्य निम्न है-

- राजस्थान के सभी सर्किट हाउस, दिल्ली में राजस्थान हाउस और मुंबई में गेस्ट हाउस में कमरे के आरक्षण के लिए ऑनलाइन सेवा अनुरोध ।
- सर्किट हाउस मैनेजर द्वारा कमरे के आरक्षण को ऑनलाइन स्वीकार या अस्वीकार करना।
- यात्रा कार्यक्रम का अनुकूलन।
- खपत एवं सेवाओं के आधार पर मेहमानों के लिए ऑनलाइन बिल जारी करना।
- रसोई, स्टोर और हाउसकीपिंग प्रबंधन को ऑनलाइन करना।
- वार्षिक, मासिक, दैनिक रूम ओक्यूपेंसी एनालिटिक्स डैशबोर्ड विकसित किया गया है ।
- वास्तविक समय पर प्रभावी निगरानी और प्रशासन के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली।

आज तक, 35 सर्किट हाउस स्वचालित हो चुके हैं। कुल कमरे बुकिंग अनुरोध (ट्रांजेक्शन की संख्या) 162627 हैं। इसमें से 81900 अनुरोधों को इस पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक चेक–आउट किया गया है और 49983 अनुरोधों को रद्द किया गया है।

9.16 मास मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म मेनेजमेंट 2.0 (सोशल मीडिया)

राजस्थान के नागरिकों के साथ अत्यधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से त्वरित और सीधा संवाद करने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट एक लोकप्रिय परियोजना है। यह प्लेटफॉर्म आमजन के साथ सरल और शक्तिशाली संपर्क बनाने के साथ नेटवर्किंग और जुड़ाव बनाए रखने में भी मदद करता है।

परियोजना का उद्देश्यः

- राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को अन्तिम छोर तक पहुँचाना, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके।
- नये ब्लॉग, वेबसाइट, ऑर्टिकल के माध्यम से आमजन को जागरूक करना।
- मास मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म के माध्यम से मीडिया ट्रैकिंग करना।
- विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग/लाइव वेबकास्टिंग करना।
- संकट प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्ट/क्रिएटिव वीडियो आदि का निर्माण करना।
- साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को जागरूक करना।

परियोजना का लाभः

वर्तमान में विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न हेन्डल्स (GoR, CMO, DoIT&C, RajSampark, eMitra, R-CAT, RajPoliceHelp) पर निरंतर विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे पात्र व्यक्ति/परिवार उस स्कीम/परियोजना का लाभ ले सके।

इन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न इन्फोर्मेशनल इमेज, विडियो, स्टोरीज पोस्ट की जाती हैं, जो रिट्वीट एवं रि–शेयर भी की जाती हैं। प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के केम्पेन संचालित करना जैसे– #आपणो_अग्रणी_राजस्थान, #विकसित_राजस्थान_2047, #नारी_तुम_नारायणी आदि।

परियोजना की वर्षवार प्रगतिः

वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर GoR, CMO, DoIT&C, RajSampark, eMitra, R-CAT, RajPoliceHelp के 80 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल्स का प्रबंधन एवं रखरखाव किया जा रहा है।

जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक की वृद्धि दरः -

Social media Handles	Twitter	Facebook	Instagram
CMO	21.38%	21.38%	21.38%
GoR	18.25%	18.25%	18.25%
DoIT&C	29.13%	39.01%	39.69%
RajSampark	27.20%	14.32%	43.08%
e-Mitra	14.23%	22.53%	116.62%
R-CAT	58.19%	359.58%	137.40%
MyGov Rajasthan	272.99%	133.18%	71.31%
Rajasthan Revealed	14.83%	4.96%	5.19%
Rajasthan Police HelpDesk	25.47%	-	-

- **Campaigns**: #सहकार_से_समृद्धि, #अनुप्रति_कोचिंग_योजना, #आपणो अग्रणी राजस्थान, # नारी_ तुम_ नारायणी, # विकसित_ राजस्थान_ 2 0 4 7 # नीयत_ सच्ची_ तरक्की_ पक्की, # मुस्कान_ राजस्थान_ री, # लक्ष्य_ अंत्योदय, # सहकारिता_ से_ समृद्धि, # वरिष्ठ_ नागरिक_ तीर्थयात्रा_ योजना, #अनुप्रति_कोचिंग_योजना, #KhushalRajasthanKaBudget, #HarGharKhushali, #VandeGangaRajasthan, #TakneekiTarakki, #SolarPoweredRajasthan, #NayiNeetiyan_NayaRajasthan, #CabinetDecisionsRajasthan, #WomenEqualityDay etc.
- एक ब्लॉग वेबसाइट (http://rajasthanrevealed.com/)

S.No	Social media activities	January 2025 - December 2025
1	Produced campaigns	19+
2	Creatives	11000+
3	Produced & edited videos	260+
4	Live broadcasts	700+
5	Queries resolved on @RajPoliceHelpDesk	27,000 +

9.17 ई-लाइब्रेरी

ई–लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में, विभिन्न राजकीय कॉलेजों की लाइब्रेरी प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया हैं। ऐप्लीकेशन को लाइब्रेरियन से इनपुट के साथ विकसित किया गया हैं ताकि इसे अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाया जा सके।

सभी पुस्तकालय संचालन, जैसे– पुस्तक क्रय, जमा, अधिग्रहण, परिग्रहण और स्टॉक सत्यापन स्वचालित किया गया है।

सरकारी कॉलेज के पुस्तकालयों में संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह ऐप्लीकेशन सीमित संसाधनों के साथ दैनिक संचालन का प्रबंधन करने के लिए लाइब्रेरियन के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यही आवेदन विभागीय पुस्तकालयों में भी उपयोग लिया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएं

- सभी पुस्तकालय प्रबंधन कार्यों का स्वचालन, जिसमें पुस्तक जारी करना, जमा, सदस्य जोड़ना आदि शामिल हैं।
- संबंधित पुस्तकालयों की वास्तविक समय स्थिति देने के लिए डैशबोर्ड की रिपोर्ट।
- कॉलेज की लाइब्रेरी जरूरतों के लिए उपयोगी।
- भौतिक पुस्तकों के डाटा का पूर्ण डाटा प्रविष्टि।
- आवेदन में छात्रों के डाटा के प्राप्त करने के लिए DCE प्रवेश मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ हैं।

वर्तमान स्थिति

- 69 शासकीय महाविद्यालय पुस्तकालय, 7 शासकीय विभाग (राजभवन, राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी, बीकानेर, संगीत संस्थान, टीआरआई एवं वन),

सचिवालय पुस्तकालय एवं जवाहर कला केन्द्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर को अनुकूलित कर उपयोग कर रहे है।

- लगभग 25 लाख पुस्तकों की डाटा प्रविष्टि का कार्य पूरा कर लिया गया हैं। 4,66,000 सदस्यों का डाटा आवेदन में अपडेट किया जा चुका है।
- सॉफ्टवेयर मुफ्त प्रदान किया जाता है, लेकिन अनुकूलन, एफएमएस और डाटा प्रविष्टि के लिए शुल्क संगठन द्वारा वहन किया जाता है।

URL: https://dce.rajasthan.gov.in/elib

9.18 जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System)

जी.सी.एम.एस.(Generalized Court Management System) एक जेनेरिक प्लेटफॉर्म है जिसे न्यायिक वादों के प्रबन्धन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह न्यायालयों के स्वचालन को न्यूनतम लीड–टाइम और अदालती कार्यवाही के मानकीकरण में सहायक होता है। जी.सी.एम.एस. एप्लिकेशन (Generalized Court Management System) को न्यायालय के प्रबंधन संबंधी कार्यो के वेब–आधारित ऐप्लीकेशन के रूप में विकसित किया गया हैं, जिसे किसी भी प्रकार के न्यायिक संगठन के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न न्यायालयों (राजस्व, सिविल आदि) की प्रक्रिया जैसे– पंजीकरण, नोटिस/सम्मन, वाद सूची, फीडबैक, अंतिम निर्णय और कार्यान्वयन, कैविट्स, फाइल प्रबंधन, संदेश और विभिन्न कार्यों के अनुमोदन और संचालन के लिए उपयोग में लिया जाता हैं।

वर्तमान में राजस्व मण्डल कोर्ट, समस्त अधिनस्थ राजस्व न्यायालय, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर.सी.सैट), राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एल.ए.आर.आर.ए), चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, खान और भूविज्ञान विभाग (डी.एम.जी) और राजस्थान टैक्स बोर्ड इस एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं।

आम जनता के लिए प्रकरण की जानकारी हेतु पब्लिक यूजर पोर्टल में प्रकरण की स्थिति, वाद सूची, निर्णय प्रति, बैंच आवंटन, अंतरिम आदेश प्रति इत्यादि विकल्प दिये गये हैं।

क्र. स.	विभाग	कुल कोर्ट	यूजर संख्या	पंजीकृत केस	निर्णित	लम्बित
1	अ. राजस्व मण्डल कोर्ट	1	343	2,04,445	1,33,798	706
	ब. अधिनस्थ राजस्व न्यायालय	1,696	4,952	19,14,019	1,26,8855	6,45,164
2	चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना	34	168	1,80,465	98,536	81,929
3	राजस्थान टैक्स बोर्ड	1	45	45,889	44,044	1,845
4	राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एल.ए.आर.आर.ए)	1	19	887	689	198
5	खान और भूविज्ञान विभाग (डी.एम.जी)	4	52	3,064	1,020	2,044
6	राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर. सी.सैट)	2	56	67,281	59,545	7,736

9.19 ई.ई.एम.एस. (Employment Exchange Management System)

कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग (रोजगार शाखा), राजस्थान सरकार द्वारा एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म EEMS पोर्टल को लागू किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य के समस्त आशार्थियों, नियोक्ताओं और विभाग की सूचना को संधारित किया जाता है एवं सूचना का आदान–प्रदान होता है। EEMS पोर्टल https://rajemployment-rajasthan-gov-in को उपयोगकर्ता (नौकरी चाहने वाले, नियोक्ता एवं अन्य) द्वारा वेब ब्राउज़र पर इंटरनेट के माध्यम से खोला जा सकता है। उक्त एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म आशार्थियों और रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। साथ ही विभाग का उद्देश्य है कि रोजगार एक्सचेंज को अधिक मजबूत किया जाए ताकि नौकरी चाहने वाले और नियोक्ता सक्षम हों और आईसीटी का प्रभावी उपयोग कर सकें।

परियोजना का उद्देश्य:

रोजगार विभाग राजस्थान सरकार का लक्ष्य राज्य में आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और बेरोजगारी को काम करना है

परियोजना के लाभ:

- प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मज़बूत डेटाबेस बनाना।
- आशार्थियों (नौकरी चाहने वालों) और नियोक्ताओं के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कर एक–दूसरे की आवश्यकताओं को आसानी से पूर्ण करना।
- नागरिकों के उद्यमिता विकास के मद्देनजर रोजगार सेवाओं के लिए वन–स्टॉप–सोल्यूशन (One Stop Solution) प्रदान करना।
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने की सुविधा।
- प्रशिक्षण साझेदारों एवं नियोक्ताओं का सहयोग और साझेदारी।

वर्तमान स्थिति

कुल पंजीकृत उम्मीदवार	2462611
कुल उम्मीदवार जो भत्ते के लिए आवेदन करते हैं।	1539668
अभ्यार्थियों को अब तक की कुल राशि का भुगतान	38027104312
इस वित्तीय वर्ष पर अभ्यर्थी को देय कुल राशि (01.04.2025 से13.01.2026	4342842675

भविष्य की योजनाएं-

- बेरोजगारी भत्ते की पूरी प्रक्रिया Paperless होगी
- एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 (बजट घोषणा 2024–25) के अंतर्गत भविष्य की योजना :–

➢ EEMS मोबाइल एप्लीकेशन

➢ ऑनलाइन निरीक्षण एवं संचार का प्रावधान

➢ उन्नत डैशबोर्ड

➢ वेब आधारित एप्लिकेशन और मोबाइल ऐप में ऑटो अलर्ट

9.20 यू.आई.डी (आधार)

आधार (UID) परियोजना प्रदेश के समस्त निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने की एक महत्वपूर्ण परियोजना हैं। वर्तमान में, यह निवासियों के बायोमेट्रिक्स और जन सांख्यिकीय डाटा के भंडारण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एवं सुरक्षित डाटाबेस हैं। वर्ष 2009 में, योजना आयोग (वर्तमान, NITI आयोग) के तत्त्वाधान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का गठन किया गया और उसे भारतीय निवासियों के आधार (UID) डाटाबेस के साथ–साथ लेन–देन आधारित अधिप्रमाणन से सम्बन्धित एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। आधार, पात्र लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी सरकारी योजनाओं के नकद और गैर–नकद लाभों को सीधे स्थानांतरित करने का सबसे सफल माध्यम के रुप में स्थापित हो चुका हैं।

UIDAI ने वर्ष 2010 में, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C) को अपना स्टेट–रजिस्ट्रार नियुक्त किया था और DoIT&C ने राजस्थान में मई–2011 से आधार नामांकन एवं जनवरी 2020 से बाल आधार नामांकन (आयु वर्ग 0 से 5 वर्ष) का शुभारम्भ कर दिया था। विगत 15 वर्षों में DoIT&C ने राज्य निवासियों के लगभग 100.49 प्रतिशत् से अधिक निवासियों के आधार जारी किये जा चुके हैं। इसी प्रकार विगत 5 वर्षो में लगभग 32.08 प्रतिशत बाल आधार जारी किये जा चुके हैं। UIDAI ने राज्य के निवासियों के लिए लगभग 8 करोड़ से अधिक आधार आईडी जारी कर दिए हैं। वर्तमान में, DoIT&C के पास लगभग 3,000 से अधिक सक्रिय ऑपरेटर्स हैं जो राज्यभर में आधार नामांकन/अद्यतन डाटाबेस में पंजीकरण और अद्यतन कर रहे हैं। इस प्रकार DoIT&C प्रति व्यक्ति मशीनों/ऑपरेटर्स की उपलब्धता के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेट–रजिस्ट्रार्स में से एक हैं।

9.21 राजनिवेश

यह वेब एप्लिकेशन Bureau of Investment Promotion - BIP के लिए विकसित की गई है।

राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो एनेबलिंग एंड क्लीयरेंस (संशोधन) अधिनियम, 2020 को 16 सितंबर 2020 को अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य मौजूदा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (SWCS) को और अधिक प्रभावी बनाना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो (BIP) के अंतर्गत एक "वन स्टॉप शॉप" (OSS) सुविधा स्थापित की गई, जिससे बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक कुशलता से सुगम बनाया जा सके और आवश्यक स्वीकृतियों एवं अनुमोदनों को एकीकृत ढांचे के तहत शीघ्रता से पूरा किया जा सके। वन स्टॉप शॉप से संबंधित नियमों को 26 नवंबर 2020 को अधिसूचित किया गया।

राजनिवेश पोर्टल एक केंद्रीकृत ऑनलाइन इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है, जो एक समयबद्ध

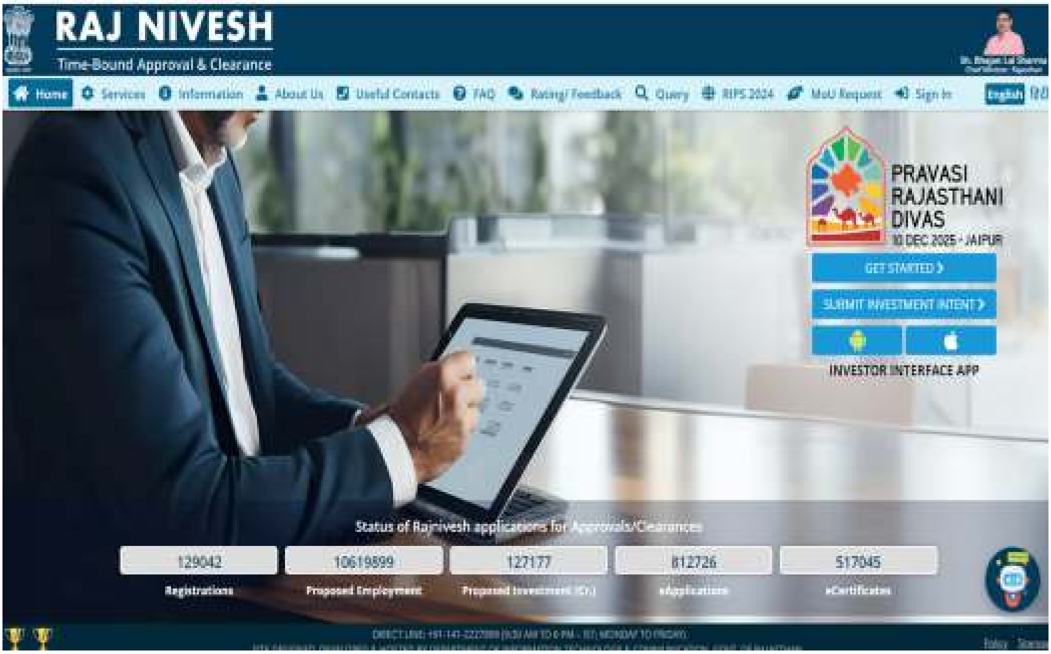

स्वीकृति प्रणाली प्रदान करता है। यह जानकारी, पंजीकरण, अनुमोदन एवं स्वीकृतियों की निगरानी के लिए एक व्यापक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, यह पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी प्रणाली प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं और उनकी स्थिति का ट्रैक रखा जा सकता है, साथ ही इसमें ई–पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। यह निवेशकों के मार्गदर्शन हेतु संबंधित नियमों, विनियमों, आदेशों, नीतिगत पहलों एवं योजनाओं की अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

9.22 यूडीएच में आईटी का योगदान (Contribution of IT in UDH)

शहरी विकास और आवास विभाग (UDH), जो नागरिकों और सरकार के बीच पहला संपर्क बिंदु है, नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें इससे संबंधित अन्य विभाग भी शामिल हैं। ई–गवर्नेंस पहल और व्यापार में सुगमता अभियान के तहत, विभिन्न G2C और G2B सेवाओं का विकास किया गया, जिसमें अनुमोदन को ऑनलाइन स्वीकृत और संसाधित किया जाना था। इसी दृष्टिकोण के साथ "IT Enablement of UDH" परियोजना अक्टूबर 2017 में शुरू की गई।

DoIT&C द्वारा विकसित ऑनलाइन सेवाओं के अलावा, 8 ऑनलाइन सेवाएँ UDH द्वारा ICICI बैंक (E-connect Solutions) के सहयोग से विकसित की गई हैं और DoIT&C द्वारा निगरानी की जा रही हैं।

9.23 एलएसजी में आईटी का योगदान (Contribution of IT in LSG)

राजस्थान सरकार द्वारा सभी विभागों में किये जा रहे कागजी कार्य के दौरान सरकारी कार्यालयों में आम आदमी को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विभिन्न विभागों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जा रहा है. इसी कड़ी में स्थानीय स्वशासन विभाग की महत्वपूर्ण सेवाओं को सफलतापूर्वक ऑनलाइन कर दिया गया हैं। एप्लिकेशन एसएसओ और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत हैं। इन सभी सेवाओं को एसएसओ में एलएसजी सेवा मॉड्यूल में एकीकृत किया गया हैं।

- **ट्रेड लाइसेंस (पंजीकरण और नवीनीकरण)** - ट्रेड लाइसेंस सेवा का उपयोग किसी भी नए व्यवसाय या व्यापार प्रक्रिया के लिए नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता हैं। इसका उपयोग मौजूदा या पुराने लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए भी किया जा सकता हैं। विभाग ऑनलाइन आवेदन पर पूरी जांच करेगा और यदि सब कुछ ठीक रहा तो संबंधित आवेदन के लिए लाइसेंस आदेश जारी किया जाएगा।

- **फायर एनओसी** - इस सेवा के तहत किसी भी नए उपक्रम के लिए एलएसजी विभाग द्वारा दी गई फायर एनओसी सभी प्रकार के दस्तावेजों की जांच और आवश्यक उपकरणों और प्रक्रियाओं के भौतिक निरीक्षण के बाद पूरी तरह से ऑनलाइन जारी की जाती हैं।

- **म्युटेशन (नामांतरण)** - इस आवेदन का उपयोग भूमि दस्तावेजों जैसे बिक्री विलेख/उपहार विलेख/पट्टा इत्यादि पर नाम हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के लिए किया जाता हैं।

- **लीज डिपॉजिट**- इस एप्लिकेशन का उपयोग भूमि/संपत्ति के जमा लीज शुल्क के लिए

किया जाता हैं। इस एप्लिकेशन में उपयोगकर्ता एक प्रकार या वार्षिक लीज शुल्क जमा कर सकता हैं।

- **साइनेज लाइसेंस** - किसी भी प्रकार के साइन बोर्ड/होर्डिंग के लिए ली जाने वाली अनुमति इस सेवा के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं।
- **सीवर कनेक्शन** - सीवर कनेक्शन के आवेदन से लेकर उसके निस्तारण तक। सीवर कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया हैं।
- **प्रोपर्टी टेक्स**- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन सेवा के माध्यम से पूरे राजस्थान में संपत्ति के लिए भुगतान कर अब घर बैठे आसानी से भुगतान किया जा सकता हैं।
- **प्रोपर्टी आईडी** - राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की संपत्तियों को एक अलग पहचान के साथ जोड़ने की दिशा में इस सेवा को विकसित किया गया हैं, सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए एक आईडी प्रदान की जा रही हैं।
- **सबडिवीजन एंड रिकोन्सटिट्यूशन** - शहरी विकास और आवास (यूडीएच) विभाग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर ने SDRC (सबडिवीजन एंड रिकोन्सटिट्यूशन) एप्लिकेशन विकसित की हैं।
- **स्ट्रीट वेण्डर**- स्ट्रीट वेण्डर पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया हैं। ऑनलाइन आवेदन एस.एस.ओ. अथवा ई–मित्र के माध्यम से किया जा सकता हैं। ऑनलाइन आवेदन की जांच स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पूरी कर स्ट्रीट वेण्डर को प्रमाण–पत्र ऑनलाइन ही जारी किया जायेगा। पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर स्ट्रीटवेण्डर को सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी एवं कार्य सहुलियत से हो सकेगा।
- **समुदायिक केंद्र बुकिंग** - यह पोर्टल समुदायिक केंद्रो की सुविधाओं एवं सेवाओं के आरक्षण की सुविधा प्रदान करता हैं। उपयोगकर्ता उपलब्ध स्थानों को ब्राउज कर सकते है, उपलब्धता की जांच कर सकते हैं, एवं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बुक कर सकते हैं। यह पोर्टल समुदायिक केंद्रो को कुशल उपयोग सुनिश्चित करते हुए बुकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता हैं।
- **लीज डीड** - इस पोर्टल पर आम नागरिक अपनी भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन करता हैं। जैसे कि स्कीम पट्टा, कच्ची बस्ती पट्टा, स्टेट

ग्रांट पट्टा, 69 पट्टा आदि। आवेदन पर संबंधित नगरीय निकाय या डवलपमेंट अथॉरिटी विभिन्न स्तर पर आवेदन की जांच करता हैं, जांच सही पाये जाने पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर पट्टा प्रदान किया जाता हैं।

LSG ऑनलाइन सेवाओं का इन्टिग्रेशन ई–मित्र के साथ किया जा चुका हैं। आरपीपी के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी शुरु की जा चुकी हैं। RGDPS पोर्टल के साथ भी LSG ऑनलाइन सेवाओं का इन्टिग्रेशन किया जा चुका हैं। जन सूचना पोर्टल के साथ इन्टिग्रेशन किया जा चुका हैं। LSG ऑनलाइन सेवाओं का नोटिफिकेशन एसएमएस व ई–मेल के माध्यम से भेजने की सुविधा शुरु की जा चुकी हैं। LSG ऑनलाइन सेवाओं की समस्त रिपोर्टिंग ऑनलाइन की जा चुकी हैं। सिंगल विंडो व राजनिवेश से LSG ऑनलाइन की साइनएज, फायरएनओसी और ट्रेड लाइसेंस सेवाओं का इन्टिग्रेशन किया जा चुका हैं। LSG ऑनलाइन की ट्रेड लाइसेंस सेवाओं में ऑटो रिन्युअल का प्रावधान किया जा चुका हैं। फायर एनओसी सेवाओं का रिन्युअल भी ऑनलाइन किया जा चुका हैं।

9.24 डीएलसी जीईओ टैगिंग (DLC Geo Tagging)

वित्तीय वर्ष 2021–22 में की गई एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को निर्दिष्ट DLC दरों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्धारण कर Geo-Tagging के साथ ऑनलाइन करने संबन्धित बजट घोषणा की अनुपालना में GIS आधारित डीएलसी Geo tagging परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं।

इस योजना का उद्देश्य जीआईएस तकनीक का उपयोग करके डीएलसी दरों के निर्धारण प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बना कर नागरिकों को सम्पत्ति पंजीकरण की निर्बाध सुविधा प्रदान करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाना हैं।

इस जीआईएस आधारित प्रणाली के लागू होने के बाद Property की DLC का निर्धारण उसके Geo-Coordinates के आधार पर किया जाएगा।

उक्त योजना के अंतर्गत भू–प्रबंध विभाग से प्राप्त खसरा परिसीमाओं के आधार पर (GIS) जीआईएस तकनीक का उपयोग कर के डीएलसी जोन का मैप पर डिज़िटाइजेशन एवं एकीकृत जीआईएस प्लेटफार्म राजधरा पर प्रकाशन का कार्य प्रगति पर हैं।

यह कार्य 63 SRs में पूर्ण हो गया है । शेष SRs का कार्य ई–पंजीयन पर उपलब्ध वर्तमान डीएलसी दरों के अनुसार, डीएलसी ज़ोन सीमाओं को अपडेट करने का कार्य संबंधित एसआरओ की देखरेख में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा हैं।

इस प्रकार तैयार (GIS) जीआईएस एवं संबन्धित डाटा का ई–पंजीयन सिस्टम से तकनीकी रूप से एकीकरण (Integration) किया गया है। ई–पंजीयन सिस्टम से पंजीयन की जाने वाली

संपत्ति की DLC दरें GIS आधारित DLC Boundary के आधार पर ई–पंजीयन सिस्टम को उपलब्ध कराई जाती हैं ।

उपरोक्त 60 SRs में से 38 SRs ई–पंजीयन सिस्टम पर live है जो नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

साथ ही इस प्रकार बनाये गए डाटा को भविष्य में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा मौजूदा डीएलसी दरों में अनियमितता की पहचान, तार्किक रूप से उनमे संशोधन करने हेतु भी किया जा सकता हैं।

9.25 इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम (IEMS2.0)

आईईएमएस 2.0, मुख्यत: मदिरा व्यवसाय के विनियमितीकरण, उत्पादन एवं वितरण में लगे हुए आबकारी विभाग, R.S.B.C.L. और R.S.G.S.M. को सेवाएं प्रदान करना है।

आईईएमएस 2.0 एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इस परियोजना का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों / विनिर्माण इकाइयों की आबकारी संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और स्वचालित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख वितरक:

• आबकारी विभाग	• आर.एस.बी.सी.एल. / आर.एस.जी.एस.एम.
• आर.एस.जी.एस.एम. डिपो	• आर.एस.बी.सी.एल. डिपो
• लाइसेंसधारी (दुकानें, होटल, बार आदि)	• निर्माता (डिस्टिलरी, बॉटलिंग प्लांट, ब्रुअरीज)
• भांग अनुज्ञाधारी RSGSM शूगर फैक्ट्री	• श्री गंगानगर CSD कैन्टीन
• BSF कैन्टीन स्पिरिट एवं मोलासिस प्रयोग में लेने वाली ईकाईयां जैसे दवाईयां, परफ्यूम, पशु आहार, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीयां आदि	• पैरा मिलिट्री कैन्टीन

परियोजना के लाभः

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों – आबकारी विभाग / आरएसजीएसएम / आरएसबीसीएल के कामकाज में एकरूपता लाना।
- लागत प्रभावी और समय बचाने वाला समाधान।
- परमिट और लाइसेंस ऑनलाइन जारी किए जाते हैं।
- ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन।
- आई.ई.एम.एस. परियोजना के द्वारा विभाग का निम्न पर सम्पूर्ण नियंत्रण है :–
  - राज्य में शराब के उत्पादन पर ।
  - राज्य के बाहर से शराब के आयात पर ।
  - खुदरा दुकानों (आउटलेट / होटल / बार आदि) पर शराब की बिक्री।
  - ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से शराब की दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता।
  - RSBCL और RSGSM डिपो के माध्यम से शराब का स्टॉक प्रबंधन।
  - होलोग्राम के माध्यम से प्रत्येक बोतल की निगरानी संभव।
  - Expired Stock का निस्तारण।

आईईएमएस 2.0 परियोजना के द्वारा निम्न कार्यों के लिए Revenue अर्जित किया जाता है :–

- **लाइसेंसधारी से**
  - वार्षिक लाइसेंसधारी शुल्क
  - Security Deposit
  - बिक्री की अग्रिम गारंटी
  - आबकारी शुल्क
  - बेसिक लाइसेंस फीस एवं अन्य आबकारी राजस्व
- **शराब निर्माता से -**
  - लाइसेंसधारी अनुमोदन
  - ब्रांड और लेबल अनुमोदन
  - उत्पाद शुल्क – डिपो से लाइसेंसधारी को आपूर्ति
  - राजस्थान के बाहर के लिए परमिट शुल्क
  - आयात परमिट शुल्क
  - आबकारी शुल्क
  - बॉटलिंग फीस
  - परमिट फीस सहित अन्य देय आबकारी राजस्व

वर्तमान स्थिति

लाइसेंस प्रबंधन मॉड्यूल, डैशबोर्ड, ई–नीलामी मॉड्यूल, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ऑनलाइन लाइसेंसधारी जारी, ऑनलाइन शुल्क जमा, खुदरा लाइसेंसधारी दुकान आवंटन, खुदरा और अन्य लाइसेंसधारी ट्रांसपोर्ट परमिट, निर्माण पंजीकरण और अनुमोदन, निर्माण इकाई पंजीकरण, ब्रांड और लेबल अनुमोदन, ऑनलाइन परमिट निर्माण, स्पिरिट आयात और निर्यात, ऑनलाइन ओएफएस, डिपो एमआईएस, डिपो बिक्री, स्टॉक स्थानांतरण इन/आउट, डिपो क्षति, डिपो आपूर्तिकर्ता वापसी, आपूर्तिकर्ता भुगतान जैसे प्रमुख मॉड्यूल सभी तीन संस्थाओं के लिए लागू किए गए हैं।

9.26 Online Ticket Booking Management System (OBMS)

पर्यटकों की सुविधा के लिए एक आईटी सक्षम समाधान के रूप में DoIT&C/RISL द्वारा राजस्थान राज्य में पर्यटन अनुभव को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए एक वेब और मोबाइल ऐप आधारित यूनिफाइड ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम (OBMS) विकसित किया है। इस पोर्टल से स्मारक, संग्रहालय, किले, चिड़ियाघर, जैविक उद्यान, सफारी और अन्य कई आकर्षण पर्यटन केंद्रों की टिकट बुक की जा सकती है। DoIT&C/RISL का लक्ष्य इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटन स्थलों की बुकिंग के साथ–साथ पर्यटन से जुड़ी सभी सुविधाएँ जैसे टूर प्लॉन, होटल बुकिंग, कैब बुकिंग एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।

परियोजना का वित्त पोषण संबंधित विभाग या संस्था के साथ आपसी MoU के आधार पर Revenue Sharing model(in the form of RISL service charge) के माध्यम से किया जा रहा है ।

- परियोजना का वित्त पोषण संबंधित विभाग या संस्था के साथ आपसी MoU के आधार पर Cost to sale model के माध्यम से किया जा रहा है ।

OBMS Portal की मुख्य विशेषताएं है।

- OBMS Portal चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है।
- प्रथम चरण मे पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, राजस्थान के पर्यटक स्थलों (स्मारकों और संग्रहालयों) की ऑनलाइन बुकिंग का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- द्वितीय चरण में राजस्थान के अन्य विभाग जैसे कि वन विभाग, RTDC, जयपुर मेट्रो आदि के पर्यटन स्थलों की ऑनलाइन बुकिंग का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।
- तृतीय चरण में राजस्थान के अन्य विभाग जैसे कि JDA, जवाहर कला केंद्र (JKK) RTDC (Chittorgarh Fort & Kumbhalgarh Fort Light And Sound Show) आदि के पर्यटन स्थलों की ऑनलाइन बुकिंग को प्रारम्भ किया जा चुका है।

- इसी तरह चरणबद्ध तरीके से राजस्थान के सभी पर्यटन स्थलों की ऑनलाइन बुकिंग का कार्य OBMS Portal द्वारा किया जाएगा।

परियोजना की स्थिति

URL: https://obms-tourist.rajasthan.gov.in/ पर लाइव है।

- कुल पर्यटन स्थल– 76
- ऑनलाइन बुकिंग – 78,35,090
- पर्यटक – 2,66,20,412
- बुकिंग से प्राप्त राशि (INR) –₹ 2,87,27,04,692/–
- RISL कमीशन– ₹ 7,38,41,143/–

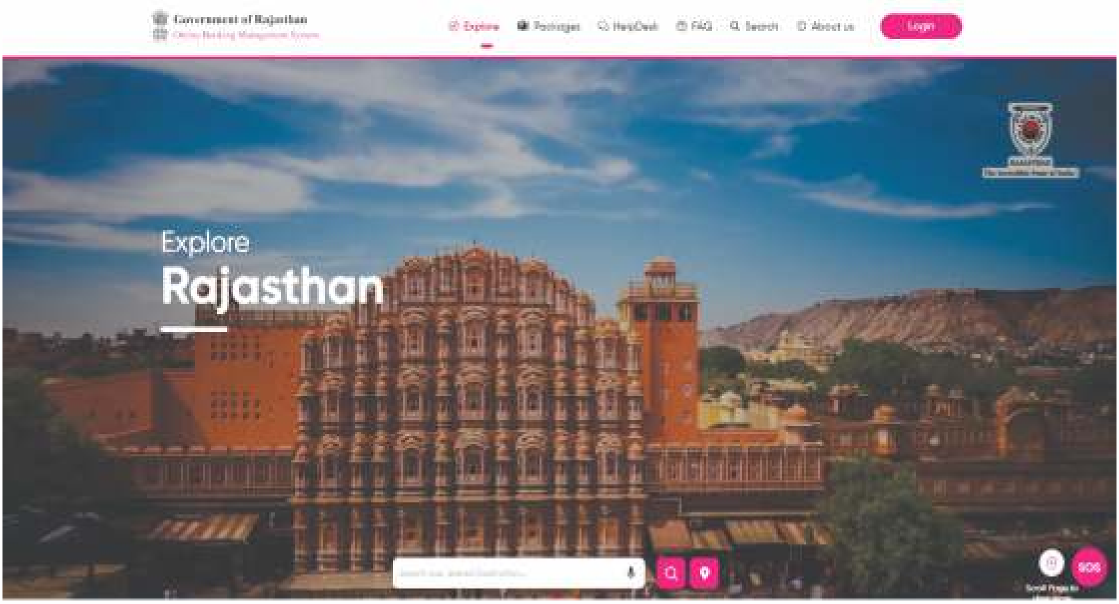

9.27 वित्तीय समावेशन गेटवे

वित्तीय समावेशन गेटवे (FIG) एक समावेशी बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे दूरदराज और वंचित क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म ग्राहक नामांकन, लेन–देन, लेखा प्रबंधन और डिवाइस प्रबंधन की प्रक्रियाओं को सहज और प्रभावी ढंग से संचालित करता है। FIG बायोमेट्रिक डिवाइस, स्मार्टकार्ड, पीओएस और माइक्रो–एटीएम का निर्बाध एकीकरण करके माइक्रो बैंकिंग सेवाओं को सक्षम बनाता है और बैंकिंग संवाददाता (BC) एवं ग्राहक सेवा बिंदु (CSP) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेज़ और सुरक्षित डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम प्रदान करता है।

परियोजना का उद्देश्य :-

- वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों तक सुलभ और समावेशी बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाना।
- ग्राहक नामांकन, लेन–देन और लेखा प्रबंधन को दक्ष और व्यवस्थित बनाना।
- आधुनिक तकनीकों जैसे बायोमेट्रिक, स्मार्टकार्ड, पीओएस और माइक्रो–एटीएम के माध्यम से माइक्रो बैंकिंग सेवाओं को सक्षम करना।
- BC और CSP के लिए तेज़, सुरक्षित और विश्वसनीय अकाउंटिंग प्रणाली प्रदान करना।

परियोजना की प्रगति:-

- राजस्थान के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच – किसान अपने घर के आसपास से ही ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ऋण प्रसंस्करण की स्वचालित प्रक्रिया – पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जाता है।
- ऋण पंजीकरण, अनुमोदन और संवितरण में पारदर्शिता
- ऑनलाइन एमआईएस रिपोर्ट

परियोजना की प्रगति :-

कुल लेनदेन (करोड़ में)		लेनदेन की कुल राशि (करोड़ में)
गैर–वित्तीय	4.47	131188.69
वित्तीय	4.64	

- वित्तीय और ऋण संबंधी कार्यों के लिए कुल 11000+ पैक्स कार्यरत हैं।
- वित्तीय लेनदेन के लिए सिस्टम में कुल 18000+ ई–मित्र कियोस्क धारक कार्यरत हैं।

9.28 GIS आधारित Village Master Plan Web Application

GIS आधारित Village Master Plan Web Application का प्राथमिक उद्देश्य निकट भविष्य के लिए गांवों के नियोजित विकास हेतु ग्राम स्तर पर मास्टर प्लान तैयार करने, भूमि आवश्यकताओं की पहचान करने और गांवों में विभिन्न सुविधाओं की योजना बनाने हेतु आवश्यक जानकारियों को नक्शे पर दिखाना और बेहतर निर्णय लेने और योजना बनाने में अधिक सक्षम करना हैं।

उक्त एप्लिकेशन जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर अधिकारियों को GIS प्लेटफॉर्म राजधरा के माध्यम से पंचायती राज विभाग द्वारा चयनित 113 गांवों में नागरिकों के लिए राजधरा पर उपलब्ध सीमाओं, उपलब्ध स्कूल, अस्पताल, पार्क, दुकानें, हाट बाजार सहित विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं को दर्शाता हैं।

लाभः

- चयनित गांवों में नागरिक केंद्रित परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं को नक्शे पर दिखाने हेतु एकीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करना।
- विभिन्न परिसंपत्तियों / सुविधाओं का सामयिक व राष्ट्रीय मानकों (AMRUT standards) के अनुरूप वर्गीकरण और ग्राम स्तर पर उनके GIS डेटा का प्रदर्शन
- निकट भविष्य में नागरिकों के लिए सुविधाओं के विकास हेतु भूमि की पहचान करने में निर्णयकर्ताओं को अधिक सामयिक व सुसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाना

प्रगतिः

- राजस्थान भर में 10,000 से अधिक आबादी वाले 113 गांवों की सीमाएं एप्लिकेशन में शामिल कर ली गई हैं।
- एप्लिकेशन पर 113 गांवों के लिए सभी उपलब्ध GIS डेटा जैसे बेसमैप, उपस्थित परिसंपत्तियों/सुविधाओं (PoI), भू–उपयोग–भू– आवरण (LULC) विवरण आदि सहित प्रकाशित कर दिया गया हैं।
- एप्लिकेशन के जनसंख्या विजेट के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्षमताएँ विकसित की गई हैं।
  - खसरा विवरण/सैटेलाइट इमेजरी/बेसमैप के साथ सभी मौजूदा सुविधाओं को GIS मानचित्र पर मुद्रित करने का प्रावधान
  - जनसंख्या अनुमान के आधार पर निकट भविष्य में ग्राम स्तर पर विभिन्न परिसंपत्तियों और सुविधाओं की योजना बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता का अनुमान लगाने का प्रावधान
  - ग्राम स्तर पर उपलब्ध परिसंपत्तिया (PoI) की विभिन्न श्रेणियों और उपश्रेणियों से संबंधित विवरण की जानकारी का प्रावधान
  - किसी भी गांव के नक्शे को .pdf प्रारूप में डाउनलोड करने का प्रावधान

9.29 आर.एस.एल.डी.सी (Rajasthan Skills and Livelihoods Development Corporation)

RSLDC की कौशल परियोजनाओं की बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और निगरानी के लिए ई–गवर्नेंस पहल के अनुसार Integrated Scheme Management System (ISMS) को बनाया गया है–

- प्रशिक्षण भागीदारों और युवाओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराने और SDC में प्रशिक्षण का प्रबंधन करने में सुविधा प्रदान करना।

- प्रशिक्षित युवाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रमाणन को स्वचालित करना।
- प्लेसमेंट डेटा के प्रबंधन और प्लेसमेंट प्राप्त युवाओं के सत्यापन को सुगम बनाना।
- भुगतान और लेखा प्रक्रियाओं को स्वचालित और प्रबंधित करना।
- सभी विभागों के डेटा प्रबंधन सहित कन्वर्जेंस योजना का प्रबंधन करना।
- युवाओं, प्रशिक्षण भागीदारों, विभागीय उपयोगकर्ताओं और अन्य हितधारकों की सुविधा के लिए एक सरलीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करना।
- प्रक्रियाओं का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना और भुगतानों का समय पर वितरण सुगम बनाना।
- प्रभावी और कुशल डैशबोर्ड, रिपोर्ट।

9.30 सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन

ब्लॉकचेन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for Blockchain) परियोजना राजस्थान सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसे राज्य में ई–गवर्नेंस सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन और पारदर्शिता के समावेश हेतु विकसित किया गया है। यह केंद्र ब्लॉकचेन तकनीक पर अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं कुशल बनाना है, ताकि राज्य के नागरिकों को विश्वसनीय सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

परियोजना का उद्देश्य:

ब्लॉकचेन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान सरकार की सेवाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के माध्यम से सरकारी विभागों में डेटा सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, जिससे संवेदनशील जानकारी तक केवल अधिकृत व्यक्तियों की ही पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी।इस केंद्र के माध्यम से सरकारी विभागों और स्टार्टअप्स को वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

परियोजना का लाभ:

1. **क्षमता और कौशल निर्माण:**

   राज्य के राजकीय अधिकारियों, कार्मिकों, विद्यार्थियों एवं स्टार्टअप्स आदि के लिए ब्लॉकचेन तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएँ नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और उद्यमियों में इस उभरती हुई

तकनीक के बारे में जानकारी और कौशल का निर्माण करना है जिससे विभिन्न सेवाओं और उत्पादों में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा सकें।

2. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoCs) कार्यान्वयन:

विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में ब्लॉकचेन के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) सफलतापूर्वक बनवाए गए। यह परीक्षण इस बात का आकलन करने के लिए किया गया कि ब्लॉकचेन तकनीक राज्य में भूमि रिकॉर्ड, स्वास्थ्य एवं कृषि विभागों की महत्वपूर्ण सेवाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को किस प्रकार अधिक सुदृढ़ बना सकती है। इस पहल का उद्देश्य इन क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे आम नागरिकों को पारदर्शी और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान की जा सकें। कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न लाइसेंसेज को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से संधारित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

3. ब्लॉकचेन अनुभव केंद्र की स्थापना:

ब्लॉकचेन अनुभव केंद्र (Blockchain Experience Center) की स्थापना माननीय मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2024 को की गई थी। उक्त केंद्र के माध्यम से सरकारी विभागों और स्टार्टअप्स के लिए ब्लॉकचेन आधारित परियोजनाओं के परीक्षण और समाधान विकास हेतु मंच तैयार किया गया है। साथ ही, सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मेंटरशिप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है जिससे विचारों को व्यावहारिक समाधान में परिवर्तित करते हुए प्रभावी परिणाम प्राप्त किये जा सकें।

उपर्युक्त समस्त गतिविधियाँ राजस्थान सरकार के डिजिटल परिवर्तन को सशक्त बनाने और ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

9.31 डिजिटल लाइब्रेरी (Digital Library)

राजस्थान सरकार ने स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का एक नया कदम उठाया हैं। इसके तहत, 344 आवासीय स्कूल शामिल हैं, जो सरकार के सामाजिक न्याय, स्कूल शिक्षा, अल्पसंख्यक मामले और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभागों के अधीन हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र डिजिटल शैक्षिक सामग्रियों तक आसानी से पहुंच सके। डिजिटल लाइब्रेरी को छात्रों के अध्ययन के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर से सुसज्जित किया गया हैं। इस पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्रियाँ भी हैं जैसे कि एन्साइक्लोपीडिया, पाठ, 2D/3D एनीमेटेड वीडियो, एमसीक्यू, क्विज इत्यादि।

डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसा साधन है, जो नई और व्यवस्थित तरीके से सूचना और ज्ञान प्रस्तुत करता हैं। यहां सभी पुस्तकें, साहित्य, जानकारी, और शैक्षिक सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। डिजिटल लाइब्रेरी विभिन्न शैलियों में जानकारी प्रदान करेगी, जैसे कि ई–बुक्स, वेबसाइट्स, और मल्टीमीडिया सामग्री जैसे ऑडियो और वीडियो सामग्री। इसमें छात्रों को न केवल शिक्षा और संदर्भ स्रोतों का सही उपयोग करने में मदद मिलेगी, बल्कि वे नए शैक्षिक अनुभवों का भी लाभ उठा सकेंगे।

9.32 सॉफ्टवेयर डवलपमेंट सेंटर

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर द्वारा विभिन्न विभागों के एप्लीकेशन एवं पोर्टल विकसित किए जाते हैं। राज्य सरकार की विभिन्न बजट घोषणाएं एवं विभिन्न विभागों के नियमित कार्य ऑनलाइन करने का कार्य इस सेल द्वारा निरंतर किया जा रहा हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा अभी तक 30 से अधिक पोर्टल विकसित किए जा चुके हैं। विकसित किये गए पोर्टल का वर्णन निम्न प्रकार हैं।

1. ई-गिरदावरी

eGirdawari एप्लिकेशन को वित्तीय वर्ष 2023–24 के राज्य बजट घोषणा के तहत विकसित और लागू किया गया है, ताकि किसानों को अपने Girdawari विवरण ऑनलाइन पंजीकरण करने का सिस्टम प्राप्त हो सके। Girdawari रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग किसान Kharaba (आपदा) के मामले में बीमा दावा करने, MSP पर फसल बेचने, कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करने और अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं।

राज्य के किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक समर्पित "राजकिसान गिरदावरी" मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जहां किसान अपनी जनआधार ID का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं तथा फसल और क्षेत्र विवरण के साथ जीयो–टैग की गई तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। यह एप्लिकेशन भारत सरकार के कृषि–स्टैक–डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना और राज्य गिरदावरी राजस्व नियमों की अनुपालना में विकसित की गई है, जहां किसान को हर सीजन के लिए Khasra स्तर पर Girdawari रिकॉर्ड पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है, जिसमें रबी, खरीफ, जायद रबी और जायद खरीफ शामिल हैं। विकसित एप्लिकेशन में "खराबा" विवरण पंजीकरण की भी सुविधा है, जो केवल पटवारी द्वारा किसी प्राकृतिक आपदा या अप्रत्याशित कारणों के मामले में किया जा सकता है।

ई–गिरदावरी के अन्तर्गत जनआधार–खाता सीडिंग एप्लीकेशन भी विकसित की गई है, जिससे किसान के अधिकार (ROR) रिकॉर्ड को कृषि भूमि (खसरा) से जोड़ा जा सकता है।

यह सीडिंग किसान को अपने खसरे की गिरदावरी करने में मदद करेगी और विभाग द्वारा DBT के लिए उपयोग की जाएगी।

युवाओं को शामिल करने के लिए, एक सर्वेयर मॉड्यूल भी विकसित किया गया है, जिसमें युवा गिरदावरी रजिस्टर कर सकते हैं।

"राजखसरा गिरदावरी" मोबाइल एप्लिकेशन संबंधित सरकारी अधिकारियों (पटवारी, ILR और तहसीलदार) के लिए भी विकसित की गई है ताकि वे पंजीकृत गिरदावरी रिकॉर्ड की जांच कर सकें। एक बार गिरदावरी रिकॉर्ड सभी तीन स्तरों द्वारा सत्यापित हो जाने पर, किसान वेब गिरदावरी पोर्टल से बिना किसी शुल्क के फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

राज्य और केंद्रीय सरकारी विभागों/एजेंसियों – कृषि, सांख्यिकी, राजस्व, वित्त और अन्य विभाग गिरदावरी रिकॉर्ड का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर रही हैं, जिनमें फसल क्षेत्र की अनुमानना, MSP पर फसलों की खरीद, बीमा दावा सत्यापन, ऋण वितरण और अन्य शामिल हैं।

इस खरीफ सीजन में तीन लाख से अधिक गिरदावरी किसानों द्वारा की गई है और पिछले चार सीजन में कुल 17 करोड़ से अधिक गिरदावरी की गई है, जो विकसित समाधान का उपयोग करके की गई हैं।

2. डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य दलित और आदिवासी समुदायों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना के तहत, सरकार इन समुदायों के लोगों को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करती है, ताकि वे सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को स्थापित और संचालित कर सकें।

इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। आवेदनकर्ता जनआधार के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

3. राजस्थान फाउंडेशन

राजस्थान फाउंडेशन का उद्देश्य राजस्थान और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध स्थापित करना, मजबूत करना और बनाए रखना, विशेष रूप से अन्य राज्यों और विदेशों में रहने वाले अपने लोगों की संस्कृति, विरासत और पहचान को संरक्षित करना और राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में एनआरआर की भागीदारी और योगदान के लिए स्थितियां बनाना हैं।

राजस्थान फाउंडेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित की गई हैं। इस पोर्टल पर एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता हैं।

4. शिल्प एवं माटी कला बोर्ड एप्लीकेशन

शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित की गई हैं। इस पोर्टल पर कामगार द्वारा जनआधार के माध्यम से पंजीकरण करने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता हैं। पंजीकृत कामगार द्वारा, कामगार को विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत पोर्टल पर पंजीकरण करने पर सरकार द्वारा निर्धारित टूलकिट प्रदान किया जाएगा।

5. स्टेट ऑर्गन टिश्यु ट्रान्सप्लांट ऑर्गनाइजेशन (सोटो)

राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अंग की कमी की समस्या को दूर करने के लिए राज्य में मृतक अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य के पैनलबद्ध अधिकृत अस्पतालों के माध्यम से किडनी, लीवर, हृदय, छोटी आंत, अग्न्याशय और फेफड़े जैसे अंगों के प्रत्यारोपण के लिए सोटो पोर्टल तैयार किया गया है जिसके माध्यम से मृतक दाता एवं अंग प्राप्तकर्ताओं, दोनो की सूचनाएं पोर्टल पर दर्ज की जाती है। सोटो पोर्टल में अंग प्राप्तकर्ताओं के बारे में पूरी जानकारी एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र की जाती है जिसमें अंग प्राप्तकर्ताओं का व्यक्तिगत विवरण व उनका चिकित्सीय विवरण लिया जाता है। इसी प्रकार से मृतक दाता के बारे में भी पूरी जानकारी एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र की जाती है। तत्पश्चात अंग प्राप्तकर्ता का चयन प्रबंधन उनकी प्रतीक्षा सूची अनुसार ऑनलाइन ही किया जाता है तथा सोटो पोर्टल के माध्यम से राज्य में होने वाले समस्त मृतक दाता एवं अंग प्राप्तकर्ताओं का विवरण ऑनलाइन ही प्राप्त किया जा सकता है। सोटो पोर्टल में डैशबोर्ड पर विभिन्न फिल्टर की सहायता से हॉस्पीटल, ब्लड ग्रुप व अंग के आधार पर रिकार्ड्स को विश्लेषित किया जा सकता है। इसी डैशबोर्ड पर हम एक्टिव या इनएक्टिव मरीज का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई मरीज कुछ समय के लिए इनएक्टिव होता है तो प्रतीक्षा सूची ऑटो अपडेट हो जाती है, इसी प्रकार यदि मरीज कुछ समय पश्चात् पुनः एक्टिव हो जाता है तो वह प्रतीक्षा सूची में अपने यथा स्थान पर पहुंच जाता है। सोटो पोर्टल के माध्यम से अंगदान और प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से क्रियान्वित करता है।

6. Chief Minister Award for Excellence in Public Service (CM-EXCELS)

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किए गए नवाचारों एवं तद्नुसार अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन हेतु 'मुख्यमंत्री

सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार' (Chief Minister's Awards for Excellence in Public Services-CM-EXCELS) दिये जाते हैं।

अधिकारियों/कर्मचारियों की उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरुस्कार दिया जाता हैं।

इस वर्ष की बजट घोषणा की अनुपालना में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा इस अवार्ड के पंजीकरण के लिए पोर्टल विकसित किया गया हैं।

पोर्टल पर अधिकारियों/कर्मचारियों को अथवा संगठन को अवार्ड के लिए मनोनयन हेतु पंजीकरण किया जा सकता हैं। पंजीकृत करने के पश्चात सरकार द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा संवीक्षा करने पर सुझाये गये नामो को मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं।

7. राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर एप्लीकेशन

राजस्थान सरकार ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में एक बहु सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। अप्रैल 2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण को यह कार्य सौंपा गया।

जेडीए द्वारा आरआईसी के लिए सर्वश्रेष्ठ भवन डिजाइन का चयन करने के लिए देश के प्रतिष्ठित वास्तुकारों से डिजाइन आमंत्रित करने के लिए एक अखिल भारतीय डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मैसर्स प्रमोद जैन एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तावित डिजाइन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया और फर्म को परियोजना से सम्मानित किया गया। आरआईसी की नींव 19 अप्रैल 2013 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान और माननीय शहरी विकास और आवास मंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा रखी गई थी।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की वेबसाइट एवं विभिन्न वेन्यू के बुकिंग के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल द्वारा विकसित किया गया हैं एवं वर्तमान में 200 से अधिक बुकिंग इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त हो चुकी हैं।

लागू की गई मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- सदस्यता – व्यक्तिगत और संस्थागत
- सदस्यता डेस्कफ्लो
- पूर्व–स्वीकृत सदस्यताएँ
- स्थल बुकिंग
- स्वचालित भुगतान ऑनलाइन + ऑफलाइन

- RIC Self बुकिंग सुविधा
- बुकिंग डेस्कफ्लो
- रिफंड डेस्कफ्लो
- ड्यूटी असाइनमेंट
- गतिशील रियलटाइम कैलेंडर

8. स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज

विभिन्न खेलों के खिलाडियों व स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पंजीकरण के लिए स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज एप्लिकेशन को विकसित किया गया हैं। ऑनलाइन आवेदन एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से किया जा सकता हैं।

9. युवा साथी

युवा साथी केंद्र, राज्य सरकार द्वारा जिलों/मंडलों में स्थापित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मार्गदर्शन, कोचिंग–सहायता, कैरियर मार्गदर्शन, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता हेतु प्रशिक्षण, व्यापार–परियोजनाओं का समर्थन, प्रशिक्षण और नौकरी–उद्यम संबंधी सहायता मिल सके। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कोचिंग, मेंटल–हेल्थ काउंसलिंग, योजनाओं व प्लेटफॉर्म से जोड़ने, उनके कौशल एवं रोजगार–योग्यता बढ़ाने की सुविधाओं की समस्त जानकारी एक पोर्टल पर एकीकृत रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्रों के संचालन से युवा पीढ़ी को सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सक्रिय समर्थन मिल रहा है, जैसे की प्रशिक्षण, रोजगार–मार्ग खोलना, एवं योजनाओं तक पहुँच सरल बनाना। इस प्रकार, युवा साथी केंद्र युवाओं को आत्म–निर्भर बनने, नए अवसरों तक पहुँचने और सकारात्मक भविष्य–निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होंगे। युवाओं को अपने जिले में संचालित युवा कल्याण विभाग/राजस्थान युवा बोर्ड कार्यालय से संपर्क करना होगा या राज्य–सरकार की वेबसाइट https://yuvasathi.rajasthan.gov.in/ पर जारी निर्देशानुसार फॉर्म भरना होगा। पंजीकरण के बाद, अपनी रुचि, कौशल और कैरियर–उद्देश्यों को दर्ज करना होगा, ताकि केंद्र द्वारा उपयुक्त मार्गदर्शन मिल सके।

10. एलपीजी गैस सब्सिडी

राजस्थान सरकार असहाय, बीपीएल–परिवार एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर बहुत कम दर (मात्र ₹450) पर उपलब्ध करवा रही है। इस स्कीम से वे परिवार–घर जिनका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

सूची में है या बीपीएल सूची में है या उज्जवला कनेक्शन धारक हैं, लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने यह लाभ 1 सितंबर 2024 से और अधिक परिवारों तक विस्तार किया है। किसी अलग आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, योजना के पात्र लाभार्थियों को स्वचालित रूप से शामिल किया जाता है। उपभोक्ता सिलेंडर लेते समय सामान्य दर चुकाते हैं, और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा बैंक खाते में सब्सिडी राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है, उदाहरण के लिए जनाधार लिंक बैंक खाते में लाभ पाने के लिए परिवार को अपने राशन–कार्ड या उज्जवला कनेक्शन को एलपीजी आईडी एवं आधार के साथ "सीड" (ई केवाईसी) करवाना जरूरी है। महीने में केवल एक सिलेंडर प्रति परिवार पर सब्सिडी लागू होती है, यदि महीने में अधिक सिलेंडर लिए गए हों, तो सब्सिडी सिर्फ पहले वाले सिलेंडर पर ही मिलेगी।

11. मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना

यह योजना राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विक्रेताओं, गिग–वर्कर्स एवं स्थानीय व्यवसायियों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत लाभार्थियों को कोलैटरल–फ्री (गिरवी रहित) ऋण दिया जाता है, जिसे 3 चरणों में बढ़ाया जा सकता है, पहले चरण में ₹10,000 , फिर अगले में ₹20,000 और अंत में ₹50,000 तक। सरकार इस ऋण पर समय–सीमा में पुनर्भुगतान करने वालों को 7% ब्याज–सब्सिडी देती है जिससे लाभार्थियों की आर्थिक भारवाही कम होती है। लाभार्थी अपनी आय–स्रोत (व्यवसाय) चक्र को सक्षम बना सकते हैं, पूंजी बढ़ा सकते हैं व स्वरोजगार–योग्य बन सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन राज्य–सरकारी पोर्टल एसएसओ (सिंगल साइन–ऑन) द्वारा किये जाते है, संबंधित नगर/स्थानीय निकायों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, आवेदन में आधार, निवास प्रमाण, व्यवसाय अनुमति इत्यादि दस्तावेज जमा करना होता है। योजना का उद्देश्य है गरीब एवं कमजोर श्रमिक–समुदाय को आत्म–निर्भर बनाना तथा आर्थिक रूप से सशक्त करना। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम एसएसओ (सिंगल साइन–ऑन) पोर्टल पर लॉगिन करें यदि आपका एसएसओ ID नहीं है तो पंजीकरण करें। लॉगिन के बाद मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लिंक खोजें एवं नया आवेदन का विकल्प चुनें। जन–आधार संख्या, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज करे, मोबाइल नंबर ओ.टी.पी द्वारा सत्यापित होगा। आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय/विक्रय गतिविधि, बैंक खाता विवरण व आवश्यक अन्य जानकारियाँ भरें। आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, व्यवसाय अनुमति/अनुशंसा पत्र या विक्रेता पत्र, बैंक पासबुक आदि अपलोड करें। फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद जमा करें। इसके बाद स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा सत्यापन होगा, तत्पश्चात बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत व निर्गत किया जाता है।

12. मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। पात्र लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ₹3,000 प्रति माह की मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे, जिससे उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन गुजारने में सहायता मिलेगी। इस योजना में शामिल होने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, मासिक आय 15000 रूपये से कम होनी चाहिए तथा बचत बैंक खाता व जनाधार एवं आधार कार्ड सहित ई–श्रम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस योजना में 18 वर्ष से 45 वर्ष उम्र तक का व्यक्ति शामिल हो सकता है। योजना एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन स्कीम है, जो अन्य पेंशनों के अतिरिक्त होगी। लाभार्थी इसमें हर महिने आयु वर्ग के अनुसार स्वयं मासिक योगदान देंगे और राजस्थान राज्य सरकार भी नियमित सहयोग करेगी। यह योजना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग चला रहा है। पेंशनर पति की मृत्यु होने पर पत्नी को एवं पेंशनर पत्नी की मृत्यु होने पर पति को पारिवारिक पेंशन का लाभ देय होगा। पेंशनर की मृत्यु होने पर मनोनीत को पेंशन का 50 प्रतिशत अर्थात 1500 रूपये मासिक पेंशन का लाभ देय होगा। योजना में ऑनलाईन आवेदन https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in पद के माध्यम से किया जा सकता है। यह योजना श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों के लिए जीवन के बाद के चरण में स्थिरता व आत्म–निर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

13. राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा अपराध या दुर्घटना के कारण शारीरिक या मानसिक क्षति ग्रस्त पीड़ितों तथा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। पात्र व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराना आवश्यक है और योजना के अंतर्गत आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस योजना के लिए मदद सेतु नाम से एक वेब पोर्टल का निर्माण करवाया है, जिसके माध्यम से आवेदक स्वयं या संबंधित पुलिस स्टेशन में आवेदक की ओर से इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। आवेदन में घटना की जानकारी, चोट/हानि का विवरण, संबंधित दस्तावेज एवं बैंक–खाता विवरण प्रस्तुत करना होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवेदन की जाँच होती है। यदि आवेदन मान्य पाया जाए तो निर्धारण के बाद मुआवजा राशि अधिसूचित समय में भुगतान की जाती है। इसमें चिकित्सा खर्च, स्थायी अपंगता, मृत्यु या अन्य गंभीर नुकसानों के लिए मुआवजा राशि स्वीकृत की जाती है। यह न सिर्फ तत्काल राहत देता है बल्कि पीड़ित को पुनर्वास और सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करता है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

14. पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा

इस पखवाड़े के दौरान राज्य सरकार द्वारा 18 विभागों के 65 प्रकार–की गतिविधियों के अंतर्गत गाँव–पंचायत स्तर पर एक शिविर आयोजित किया गया है, जहॉ विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। इसमें राजस्व, जल–पेयजल, विद्युत, शिक्षा, पशु चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास आदि विभागों के अधिकारी एक–साथ उपस्थित रहते हैं और लंबित मामलों (जैसे नाम–परिवर्तन, पट्टा वितरण, कनेक्शन बँधना) को मौके पर ही निस्तारित किया जाता है। इस से गरीब, ग्रामीण व कमजोर तबकों को सरकारी योजनाओं का लाभ 'अंतिम व्यक्ति' तक पहुँचने में मदद मिलती है, जिससे सामाजिक व आर्थिक उत्थान को गति मिलती है। लाभार्थियों को निर्धारित गाँव–पंचायत में आयोजित शिविर में स्वयं उपस्थित होकर अपनी समस्या या लाभ–योजना के लिए आवेदन करना होता है। राज्य सरकार ने एक आधिकारिक पोर्टल बनाया है जिसका लिंक है panditdeendayalcamp.rajasthan.gov.in जहाँ इस कैंप से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभाग शिविर गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी कर सकते हैं।

15 राजस्थान युवा महोत्सवः-

राजस्थान युवा महोत्सव राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने, लोक–कला, विज्ञान–प्रौद्योगिकी, नवाचार, संस्कृति, साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों में सक्रिय होने का मौका देता है। इसमें प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे लोक–गायन, लोक–नृत्य, कविता लेखन, चित्रकला, कहानी लेखन, विज्ञान–डिजिटल मेला आदि, जिससे युवाओं की सृजनात्मकता व स्थानीय लुप्त होती कला–संस्कृति का संवर्धन होता है। विजेताओं को पुरस्कार, प्रमाणपत्र तथा आगे–संघ/राज्य–स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलता है। यह राज्य के युवाओं को आत्म–विश्वास बढ़ाने तथा मंच उपलब्ध कराने वाला कार्यक्रम है। आयोजन ब्लॉक, जिला, संभाग तथा राज्य–स्तर पर विभाजित होता है, युवाओं को स्थानीय–स्तर से शुरुआत करके आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले https://yuvasports.rajasthan.gov.in/ पर जाएँ, युवा महोत्सव पंजीकरण पृष्ठ का चयन करे। पंजीकरण फॉर्म में अपना जन–आधार नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, मोबाइल नंबर, शिक्षा व पता विवरण भरें। आवेदन के बाद चयन होने पर संबंधित ब्लॉक/जिला/संभाग–स्तर आयोजनों में भाग लेने हेतु बुलावा मिलेगा। प्रतिभागियों को अपने प्रस्तुति–सामग्री, यदि मांगी हो, और अन्य निर्देशों को पालन करना होगा।

16 राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड

यह पुरस्कार उस युवा पीढ़ी को सम्मानित करने के लिए है, जिन्होंने राज्य–स्तर पर कला–व संस्कृति, सामाजिक कार्य, विज्ञान–प्रौद्योगिकी, नवाचार, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता आदि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत चयनित युवाओं को नकद पुरस्कार ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) मिलेगा, साथ में प्रमाण–पत्र एवं मेडल आदि भी प्रदान किए जाते हैं । 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से न सिर्फ युवा प्रतिभाओं को मान–सम्मान मिलता है बल्कि उन्हें आगे बढ़ने, प्रेरित होने और सामाजिक–उद्यमशील गतिविधियों में सक्रिय होने का मौका मिलता है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले https://yuvasports.rajasthan.gov.in/ पर जाएँ, इस वेबसाइट पर "युवा आइकॉन अवार्ड" के पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध हैं। फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी, जैसे जन–आधार संख्या, नाम, जन्म–तिथि, पता, मोबाइल नंबर, शिक्षा–विवरण, आपने जिस क्षेत्र में कार्य किया है उसका विवरण आदि। अपने काम, उपलब्धियों, समाज पर प्रभाव आदि को संक्षिप्त एवं विस्तृत रूप में फॉर्म में वर्णित करना होता है, जैसे आपने कितने लोगों को लाभ पहुँचाया, आपने किन चुनौतियों का सामना किया आदि एवं दस्तावेज–अपलोड करने होंगे जैसे प्रमाण–पत्र, मीडिया कवरेज लिंक आदि, आवेदन पूरी होने के बाद चयन समिति द्वारा चुनाव होगा और चयनित युवाओं को घोषणा एवं समारोह के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

17 सैनिक कल्याण प्रबंधन पोर्टल

सैनिक कल्याण प्रबंधन पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक व्यापक डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य राज्य के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल न केवल ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि पात्र लाभार्थियों को कारगिल पैकेज, सम्मान भत्ता, द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन जैसी योजनाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा भी देता है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर पहचान पत्र के लिए आवेदन करने तथा सेवा–रत सैनिकों के लिए वीरता पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी आवेदन संबंधित ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। इस पोर्टल की सहायता से योजनाओं के लाभ स्वचालित रूप से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया में दक्षता और समय की बचत होती है। आगामी चरण में लगभग 2.75 लाख पंजीकृत पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों का पुराना

अभिलेख डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा, जिससे डेटा की सटीकता और वरिष्ठता सूची का समुचित रखरखाव संभव होगा। भविष्य में जो कल्याणकारी योजनाएँ वर्तमान में मैन्युअल रूप से संचालित हैं, उन्हें भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार, यह पोर्टल सैनिक कल्याण विभाग की सेवाओं में पारदर्शिता, सुगमता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिसके तहत तकनीकी सुधार और व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन कार्य सतत रूप से किए जा रहे हैं।

18. राइट ऑफ वे (Right of Way) दूरसंचार ऑनलाइन पोर्टल

राइट ऑफ वे (Right of Way) दूरसंचार ऑनलाइन पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक एकीकृत डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण, रखरखाव और विस्तार की प्रक्रियाओं को पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाना है। इस पोर्टल के माध्यम से टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता एवं केबल ऑपरेटर अपने टावर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल (OFC), माइक्रो टावर आदि के लिए राइट ऑफ वे अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटाइज्ड है, जिसमें नक्शा अपलोड, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना, शुल्क का ऑनलाइन भुगतान तथा स्वीकृति की स्थिति देखना शामिल है। प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित विभाग या स्थानीय निकाय द्वारा की जाती है और सभी स्वीकृतियाँ या आपत्तियाँ पोर्टल पर ही प्रदर्शित की जाती हैं, जिससे मैन्युअल प्रक्रिया में लगने वाला समय और मानवीय त्रुटियाँ न्यूनतम हो जाती हैं। इस प्रणाली से टेलीकॉम परियोजनाओं को त्वरित स्वीकृति मिलती है, जिससे नेटवर्क विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। नागरिकों को भी अप्रत्यक्ष रूप से तेज़ इंटरनेट, बेहतर मोबाइल कवरेज और ई–गवर्नेंस सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है। आवेदन करने के लिए राज्य–सरकारी पोर्टल एसएसओ (सिंगल साइन–ऑन) पर जाकर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन का चयन कर पंजीकरण करना होता है, जिसके बाद परियोजना विवरण, लोकेशन मैप, तकनीकी योजना और आवश्यक शुल्क जमा कर आवेदन पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार यह पोर्टल "डिजिटल राजस्थान" की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य में दूरसंचार विकास को पारदर्शिता और दक्षता के साथ सशक्त बनाता है।

9.33 चीफ मिनिस्टर वर्कर्स मेनेजमेंट सिस्टम (CM-WMS)

CM-WMS पोर्टल राजस्थान सरकार की Infra related बजट घोषणाओं और मेगा प्रोजेक्टस (ऐसे प्रोजेक्टस जिनकी अनुमानित लागत 100 करोड रूपये से अधिक हो) की समग्र प्रगति/स्थिति की ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

इसके माध्यम से Infra related बजट घोषणाओं और मेगा प्रोजेक्टस से संबंधित विभिन्न विभागों

के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाती है और विभिन्न विभागो द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति वेब तथा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटोग्राफ के साथ अपलोड करनी होती है।

इसके अन्तर्गत प्रति माह श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा ली जाने वाली बैठक में Infra related बजट घोषणाओं और मेगा प्रोजेक्टस के कार्यों के संबंध में विभिन्न विभागों को दिशा–निदेर्शित किया जाता है और विभागों को श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये निर्देशो की अनुपालना में लिये गये एक्शन को इस एप्लीकेशन पर प्रविष्ट करना होता है।

50 लाख से अधिक लागत वाली निर्माण संबंधी परियोजनाओं और लागत बाधा के बिना सभी MP-LAD और MLA-LAD परियोजनाओं की निगरानी के लिए CM-WMS पोर्टल के तहत निर्वाचन क्षेत्रवार मॉड्यूल विकसित किया गया है।

9.34 इन्टीग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेट सिस्टम (IWMS)

Work Statistics Mega Project				
Total Projects	**Under Conceptualization**	**Under Development**	**Under Implementation**	**Completed Projects**
328	4	54	243	27

Work Statistics (Constituency wise Works Module)				
Total Sanctions	**Total Works**	**Total Sanction Amount**	**Total Works Amount**	**Total Expenditure**
3566	5896	165306.73 Cr.	32611.52 Cr.	12767.61 Cr. (39.15%)

IWMS (इन्टीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेट सिस्टम) के अन्तर्गत वाटरशेड डिर्पाटमेंट से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं (जैसे :– MJSA, MJSA 2.0, RGJSY, PMKSY, IWMP, Atal Bhujal Yojana etc.) प्रगति / स्थिति की ऑनलाइन प्रगति हेतु विकसित किया गया है।

IWMS (इन्टीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेट सिस्टम) के माध्यम से जल ग्रहण से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी बनाए रखने और गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने में एक अमूल्य उपकरण साबित होता है। प्रत्येक चरण – पूर्व–सर्वेक्षण से निरीक्षण तक – को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करके हम अपने काम में उच्च स्तर की सटीकता और विश्वसनीयता प्राप्त करने में सक्षम हैं।

- **वेब एप्लीकेशनः**

वेब एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाना (ब्लॉक स्तर पर, परियोजना के अन्तर्गत आने वाले गांवो का चयन करना), चयन किए हुए गॉवों के लिए जनसांख्यिकीय और पानी की आवश्यकता का विवरण जोडना, पहले से बनी हुयी संरचनाओं का प्री–सर्वे करना और नये वर्क प्लान करना, नये प्लान कार्यो के लिए वर्क फ्लो अप्रूवल, गांव वाइज व ब्लॉक वाइज डी.पी.आर., भिन्न प्रकार की स्वीकृतियां (यथा तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति आदि) जारी करना, वर्क ऑर्डर से संबंधित जानकारी, मद वार किए गये भुगतान से संबंधित जानकारी प्रविष्ट करना विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जारी करना आदि।

- **मोबाइल एप्लीकेशन**
  - प्री सर्वे करना
  - नये वर्क प्लान करना
  - विभिन्न चरणो में कार्यो की प्रगति अपलोड करना
  - इवेंट और IEC activity की फोटोग्राफ अपलोड करना
  - कार्यो का निरीक्षण करना।

Work Statistics Scheme: **MJSA 2.0** Phase: **MJ2PHASE -I**				
Work Count				
Planned	**FS Issued**	**In Progress**	**Completed**	**CC Issued**
1,88,918	1,32,509 **(70.14%)**	9,561 **(5.06%)**	1,11,079 **(58.8%)**	96,103 **(50.87%)**
Work Cost (in Lakhs)				
Planned	**FS Issued**	**In Progress**	**Completed**	**CC Issued**
4,45,185.45	2,96,802.17	35,332.81	2,31,310.09	2,36,843.77

9.35 फाइबर टू द होम (FTTH) परियोजना -

फाइबर टू द होम परियोजनान्तर्गत, राज्य में ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर सरकारी कार्यालयों/भवनों को एफटीटीएच के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाये जाने का कार्य किया जा रहा हैं।

FTTH परियोजना का उद्देश्य-

इस परियोजना का उद्देश्य, राज्य में नागरिक सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक पर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाया जाना है।

परियोजनान्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर मौजूदा

भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करके 05 फाईबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन सरकारी कार्यालयों/भवनों (जैसे कि – स्कूल, स्वास्थ्य भवन, पुलिस स्टेशन, पटवार भवन, पंचायत कार्यालय इत्यादि) में स्थापित किये जा रहे हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों मे डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेंगी ।

FTTH परियोजना का लाभ -

- मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यालयों/भवनों (जैसे कि – स्कूल, स्वास्थ्य भवन, पुलिस स्टेशन, पटवार भवन, पंचायत कार्यालय इत्यादि) में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता।
- एफटीटीएच कनेक्टिविटी का उपयोग करके राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं का वितरण।
- इस परियोजना के अगले चरण मे गांवों में भी स्थित सरकारी कार्यालयों / भवनों मे एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने की योजना हैं।

FTTH परियोजना की वर्षवार प्रगति-

परियोजना के तहत अब तक लगभग 5500 से अधिक ग्राम पंचायतों में कुल 28,500 से अधिक एफटीटीएच कनेक्शन लगाये जा चुके हैं।

वर्ष	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (दिस. 2025)
कनेक्शनों की संख्या	5409	16969	5330	1206

9.36 राजस्थान में सार्वजनिक सेवाओं की गारंटीकृत वितरण (RGDPS) डैशबोर्ड

यह वेब एप्लिकेशन प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD) के लिए विकसित किया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य RGDPS अधिनियम द्वारा अनिवार्य किए गए G2C सेवाओं की निगरानी और प्रबंधन को बढ़ाना है। यह संबंधित योजनाओं के लिए स्थापित समय–सीमाओं के संबंध में प्रसंस्करण और लंबित आवेदनों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स को समाहित करता है।

9.37 स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए (SVSSAE)

यह वेब एप्लिकेशन कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया है और यह "स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए" का कार्यान्वयन है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में निम्न–आय वाले छात्रों को सशक्त बनाना है, जिसमें भारत के एवं विदेशों के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के अवसर शामिल हैं, जो अंततः उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान में योगदान करते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करना, निपटान, डीबीटी और विश्लेषणात्मक BI डैशबोर्ड/रिपोर्ट्स शामिल हैं।

9.38 एकीकृत छात्रवृत्ति पोर्टल (कॉलेज शिक्षा)

यह वेब एप्लिकेशन कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया है और यह कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले 12 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में निम्न–आय वाले छात्रों को सशक्त बनाना है, जो अंततः उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान में योगदान करते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करना, निपटान, डीबीटी और विश्लेषणात्मक BI डैशबोर्ड/रिपोर्ट्स शामिल हैं।

9.39 सरकारी कार्य प्रणाली में सुदृढ़ीकरण

- **मुख्य सचिव के पत्र कार्रवाई के लिए और प्रतिक्रिया प्रणाली (CLEARS)**

  यह वेब एप्लिकेशन मुख्य सचिव कार्यालय (CS Office) के लिए विकसित किया गया है और यह मुख्य सचिव कार्यालय (CS Office) द्वारा भारत सरकार से प्राप्त पत्रों को ट्रैक करने की अनुमति देता है। संबंधित प्रशासनिक विभागों (विभाग प्रमुखों) को भेजे गए पत्रों को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और संबंधित विभाग को मुख्य सचिव के निर्देशों के आधार पर समयबद्ध कार्रवाई रिपोर्ट का अनुरोध करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। यह प्रक्रिया भारत सरकार से सभी संचार का एक डिजिटल अभिलेख बनाती है और भौतिक पत्र संचालन की आवश्यकता को समाप्त करती है। यह ऑनलाइन पत्र अपलोड करने, संबंधित विभागों को टैग करने, प्रतिक्रिया एकत्र करने और व्यापक निगरानी और मामले समाधानों और लंबित वस्तुओं की निगरानी के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।

- **गुलाबी पत्र प्रणाली (PLS)**

  यह वेब एप्लिकेशन CS कार्यालय के लिए विकसित किया गया है और यह CS कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्रों, शिकायतों और इसी तरह की वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए वास्तविक समय प्रदान करता है और उन्हें संबंधित प्रशासनिक विभागों (विभाग प्रमुखों) को भेजा जाता है। CS कार्यालय द्वारा प्राप्त भौतिक पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं और फिर उचित विभाग को CS के निर्देशों के आधार पर समयबद्ध कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। यह प्रणाली सभी संचार का एक डिजिटल अभिलेख बनाती है और भौतिक पत्र संचालन की आवश्यकता को समाप्त करती है। यह ऑनलाइन पत्र अपलोड करने, संबंधित विभागों को टैग करने, प्रतिक्रिया एकत्र करने और समग्र पर्यवेक्षण और मामले समाधानों और लंबित वस्तुओं की निगरानी के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट उत्पन्न करने का समर्थन करता है।

- **स्थानीय सूचना पूछताछ प्रणाली (LINES)**

  यह वेब एप्लिकेशन CS कार्यालय के लिए विकसित किया गया है और यह CS कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्रों, शिकायतों और इसी तरह की वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है और उन्हें संबंधित जिला प्रशासन (कलेक्टरों) को अग्रेषित किया जाता है। CS कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं और फिर उचित जिला प्रशासन को मुख्य सचिव के निर्देशों के आधार पर समयबद्ध कार्रवाई रिपोर्ट का अनुरोध करने के लिए अग्रेषित किए जाते हैं। यह दृष्टिकोण सभी संचार का एक डिजिटल भंडार बनाता है और भौतिक पत्र संचालन की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह ऑनलाइन पत्र अपलोड करने, संबंधित विभागों को टैग करने, प्रतिक्रिया एकत्र करने और व्यापक निगरानी और मामले समाधानों और लंबित वस्तुओं की निगरानी के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट उत्पन्न करने की अनुमति देता है।

- **अनुमान और व्यय विवरण (SOEE) और उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने (RISL) प्रणाली**

  यह वेब एप्लिकेशन RajComp Info Services Limited (RISL) के आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है ताकि विभिन्न विभागों, पीएसयू, बोर्डों और निगमों को SOEE और उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जारी किए जा सकें जो RISL को अपनी eGovernance परियोजनाओं को लागू करने के लिए नियुक्त करते हैं। यह एप्लिकेशन केवल RISL के भीतर आंतरिक उपयोग के लिए अभिप्रेत है। परियोजना प्रभारी अधिकारी (OICs) अपने SOEE/UC के लिए ऑनलाइन अनुरोध जमा करते हैं, जिन्हें Director (Finance) द्वारा RISL की समीक्षा के बाद Manager (Finance) को जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

- **कार्य प्रबंधन प्रणाली (DoIT&C/RISL)**

  यह वेब एप्लिकेशन DoIT&C और RISL के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिसमें HOD/HOO द्वारा समूह प्रमुखों और परियोजना प्रभारी अधिकारियों को विभिन्न कार्यों का आवंटन स्वचालित रूप से किया जाता है। इन कार्यों को वास्तविक समय में संबंधित अधिकारियों तक प्रसारित किया जाता है, जो उन्हें सौंपे गए कार्यों की स्थिति पर नियमित अपडेट प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए निपटान और लंबित स्थितियों की निगरानी करने में मदद करने वाले विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट उत्पन्न करता है।

- **ईमेल खाता निर्माण प्रणाली**

  यह वेब एप्लिकेशन DoITC के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिसमें Govt. ईमेल A/c निर्माण से संबंधित अनुरोधों की प्राप्ति और प्रसंस्करण स्वचालित रूप से किया जाता है। अनुरोध ऑनलाइन प्राप्त और संसाधित किए जाते हैं, जिससे कागज और फॉर्म–आधारित भौतिक संचार समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए निपटान और लंबित स्थितियों की निगरानी करने में मदद करने वाले विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट उत्पन्न करता है।

- **सुरक्षा ऑडिट अनुरोध, एप्लिकेशन प्रदर्शन निगरानी (APM), SSL प्रमाणपत्र जारी करना और लोड परीक्षण अनुरोध प्रणाली**

  यह वेब एप्लिकेशन DoIT&C के लिए चार आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों और तृतीय–पक्ष विक्रेताओं द्वारा विकसित वेब और मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षा ऑडिट के संबंध में अनुरोधों की प्राप्ति और प्रसंस्करण स्वचालित रूप से किया जाता है। अनुरोध ऑनलाइन प्राप्त और संसाधित किए जाते हैं, जिससे कागज और फॉर्म–आधारित भौतिक संचार समाप्त हो जाता है। सत्यापन और ऑडिट के बाद, सिस्टम एक डिजिटल हस्ताक्षरित सुरक्षा ऑडिट स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करता है जो राजस्थान SDC में किसी भी नए वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने की एक अनिवार्य आवश्यकता है। सिस्टम सभी संबंधितों को उनके वेब और मोबाइल अनुप्रयोगों के समय पर पुनः ऑडिट के लिए आवधिक अनुस्मारक भी भेजता है। इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए निपटान और लंबित स्थितियों की निगरानी करने में मदद करने वाले विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट उत्पन्न करता है।

  विभाग / एप्लीकेशन के मालिक जो गंभीर प्रदर्शन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे अपने वेब / ऐप सर्वर पर APM एजेंट को तैनात करने के लिए भी ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं, जिसमें लोड परीक्षण और प्रमाणपत्रों के लिए अनुरोध शामिल हैं।

- **वरिष्ठ अधिकारी बैठक (SOM) प्रबंधन प्रणाली**

  यह वेब एप्लिकेशन प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD) के लिए विकसित किया गया है और विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (CoS) की बैठकों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता सौंपी जाती है। यह प्रत्येक प्रशासनिक विभाग और राज्य में मौजूद ऑनलाइन प्रणालियों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के डेटा बिंदुओं और मैट्रिक्स को समाहित करता है। ये मैट्रिक्स, साथ ही एक विश्लेषणात्मक BI डैशबोर्ड / रिपोर्ट्स, मुख्य सचिव को विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों के

प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और CoS बैठकों के दौरान उनका विश्लेषण करने के लिए उपकरण के रूप में काम करते हैं।

- **प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) प्रबंधन प्रणाली**

  यह वेब एप्लिकेशन आयोजना विभाग के लिए विकसित किया गया है और मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा उन्हें परिभाषित की गई KPI और मासिक लक्ष्यों के अनुसार प्रशासनिक विभागों के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। यह आयोजना विभाग को प्रत्येक विभाग के लिए KPI को परिभाषित करने की अनुमति देता है, साथ ही वित्तीय वर्ष के दौरान लक्ष्य (मासिक) भी निर्धारित करता है। प्रत्येक महीने के अंत में, विभाग अपने KPI के विरुद्ध प्राप्तियों को दर्ज करते हैं, और फिर सिस्टम प्रदर्शन और विभागों की रैंकिंग उनके लक्ष्य प्राप्ति के अनुसार गणना करता है।

  ये मेट्रिक्स मुख्य सचिव को विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और COS बैठकों के दौरान उनका विश्लेषण करने के लिए उपकरण के रूप में काम करते हैं।

9.40 विद्युत निरीक्षक विभाग (EID) ई-सेवा प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन EID के लिए विकसित किया गया है और विद्युत निरीक्षक विभाग (EID) की लाइसेंस प्रसंस्करण के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह आवेदकों को ऑनलाइन अपने लाइसेंस और नवीनीकरण अनुरोध फ़ाइल करने, संबंधित शुल्कों के लिए डिजिटल भुगतान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदनों को संभालने और निम्नलिखित सेवाओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित लाइसेंस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है।

- CEA 2010 के विनियमन 32 के तहत डीजल जनरेटर/ सौर ऊर्जा/ पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ऊर्जाकरण का परमिट और नवीनीकरण।
- CEA 2010 के विनियमन 43 के तहत HT & EHT/ ट्रांसफार्मर/ लाइन उपकरण/ U.G. केबल के ऊर्जाकरण का परमिट और नवीनीकरण।

इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.41 कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग ई-सेवा प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन कानूनी मेट्रोलॉजी (Legal Metrology) विभाग के लिए विकसित किया गया है और कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग के लाइसेंस प्रसंस्करण के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह आवेदकों को ऑनलाइन अपने लाइसेंस और नवीनीकरण अनुरोध फ़ाइल करने, संबंधित शुल्कों के लिए डिजिटल भुगतान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदनों को संभालने और

निम्नलिखित सेवाओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित लाइसेंस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है।

- (भार और माप) वजन और माप के डीलर का लाइसेंस, नवीनीकरण और संशोधन
- (भार और माप) निर्माता का लाइसेंस, नवीनीकरण और संशोधन
- (भार और माप) मरम्मतकर्ता का लाइसेंस, नवीनीकरण और संशोधन
- पैकेजर / निर्माता का पंजीकरण और संशोधन

इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.42 गृह विभाग ई-सेवा प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन गृह विभाग के लिए विकसित किया गया है और गृह विभाग के परमिट / लाइसेंस / NOC प्रसंस्करण के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह आवेदकों को ऑनलाइन अपने लाइसेंस और NOC अनुरोध फ़ाइल करने, संबंधित शुल्कों के लिए डिजिटल भुगतान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदनों को संभालने और निम्नलिखित सेवाओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित लाइसेंस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है।

- सिनेमाटोग्राफी के लिए लाइसेंस
- प्रदर्शन और मनोरंजन के लिए परमिट
- विस्फोटकों और पटाखे के लिए लाइसेंस / NOC

इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.43 सड़क सुरक्षा युद्ध कक्ष (RSWR) प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन गृह विभाग के लिए विकसित किया गया है और राज्य सचिवालय में स्थापित सड़क सुरक्षा युद्ध कक्ष (RSWR) का समर्थन करता है ताकि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दुर्घटनाओं और मौतों की निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके। जिला WAR रूम अधिकारियों को सिस्टम में ऑनबोर्ड किया गया है। वे दैनिक डेटा दर्ज करते हैं जो पोर्टल में दुर्घटनाओं और पीड़ितों के बारे में है। RSWR टीम इस जानकारी का उपयोग विभिन्न विश्लेषणों के लिए करती है। इसके अतिरिक्त, यह सभी पक्षों के लिए एक श्रृंखला विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.44 भागीदारी फर्म पंजीकरण प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स (RoF), उद्योगों और वाणिज्य विभाग (ICD), राजस्थान सरकार द्वारा भागीदारी फर्मों के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह आवेदकों को ऑनलाइन अपने आवेदन फ़ाइल करने, संबंधित शुल्कों का भुगतान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से

आवेदनों को संभालने और निम्नलिखित सेवाओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है:

- नई भागीदारी फर्म पंजीकरण (फॉर्म A)
- फर्म संशोधन (फॉर्म B)
- पता परिवर्तन (फॉर्म C)
- भागीदार का नाम परिवर्तन (फॉर्म D)
- संविधान धारा 63 में परिवर्तन सूचना (फॉर्म E)
- फर्म में भागीदारों के मामूली लाभों की धारा 63 (2) (फॉर्म F)

इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.45 शिल्पकार और बुनकर पंजीकरण प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन उद्योगों और वाणिज्य विभाग (ICD) के लिए विकसित किया गया है और राज्य भर में कुशल शिल्पकारों और बुनकरों के पंजीकरण के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह कुशल श्रमिकों को ऑनलाइन अपने आवेदन फ़ाइल करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदनों को संभालने और राजस्थान सरकार के उद्योगों और वाणिज्य विभाग के आयुक्त से हस्ताक्षरित डिजिटल शिल्पकार और बुनकर कार्ड प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.46 Rising Rajasthan 2025 MoU प्रबंधन

यह वेब एप्लिकेशन उद्योगों और वाणिज्य विभाग (ICD) के लिए विकसित किया गया है और "Rising Rajasthan 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" के आयोजन से पहले और बाद में प्राप्त MoU अनुरोधों के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है, जिसे उद्योगों और वाणिज्य विभाग (ICD), राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। यह संभावित निवेशकों को RajNivesh पोर्टल पर ऑनलाइन अपने MoU अनुरोध फ़ाइल करने की अनुमति देता है, अनुरोधों का इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण और राज्य सरकार की संबंधित MoU कार्यान्वयन विभाग से डिजिटल MoU प्रमाणपत्र प्राप्त करना। MoU अनुमोदन के बाद, कार्यान्वयन विभाग, निवेशक के साथ परामर्श करके परियोजना मील के पत्थर और संबंधित कार्यों को परिभाषित करते हैं। इन कार्यों को तब संबंधित विभाग (संबंधित विभाग) को निष्पादन और समापन के लिए असाइन किया जाता है। एक बार जब सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तो MoU/परियोजना को लागू माना जाता है। इसमें एक निवेशक इंटरफ़ेस भी शामिल है जहाँ निवेशक संबंधित विभाग के साथ MoU की स्थिति और प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.47 विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VYUPY)

यह वेब एप्लिकेशन उद्योगों और वाणिज्य विभाग (ICD) के लिए विकसित किया गया है और राज्य सरकार की VYUPY योजना का कार्यान्वयन है, जिसका उद्देश्य योग्य निवासियों द्वारा राज्य में अपनी व्यवसाय स्थापित करने के लिए ली गई ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करके वंचितों का समर्थन करना है। इसने योग्य निवासियों से ऑनलाइन आवेदन जमा करने को सुविधाजनक बनाया, साथ ही ऑनलाइन सत्यापन, प्रसंस्करण और डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमोदन पत्र और DBT जारी किए। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी हितधारकों के लिए एक श्रृंखला विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.48 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2019/2022/2024 प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन वित्त विभाग और उद्योगों और वाणिज्य विभाग (ICD) के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और यह राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा स्थापित RIPS योजना को लागू करने के लिए सेवा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य योग्य संभावित निवेशकों को प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करके क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। यह डिजिटल आवेदन जमा करने की अनुमति देता है, साथ ही इन आवेदनों का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन, प्रसंस्करण और डिजिटल हस्ताक्षरित अधिकार प्रमाण पत्र (EC) वितरण भी। EC प्राप्त करने के बाद, पात्र निवेशक योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न सब्सिडी और पुनर्भुगतान का अनुरोध करने के लिए ऑनलाइन अपने दावा आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम में शामिल सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.49 श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी और ग्रामीण) प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन राज्य सरकार की SARY योजना (शहरी और ग्रामीण) का कार्यान्वयन है। यह LSG और PR विभाग के लिए अलग–अलग लागू किया गया है। इसका उद्देश्य गरीब लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन (लंच और डिनर) प्रदान करके उन्हें समर्थन देना है, जो कि थाली के प्रति 8/– की मामूली दर पर उपलब्ध है। थाली की शेष कीमत, यानी 22/– रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। भोजन RASOIs (लगभग 2000) में राज्य भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दो शिफ्टों में पेश किया जाता है।

यह विक्रेता प्रबंधन, रसोई प्रबंधन, ऑपरेटर प्रबंधन, प्रायोजक प्रबंधन, लाभार्थी प्रबंधन और विक्रेताओं के लिए चालान/ बिलिंग प्रबंधन का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.50 औषधि नियंत्रण संगठन (DCO) लाइसेंस प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन DCO द्वारा राज्य भर में जारी किए गए विभिन्न लाइसेंसों और अनुमतियों के

डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह आवेदकों को ऑनलाइन अपने आवेदन फ़ाइल करने, संबंधित शुल्कों का भुगतान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदनों को संभालने और निम्नलिखित सेवाओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित लाइसेंस और अनुमति पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है:

1. फार्मासिस्ट/ रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस में अतिरिक्त
2. रिटेल में दवाओं की बिक्री, भंडारण या प्रदर्शन या बिक्री के लिए पेश करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन
3. रिटेल और थोक में दवाओं की बिक्री, भंडारण या प्रदर्शन या बिक्री के लिए पेश करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन
4. थोक में दवाओं की बिक्री, भंडारण या प्रदर्शन या बिक्री के लिए पेश करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन
5. रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस में संविधान और परिसर में परिवर्तन
6. रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस में संविधान में परिवर्तन
7. रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस में नाम/ क्षेत्र/ भंडारण में परिवर्तन
8. रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस में फार्मासिस्ट/ रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस में परिवर्तन
9. रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस में परिसर में परिवर्तन
10. रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस में मालिक/ भागीदार/ प्रबंधक में परिवर्तन
11. फार्मासिस्ट/ रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस से मृत्यु के कारण विलोपन
12. रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस से फार्मासिस्ट/ रिटेल/ थोक/ रिटेल और थोक लाइसेंस से विलोपन
13. शेड्यूल–सी, सी(1), एक्स के तहत दवाओं की बिक्री, भंडारण या प्रदर्शन या बिक्री के लिए पेश करने के लिए अन्य दवाओं के लिए मौजूदा खुदरा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना (20बी, 21बी) (फॉर्म–19)
14. शेड्यूल–सी, सी(1), एक्स के तहत दवाओं की बिक्री, भंडारण या प्रदर्शन या बिक्री के लिए पेश करने के लिए अन्य दवाओं के लिए मौजूदा थोक विक्रेताओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना (20, 21) (फॉर्म–19)
15. गोदाम लाइसेंस

16. शेड्यूल–एक्स में निर्दिष्ट दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए पेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना (रिटेल / थोक / रिटेल और थोक) (20F / 20G / दोनों)
17. शेड्यूल–एक्स में निर्दिष्ट दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए पेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना (रिटेल / थोक / रिटेल और थोक) (20, 21, 20B, 21B, 20F, 20G)
18. शेड्यूल–एक्स में निर्दिष्ट दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए पेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना (थोक) (20B, 21B, 20B (गोदाम), 21B (गोदाम)
19. शेड्यूल–सी, सी(1), एक्स के तहत दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए पेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना (रिटेल / थोक) (20, 21) (फॉर्म–19)
20. शेड्यूल–सी, सी(1), एक्स के तहत दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए पेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना (थोक) (20B, 21B, 20B (गोदाम), 21B (गोदाम)) (फॉर्म–19)
21. शेड्यूल–सी, सी(1), एक्स के तहत दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए पेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना (रिटेल) (20, 21) (फॉर्म–19)
22. शेड्यूल–सी, सी(1), एक्स के तहत दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए पेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना (थोक) (20B, 21B, 20B (गोदाम), 21B (गोदाम))

यह प्रणाली एक जोखिम–आधारित निरिक्षण प्रणाली की सुविधा प्रदान करती है जिसके माध्यम से निरीक्षकों को साप्ताहिक रूप से समय–संवेदनशील अनियमित निरीक्षण असाइनमेंट प्राप्त होते हैं। निरीक्षणों के बाद, संबंधित रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं, जिससे लाइसेंस निलंबन के संबंध में निर्णय लेने का विकल्प मिलता है, जिसमें प्रभावित लाइसेंसधारियों को ऑनलाइन अपील करने का भी विकल्प होता है।

इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.51 जलमित्रा प्रणाली (PHED)

यह वेब एप्लिकेशन PHED की जलमित्रा प्रणाली है और राज्य भर के निवासियों, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक पानी के कनेक्शन अनुमतियों के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह तीनों प्रकार के कनेक्शनों के लिए एक एकीकृत एप्लिकेशन है जो आवेदकों को ऑनलाइन अपने आवेदन फ़ाइल करने, संबंधित शुल्कों का

भुगतान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदनों को संभालने और ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित कनेक्शन आदेश प्राप्त करने की अनुमति देता है।

सिस्टम पाइप–फिटिंग कार्य के लिए प्लंबर/ठेकेदार के लिए यादृच्छिक आवंटन का भी प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम में शामिल सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.52 बजट MIS प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन आयोजना विभाग को केंद्रीय सहायता और प्रत्येक महीने और वित्तीय वर्ष के लिए राज्य वित्तपोषण के अनुसार राज्य के बजट को ट्रैक और निगरानी करने में मदद करने के लिए लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम में शामिल सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.53 राजएसएसओ उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली (RAJSSO-AMS)

राजएसएसओ–एएमएस वेब और मोबाइल एप्लिकेशन को DoIT&C द्वारा एक बहुमुखी मंच के रूप में बनाया गया है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को डिजिटाइज़ करना है। यह एक SaaS मॉडल पर काम करता है और एक विकेंद्रीकृत ढांचे पर आधारित है जहां विभागों को नामित नोडल अधिकारियों (DEPT–ADMIN) से जुड़कर ऑनबोर्ड किया जाता है, जिससे उन्हें बाद में सिस्टम का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने की अनुमति मिलती है।

DEPT–ADMIN स्तर–1 कार्यालयों की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं, साथ ही उनके संबंधित LONG/LAT निर्देशांक (जीओ–फेंस) और प्रत्येक कार्यालय के लिए एक संबंधित हैड ऑफ ऑफिस (HOO – OFFICE ADMIN) को असाइन करना।

OFFICE–ADMINs को उस कार्यालय में नियुक्त सरकारी और निजी कर्मचारियों का पंजीकरण करने का काम सौंपा गया है, साथ ही किसी भी आवश्यक उप–कार्यालयों का निर्माण करना।

एक बार जब OFFICE–ADMINs ने कर्मचारियों को पंजीकृत कर लिया, तो वे राजएसएसओ–एएमएस मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके अपनी दैनिक उपस्थिति रिकॉर्ड कर सकते हैं। उपलब्ध उपस्थिति विकल्पों में MARK-IN, MARK-OUT, OUT OF OFFICE और विभिन्न प्रकार की छुट्टी (पहला आधा भाग, दूसरा आधा भाग, पूर्ण दिन, और कई दिनों) शामिल हैं।

ऑफिस के 250 मीटर के भीतर दर्ज की गई उपस्थिति भौगोलिक आवश्यकताओं को पूरा करती है; अन्यथा, इसे वेब एप्लिकेशन पर उल्लंघन के रूप में चिह्नित किया जाता है। यह लगातार उपयोगकर्ता की निगरानी नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम में शामिल सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.54 RajBioScope

यह वेब एप्लिकेशन YouTube के समान एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो DIPR, किसी भी राज्य सरकार का विभाग, सरकारी कर्मचारी या निवासियों को जागरूकता उद्देश्यों के लिए साइट पर जानकारीपूर्ण वीडियो अपलोड करने की अनुमति देता है। DoIT&C से नियुक्त एक अधिकारी द्वारा व्यक्तियों या विभागों द्वारा जमा किए गए वीडियो की समीक्षा और मॉडरेशन की जाती है। यदि कोई वीडियो मॉडरेट होने के बाद प्रासंगिक, सूचनात्मक और फायदेमंद माना जाता है, तो इसे पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह, उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियाँ और समीक्षाएँ भी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होने से पहले मॉडरेट की जाती हैं। अपलोड किए गए वीडियो को सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं, ट्यूटोरियल और अन्य जैसे समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

9.55 पर्यटन विभाग ई-सेवा प्रणाली

यह वेब एप्लिकेशन पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न अनुमोदनों और अनुमतियों के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह आवेदकों को ऑनलाइन अपने आवेदन फ़ाइल करने, संबंधित शुल्कों का भुगतान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदनों को संभालने और निम्नलिखित सेवाओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमोदन और अनुमति पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है:

1. पर्यटन इकाई परियोजना के अनुमोदन
2. फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति
3. यात्रा एजेंसी / भ्रमण एजेंसी / सफारी ऑपरेटरों का पंजीकरण
4. यात्रा एजेंसी / भ्रमण का नवीनीकरण
5. पर्यटन इकाई लाभों के लिए अधिकार प्रमाण पत्र जारी करना

इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.56 मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (MNSUPY)

यह वेब एप्लिकेशन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विकसित किया गया है और राज्य सरकार की MNSUPY योजना का कार्यान्वयन है, जिसका उद्देश्य योग्य महिलाओं को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेकर राज्य में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करके महिलाओं का समर्थन करना है। इसने योग्य निवासियों से ऑनलाइन आवेदन जमा

करने को सुविधाजनक बनाया, साथ ही ऑनलाइन सत्यापन, प्रसंस्करण और डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमोदन पत्र और DBT जारी किए। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.57 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (MSVY)

यह वेब एप्लिकेशन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विकसित किया गया है और राज्य सरकार की MSVY योजना का कार्यान्वयन है, जिसका उद्देश्य कई जोड़ों को एक ही दिन में सामूहिक/बड़े पैमाने पर विवाहों में भाग लेने के लिए योग्य एनजीओ और योग्य वधु को सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम में शामिल एनजीओ और वधु दोनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्लेटफ़ॉर्म पात्र एनजीओ द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति देता है, साथ ही ऑनलाइन सत्यापन, प्रसंस्करण और डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमोदन पत्र जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.58 सड़क-कटिंग अनुमति प्रणाली (PWD)

यह वेब एप्लिकेशन PWD द्वारा राज्य भर में जारी की गई सड़क–कटिंग अनुमतियों के डिजिटल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। यह आवेदकों को ऑनलाइन अपने आवेदन फ़ाइल करने, संबंधित शुल्कों का भुगतान करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदनों को संभालने और डिजिटल हस्ताक्षरित अनुमति पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, यह सभी हितधारकों के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करता है।

9.59 आईटी इनेबलमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टरेट डिपार्टमेंट (ई.आई.डी)

इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टरेट डिपार्टमेंट द्वारा वायरमैन, सुपरवाइजर और कान्ट्रेक्टर के लिए ई–हस्ताक्षरित लाइसेंस परमिट प्रमाण पत्र जारी करने तथा नवीनीकरण करने के लिए परियोजना का संचालन किया जा रहा हैं। इसके अर्न्तगत व्यक्ति या फर्म, इलेक्ट्रिकल काम करने से सम्बन्धित कार्य के लिए विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने तथा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते है।

परियोजना मे अन्य मॉडयूल ड्राईंग एप्लीकेशन का विकास किया गया। इस एप्लीकेशन के द्वारा राज्य के उद्योग और कम्पनियों अपनी विद्युत लाइन, वायरिंग, अर्थिंग, ट्रांसफार्मर, विद्युत मानचित्र आदि के अनुमोदन के लिए विभाग को प्रस्तुत करती है।

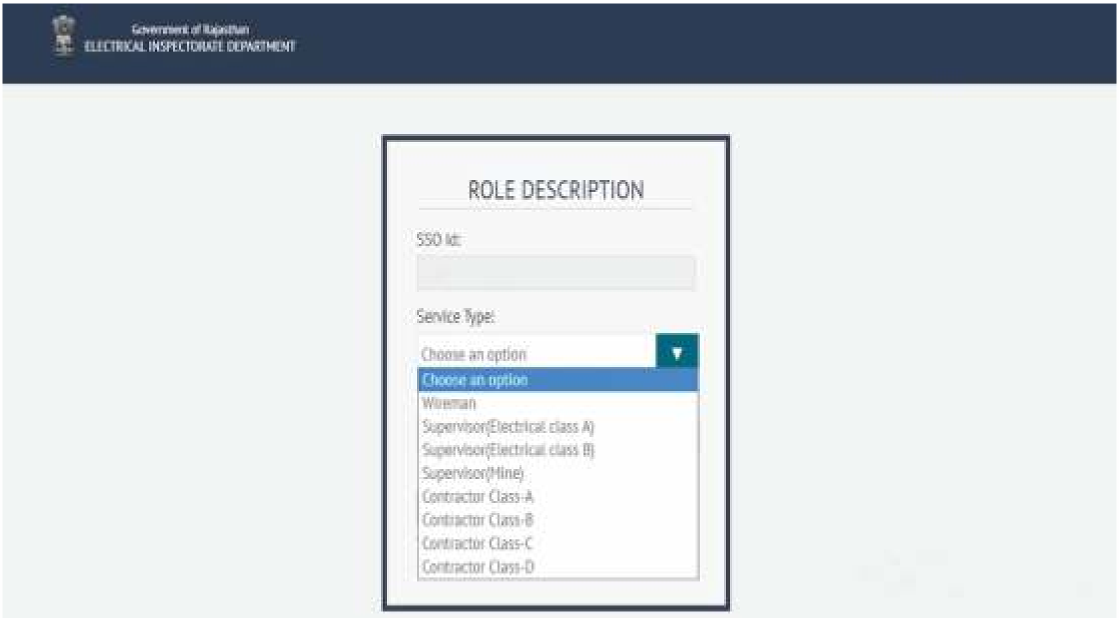

परियोजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन			कुल जारी किये गये लाइसेंस		
	फ्रेश	रिन्युअल	माइग्रेट	फ्रेश	रिन्युअल	माइग्रेट
2024–25	7196	296	434	5739	201	281
2025–26	6515	417	321	4980	271	210

9.60 देवस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान मूल के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाने के उददेश्य से देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का शुभारम्भ किया गया।

SSO के द्वारा जनआधार के माध्यम से, इस परियोजना मे वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रियों से हवाई/रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाते है। तथा देवस्थान विभाग द्वारा, प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से चयनित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ–यात्रियो को हवाई/रेल यात्रा द्वारा तीर्थ यात्रा करवायी जाती है। परियोजना के अन्य निम्न मॉडयूल विकास चरण मे है–

- सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा
- कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा

- देवस्थान ट्रस्ट मैनेजमेंट सिस्टम
- देवस्थान रेंट मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि.

परियोजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल यात्री संख्या
2024	157665	93907
2025	115024	184015

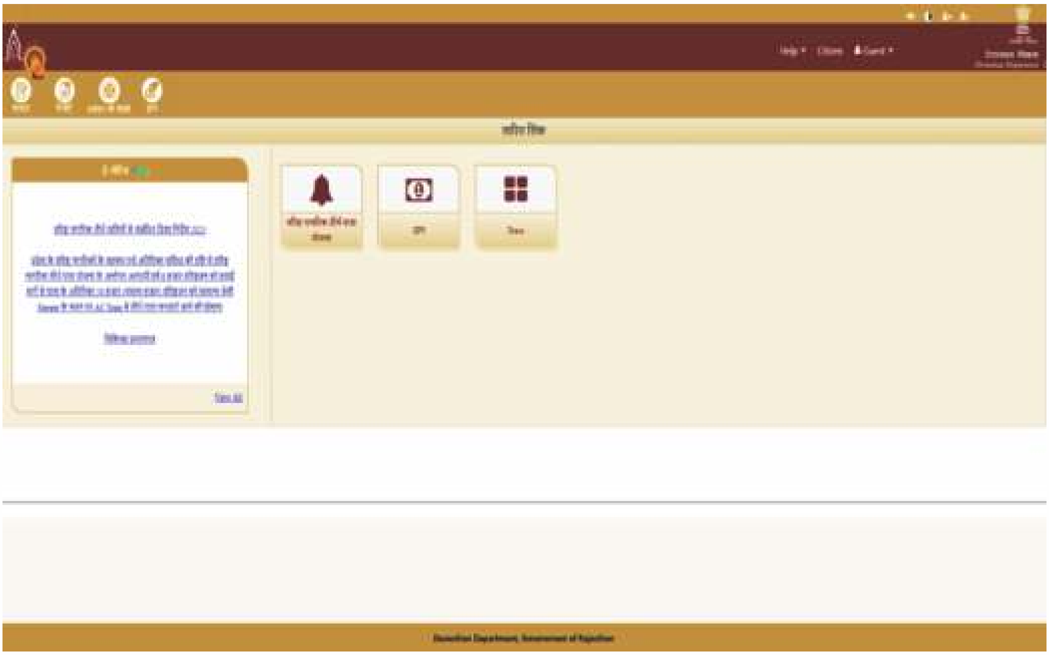

9.61 राजमेल (RajMail)

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार, पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु राजमेल (RajMail) जैसी ई–गवर्नेंस पहल लागू की है। हर नागरिक जो SSOID बनाता है, उसे स्वचालित रूप से एक निःशुल्क डिजिकिट के रूप में राजमेल खाता प्रदान किया जाता है, जो नागरिकों और सरकार के बीच आधिकारिक एवं प्रमाणिक संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है।

वर्तमान में 57 लाख से अधिक उपयोगकर्ता राजमेल से जुड़े हैं, जिनमें अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक शामिल हैं, जो राजस्थान में सरकार और जनता के बीच सुरक्षित, पारदर्शी एवं प्रभावी संवाद सुनिश्चित करते हैं।

9.62 राज-पेमेंट

राजपेमेंट सभी भुगतानों, प्राप्तियों और लेखा प्रक्रियाओं के लिए एक सरल Fund Management Application है, जो विभागों को ज़रूरी वित्तीय गतिविधियाँ पूरी करने में मदद करता है। किसी सरकारी विभाग/उपक्रम की सभी बैंकिंग प्रक्रियाओं, भुगतान निवेदनों का सृजन एवं बैंकों के माध्यम से संवितरण हेतु राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म (RPP) को प्रेषण आदि राज पेमेंट के माध्यम से किया जा सकता है।

परियोजना का उद्देश्य

राजपेमेंट का मुख्य उद्देश्य विभागों को एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी फंड प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना है, जिससे वे अपने भुगतान और बजट संबंधी कार्यों को डिजिटल रूप से सुचारू रूप से संचालित कर सकें। राजपेमेंट का लक्ष्य सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं को पारदर्शी, त्वरित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है, ताकि सभी विभाग बिना किसी अतिरिक्त लागत के आधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली का लाभ उठा सकें।

परियोजना का लाभ

इस प्रणाली के माध्यम से विभाग डिजिटल हस्ताक्षरित फाइलों द्वारा डीबीटी भुगतान कर सकते हैं, अपने ईआरपी सिस्टम से एपीआई के जरिए भुगतान और ट्रैकिंग कर सकते हैं, तथा प्रोजेक्ट

के विभिन्न चरणों पर आधारित भुगतान प्रक्रिया को स्वचालित रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। केंद्रीकृत रिपोर्टिंग और वर्कफ़्लो प्रणाली विभागों को बेहतर निगरानी और निर्णय लेने में सहायता करती है।

परियोजना की प्रगति :-

कुल परियोजनाएं	929
कुल भुगतान राशि	रू. 7028.10 करोड़
वर्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतान राशि	रू. 689.18 करोड़

https://rajpayment.rajasthan.gov.in/

9.63 वीएलसी परियोजना (VLC)

वीएलसी परियोजना को अक्टूबर 2017 में महालेखाकार कार्यालय में कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था। वीएलसी प्रणाली राज्य के व्यय और प्राप्तियों के संबंध में सभी स्तरों पर वित्तीय जानकारी उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। मासिक सिविल खाते और वार्षिक वित्त एवं विनियोग खाते वीएलसी प्रणाली का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं।

परियोजना का उद्देश्य :-

वीएलसी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण कर इसे अन्य डिजिटल वित्तीय प्रणालियों के साथ एकीकृत करना एवं नई, स्वचालित प्रक्रियाओं को लागू करना है जिससे राज्य के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता बढ़ाई जा सके। वीएलसी प्रणाली को वास्तविक समय डेटा हस्तांतरण के लिए आईएफएमएस के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है। इससे दोनों प्रणालियों के डेटा में विसंगतियाँ दूर हो जाती हैं। प्रणालियों में होने वाला कोई भी परिवर्तन व्यवस्थित रूप से अन्य प्रणालियों में प्रसारित हो जाता है।

मुख्य उद्देश्य:-

- ई–हस्ताक्षरित/डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित वाउचर और चालान का डिजिटलीकरण और प्रबंधन, जिससे भौतिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके।
- आईएफएमएस, आरबीआई और एजेंसी बैंकों जैसी प्रणालियों के साथ एकीकरण के माध्यम से मैन्युअल प्रक्रियाओं का स्वचालन।
- बजटीय और वित्तीय अद्यतनों के लिए वीएलसी और आईएफएमएस के बीच व्यवस्थित

समन्वय को सक्षम बनाना।

- निर्बाध अंतर–सरकारी लेनदेन के लिए आरबीआई ई–कुबेर, पीएफएमएस और अन्य प्रणालियों के साथ इंटरफेस प्रदान करना।

परियोजना का लाभ :-

- डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित/ई–हस्ताक्षरित दस्तावेजों के उपयोग के माध्यम से वाउचर और चालान के भौतिक प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता को समाप्त किया गया।
- ई–वॉल्ट का उपयोग करके उन्नत दस्तावेज प्रबंधन किया जा रहा है।
- वीएलसी, आईएफएमएस और आरबीआई प्रणालियों के बीच स्वचालित डेटा विनिमय के माध्यम से सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह एवं समय कि बचत।
- सिस्टम–आधारित समाधान और सत्यापन के माध्यम से मैन्युअल हस्तक्षेप और त्रुटियों में कमी।
- आईएफएमएस और वीएलसी के बीच बजटीय पुनर्विनियोजन और वित्तीय डेटा का स्वचालित सिंक्रनाइजेशन डेटा की स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करता है।
- प्राप्तियों, व्यय और राजकोषीय संकेतकों की केंद्रीकृत निगरानी शासन और वित्तीय पारदर्शिता में सुधार करती है।
- उन्नत विश्लेषण उपकरणों (SAS/Qlik/Tableau) का परिचय सहज डैशबोर्ड और विजुअल रिपोर्ट के माध्यम से डेटा–संचालित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है।
- पासवर्ड नीतियों, नियंत्रित पहुँच और सुरक्षित दस्तावेज प्रबंधन का कार्यान्वयन डेटा की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

परियोजना की प्रगति :-

Financial Year	Voucher (Lakh)	Challan (Lakh)
2020-2021	36.53	168.68
2021-2022	37.59	180.30
2022-2023	43.05	211.62
2023-2024	47.11	223.60
2024-2025	48.67	243.63
2025-2026	40.45	197.61

9.64 RAJ-NOC प्रबंधन प्रणाली

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एवं हेल्थ ग्रुप–1 एवं 3, कृषि तथा पशुपालन विभाग) के लिए "RAJ-NOC प्रबंधन प्रणाली" विकसित की गई है। यह एक उन्नत वेब–आधारित एवं मोबाइल–समर्थित समाधान है, जो राजस्थान आईटी स्टैक के विभिन्न तृतीय–पक्ष अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत है। इसके माध्यम से राज्य के निजी शैक्षणिक संस्थानों हेतु NOC जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी, स्वचालित एवं केंद्रीकृत किया गया है।

यह प्रणाली पूर्णतः कॉन्फिगरेबल, स्केलेबल एवं उद्योग मानकों के अनुरूप डिजाइन की गई है। एकीकृत प्लेटफॉर्म पर विभाग आवेदक, सत्यापन अधिकारी, निरीक्षण अधिकारी, नोडल अधिकारी एवं विभागीय प्रशासकों की भूमिकाएँ परिभाषित कर प्रक्रियाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं।

प्रमुख उद्देश्य

- NOC प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं आवेदन की प्रत्येक अवस्था पर रियल–टाइम निगरानी
- आवेदन से संबंधित सभी विवरण एक क्लिक पर उपलब्ध, जिससे निर्णय लेने एवं योजना निर्माण में सुविधा
- सभी निजी संस्थानों द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करना

प्रमुख विशेषताएँ एवं कार्य

- आवेदन एवं आवेदन इतिहास का केंद्रीकृत प्रबंधन
- सभी स्तरों के अधिकारियों हेतु रियल–टाइम डैशबोर्ड
- कॉलेजों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण (स्टाफ, योग्यता, छात्र संख्या, सुविधाएँ इत्यादि) के आधार पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट
- निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली का पोर्टल के साथ एकीकरण
- सहकारी समिति पंजीकरण एवं ई–ग्रास राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म (RPP) के चालान सिस्टम का एकीकरण
- रिपोर्टिंग एवं निर्णय समर्थन हेतु केंद्रीकृत ट्रांजैक्शनल डेटा रिपॉजिटरी

वर्तमान स्थिति

- विभिन्न विभागों के कुल 5431 निजी संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए
- राज्य में निजी संस्थानों हेतु कुल 858 पाठ्यक्रमों के NOC जारी किए जा चुके हैं
- चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 339 NOC ऑनलाइन जारी किए गए
- 1500 आवेदनों की प्रक्रिया जारी है

  URL: https://rajnoc.rajasthan.gov.in/

9.65 Urban GIS Portal (CitizenUDH)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) द्वारा Urban GIS Portal (CitizenUDH) विकसित किया गया है, ताकि नागरिकों को राज्य की किसी भी संपत्ति से संबंधित भूमि उपयोग की प्रमाणित जानकारी तक सरल एवं पारदर्शी पहुँच उपलब्ध कराई जा सके, जिससे वे सूचित एवं सुरक्षित निर्णय ले सकें। यह पोर्टल नागरिकों को किसी भी शहरी संपत्ति के लिए मास्टर प्लान, खसरा सीमाएँ, वार्ड विवरण, वन क्षेत्र, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR), पुलिस थाना सीमा आदि देखने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे संपत्ति खरीद–बिक्री एवं शहरी प्रशासन से संबंधित निर्णय पारदर्शी एवं तथ्याधारित बनते हैं।

इसे जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक किसी भी भूखंड या संपत्ति की भूमि उपयोग जानकारी, मास्टर प्लान, योजना का नाम, वार्ड सीमा, पुलिस थाना क्षेत्र, सड़क की चौड़ाई, स्वामित्व विवरण और उपयोग की स्थिति को देख सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ :

- भूखंड की स्थिति, योजना का नाम और स्वामित्व विवरण का GIS आधारित दृश्यांकन।
- CPRMS एवं राजस्व रिकॉर्ड से स्वचालित रूप से प्राप्त स्वामित्व और भूमि उपयोग डेटा।
- GIS आधारित सत्यापन प्रणाली से फर्जीवाड़े पर नियंत्रण एवं सुरक्षित संपत्ति खरीद–बिक्री को बढ़ावा।
- स्वीकृत मास्टर प्लान एवं भूमि उपयोग का GIS आधारित दृश्यांकन।
- संपत्ति आईडी, खसरा संख्या अथवा लोकेशन के आधार पर मानचित्रीय खोज सुविधा।
- RajDharaa GIS Services के साथ एकीकृत डेटा एक्सेस एवं स्थानिक सटीकता सुनिश्चित।
- प्राधिकरणों हेतु भूमि बैंक के मूल्यांकन एवं योजना निर्माण में सहायता।
- स्वामित्व सत्यापन की सुविधा, जिससे फर्जी संपत्ति लेन–देन में कमी।
- नए विकास योजनाओं हेतु GIS आधारित लेआउट स्वीकृति सुविधा।
- ऑनलाइन एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विकास प्राधिकरणों की योजनाओं का एक क्लिक पर अवलोकन।
- भूखंडों से जुड़ी निजी योजनाओं की जानकारी भी क्रमिक रूप से पोर्टल पर उपलब्ध।

9.66 रेरा में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान (Contribution of IT in RERA)

ई–गवर्नेंस पहल तथा Ease of Doing Business (EoDB) के लक्ष्यों के अनुरूप राजस्थान रियल एस्टेट विनियमक प्राधिकरण (RERA) द्वारा अपनी समस्त सेवाओं के डिजिटलाईकरण की दिशा में निरंतर एवं योजनाबद्ध प्रयास किए गए हैं। प्रारंभिक चरण में परियोजना पंजीकरण, रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण, शिकायत निवारण एवं अन्य सेवाएं फेसीलिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम (FMS)

के माध्यम से प्रदान की जा रही थी।

प्राधिकरण को प्राप्त परिचालन अनुभवों के आधार पर एप्लीकेशन को भविष्य के अनुरूप बनाने हेतु विशेष मानव संसाधन की नियुक्ति की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक उन्नत प्रणाली विकसित हुई और इसके अंतर्गत जी2सी (G2C) एवं जी2जी (G2G) सेवाएं सफलतापूर्वक लागू की गई। तथापि, समय के साथ पुराने तकनीकी ढांचे में स्केलबिलिटी एवं उन्नत एनालिटिक्स जैसी सीमाएं परिलाक्षित होने लगीं।

इन सीमाओं को दूर करने तथा बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से RERA 2.0 को विकसित कर सफलतापूर्वक लागू एवं क्रियाशील किया गया है। RERA 2.0 प्राधिकरण की उस दृष्टि को साकार करता है, जिसके अंतर्गत Contact-less, Paper-less, Single Platform, No Footfall, Hand-holding Support, Enhanced Decision Support System (DSS) तथा अनुपालन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई है।

RERA 2.0 के प्रमुख आईटी मॉडल एवं सेवाएं

RERA 2.0 के अंतर्गत परियोजना पंजीकरण एवं एजेंट पंजीकरण के साथ–साथ निम्नलिखित प्रमुख डिजिटल मॉडल क्रियान्वित हैं–

- परियोजना छूट (Project Exemption) एवं विस्तार (Project Extension)
- बैंक खाता परिवर्तन (Form R4A & R4B), व बैंक Encumberance अनुरोध
- त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (QPR/APR) सबमीशन
- शिकायत प्रबंधन प्रणाली एवं शिकायत बहाली (Form-X / Form-R6)
- अधिनियम उल्लंघन के विरूद्ध सूचना प्रणाली
- परियोजना मानचित्र संशोधन, प्रोफाइल संशोधन एवं पोस्ट–रजिस्ट्रेशन आवेदन
- रिफंड अनुरोध, एजेंट विवरण संशोधन आदि

निगरानी, निर्णय समर्थन एवं सुशासन

नई प्रणाली के माध्यम से परियोजना योजना बनाम वास्तविक प्रगति की स्वयंक्रिय निगरानी, गैर–अनुपालन की पहचान, रीयल–टाइम रिपोर्टिंग एवं डाटा–आधारित निर्णय प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई है, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय भी स्थापित हुआ है।

भविष्य की दिशा (Way Forward)

RERA 2.0 को एक दीर्घकालीन एवं स्केलबेल समाधान के रूप में विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत कार्य–योजना से लेकर निगरानी एवं निष्पादन तक की समस्त प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाया गया है, जिससे राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र का प्रभावी विनियमन, पारदर्शिता एवं उपभोक्ता हित संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

10 वर्ष वार विगत तीन वर्षो के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

वर्ष 2025-2026 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 2025 तक व्यय

(राशि लाख में)

Sno	Project	Allotment (BE 2025-26)			Exp. Upto 30.12.25
		State Share	Central Share	Total	
1	IT&DoIT	216371.77	0.00	216371.77	81722.19

वर्ष 2024-2025 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

Sno	Project	Allotment (RE 2024-25)			Exp. Upto 31.03.25
		State Share	Central Share	Total	
1	IT&DoIT	115625.47	3.00	115628.47	110308.48

वर्ष 2023-2024 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

Sno	Project	Allotment (RE 2023-24)			Exp. Upto 31.03.24
		State Share	Central Share	Total	
1	IT&DoIT	294312.43	1.50	294313.93	271848.68

11 पुरस्कार एवं प्रशंसा

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को e-Governance और I.T. के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया :–

1. Raj Kisan Sathi परियोजना को

- e-Governance Rajasthan Award 2020-2021 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- SKOCH Award- SILVER-2022 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- SKOCH Order-of-Merit Award-2022 for Raj Kisan Sathi Portal से पुरस्कृत किया गया हैं।
- SKOCH Order-of-Merit Award-2022 for RajAgriQC से पुरस्कृत किया गया हैं।
- SKOCH Order-of-Merit Award-2022 for Seed Minikit से पुरस्कृत किया गया हैं।
- SKOCH Order-of-Merit Award-2023 for Rajkisan Suvidha Mobile App से पुरस्कृत किया गया हैं।
- National Awards for e-Governance 2023-2024 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Innovation Award 2024 से पुरस्कृत किया गया हैं।

2. RajCAD परियोजना को

- Certificate of Appreciation 2022 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Certificate of Appreciation 2023 से पुरस्कृत किया गया हैं।

3. Raj-Kaj (eOffice) परियोजना को

- Skoch Award 2022 Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।

4. Aadhaar Authentication Ecosystem & Aadhaar Data Vault Project परियोजना को

- SKOCH Order-of-Merit Award- 2022 से पुरस्कृत किया गया हैं।

5. Startup परियोजना को

- Certificate of Appreciation as an Aspiring Leader 2022 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Elets SmartGov Excellence Awards 2025 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Technology Sabha Excellence Awards 2025 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- ET Business Awards 2025 से पुरस्कृत किया गया हैं।

6. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजन (DVAE) परियोजना को

- IMC Digital Technology Award 2020 - Award for excellence for best Digital Implementation से पुरस्कृत किया गया हैं।
- IMC Digital Technology Award 2021- Certificate of Merit in Government Sector से पुरस्कृत किया गया हैं।

7. Raj Masters – Centralized Master Data Hub परियोजना को

- Indian Express Techsabha award 2019 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- eGovernance Now award 2019 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Skoch award 2019 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- IMC Digital Technology Award 2021- Certificate of Recognition for your application से पुरस्कृत किया गया हैं

8. RTI परियोजना को

- Skoch Award से पुरस्कृत किया गया हैं।

9. eSign CA Solution को

- eGovernance Now award 2019 से पुरस्कृत किया गया हैं।

10. e-Bazaar परियोजना को

- IMC Digital Technology Award 2018 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Skoch order of Merit award 2019 से पुरस्कृत किया गया हैं।

11. WS&APS परियोजना को

- SKOCH in "Silver Category" of Cyber Security से पुरस्कृत किया गया हैं।
- "Order of Merit" category for Top ranking cyber security Projects in India (2018) से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Finest India Skills & Talent (F.I.ST) Awards 2019 under innovation Product of the year Security से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Silver Awards in category-VI i.e.Excellence in adopting emerging technologies"- National e-Governance Award 2020 से पुरस्कृत किया गया हैं।

12. BTH & BSDC परियोजना को

- FSAI Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।

13. Power SCADA परियोजना को

- Energy Conservation Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।

14. Emitra परियोजना को

- Best digital Transformation Award 2018 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- IMC Digital Technology Awards 2018 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Skoch Award 2019 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Skoch Award 2022 Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Skoch Award 2023 Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Skoch Award 2024 Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।

15. Jan Soochna Portal परियोजना को

- Skoch Award 2021 Awards से पुरस्कृत किया गया हैं।

16. Rajasthan Sampark परियोजना को

- Atal e-Governance State Award 2025 से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Elets Smart Gov Excellence Award 2025 से पुरस्कृत किया गया हैं।

17. Online Ticket Booking Management System (OBMS) परियोजना को

- Skoch Award 2025 से पुरस्कृत किया गया हैं।

18. Rajevika परियोजना को

- ETGovernment Digitech 2025 Award से पुरस्कृत किया गया हैं।
- Elets SmartGov Excellence Award 2025 से पुरस्कृत किया गया हैं।

19. ePanchayat परियोजना को

- Skoch Award 2024 से पुरस्कृत किया गया हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2224855 फैक्स : 0141-2222011

http://www.rajasthan.gov.in,

http://www.doitc.rajasthan.gov.in